सोमवार,
२४ अगस्त, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

सोमवार, २४ अगस्त, १९५२

सदन की बैठक दो बजे समवत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

औषधि उद्योग

*७४१. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** १३ नवम्बर, १९५२ को रसायनों तथा औषधि के आयात के सम्बन्ध में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १०४-क और लोक सभा के द्वितीय सत्र १९५२ में दिये गये आश्वासनों इत्यादि के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही को दिखाने वाले अनुपूरक विवरण संख्या १ को निर्देश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कतिपय आयात की हुई वस्तुओं के सम्बन्ध में स्वदेशी औषधि निर्माताओं के विदेशी सार्थों की प्रतिद्वन्द्विता के विरुद्ध अभ्यावेदन किये जाने पर सरकार ने स्वदेशी उद्योग के संरक्षण के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार की प्रतिद्वन्द्विता अब भी चल रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) तथा (ख). स्वदेशी औषधि निर्माताओं को प्रशुल्क आयोग को जांच के लिये आवेदन पत्र दे कर किसी आयात की हुई वस्तु की प्रतिद्वन्द्विता से संरक्षण प्राप्त करने की पूरी छट है। औषधियों पर राजस्व के हेतु लगाये गये आयात शुल्कों तथा भूगतान सन्तुलन को ध्यान में रख कर उन के आयात पर लगाये गये प्रतिबन्धों का भी संरक्षात्मक प्रभाव पड़ता है। तथापि, सरकार ने भारतीय औषधि उद्योग के विकास से सम्बन्धित सभी समस्याओं की परीक्षा करने के लिये एक जांच समिति नियुक्त की है और आशा है कि यह समिति इस समस्या के इस पहलू पर भी विचार करेगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि आयात की हुई किन किन औषधियों की भारत में बनी हुई चीजों से प्रतिद्वन्द्विता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास इन चीजों का एक लम्बा सूची पत्र ह जिसे यहां पढ़ कर सुनाना वस्तुतः बड़ा कठिन है।

श्री एम० एल० द्विवेदी: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इन औषधियों को अब तक संरक्षण क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् कुछ चीजों के सम्बन्ध में जैसे कि पैरा अमीनों सैली सिलिक एसिड के सम्बन्ध में प्रशुल्क सम्बन्धी जांच हुई है। अन्य चीजों के सम्बन्ध में प्रशुल्क सम्बन्धी कोई जांच नहीं हुई है

क्योंकि निर्माताओं ने ऐसा कोई संरक्षण नहीं मांगा है । परन्तु जैसा कि मैं ने कहा, आनुषंगिक रूप से कुछ ऐसा संरक्षण इस कारण मिल गया है क्योंकि हम ने हाल ही में कुछ प्रकार की वस्तुओं के सम्बन्ध में आयात शुल्क बहुत बढ़ा दिया है और विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आयात नीति का निर्माण इसी प्रकार से किया गया है कि इस देश में तैयार किये जाने वाले रसायनों के आयात की अनुमति न दी जाये ।

कुमारी एनी मस्करीन : श्रीमान्, क्या मैं जान सकती हूं कि कितने विदेशी समवाय भारत में औषधियां बना रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस विषय म क्या कार्यवाही की जिस से कि भारतीय औषधि निर्माता भारी रसायनों, शुद्ध रसायनों और कैटेलिस्ट्स की अपनी आवश्यकताओं को सस्ते भावों पर पूरा कर सकें ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य किसी विशेष प्रकार के रसायन का नाम लें, तो मैं उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि भारतीय औषधि उद्योग की कुल आय का कितने प्रतिशत वैज्ञानिक अनुसन्धान पर व्यय किया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास कोई जादू तो है नहीं ।

पंडित सी० एन० मालवीय : श्रीमान्, मैं औषधि जांच समिति की नियुक्ति की तिथि तथा उस के सदस्यों के नाम जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : समिति १४ फरवरी १९५३ को नियुक्त की गई थी : समिति की बनावट निम्न प्रकार है :

(१) मेजर जनरल एस० एल० भाटिया (सभापति)
(२) डा० के० बासुदेव राव (सदस्य)
(३) डा० बी० बी० योध (सदस्य)
(४) डा० जे० सी० घोष (सदस्य)
(५) डा० आर० सी० शाह (सदस्य)
(६) डा० टी० आर० शेषाद्रि (सदस्य)
(७) डा० एच० आर० नंजी (सदस्य)
(८) श्री के० आर० चन्द्रन (सदस्य)
(९) श्री पी० एम० नाबर (सदस्य)
(१०) डा० ए० नागराज राव (सदस्य)

समिति के एक सदस्य डा० अनिल कुमार सेन की उस के बाद से मृत्यु हो चुकी है और उन के स्थान पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री ए० एम० टामस : मैं पूछ सकता हूं कि यदि संरक्षण दिया जाय तो क्या हमें इस बात का आश्वासन मिल सकता है कि वे उत्तमता में विदेशों में बनी हुई औषधियों के समान ही होंगी ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस तथा इसी प्रकार की अन्य समस्याओं पर यह समिति विचार करेगी ; हम समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री जोकोम आल्वा: क्या सरकार को यह विदित है कि विदेशी निर्माताओं के विशाल संसाधनों के कारण और उन्हें इस देश में भारतीय नामों से काम करने की आज्ञा मिल जाने के कारण वे भारतीय समवायों को टिकने नहीं देते ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे इस विषय में यदि कोई सन्देह था तो वह माननीय सदस्य के इस कथन से दूर हो गया है ।

श्री जोकोम आल्वा : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या पार्क डेविस जैसे निर्माताओं को हाल ही में बम्बई में सीमा शुल्क अधिकारियों को धोखा देने के सम्बन्ध में पकड़ा गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे ज्ञात नहीं कि ऐसा कोई मामला न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सीमा शुल्क सम्बन्धी कोई जांच सम्भवत: हुई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन में बड़ी ठंड लग रही है । ऋतु बदलने के कारण मुझे कुछ बुखार हो गया है । यदि माननीय सस्दय सहमत हों तो, सदन का तापांश ७४° से बढ़ा कर ८०° कर दिया जाये ।

कई माननीय सदस्य : जी हां, जी हां ।

राज्य कोयला खानों से छटनी में निकाले गये श्रमिक

*७४२. **चौ० रघुवीर सिंह:** (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि तथ्य अन्वेषक समिति के प्रतिवेदन के फलस्वरूप राज्य कोयला खानों में से कितने श्रमिकों को छंटनी में निकाला गया ?

(ख) उन में से कितनों को पुन: काम पर लगा लिया गया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) कारगली कोयला खान में से ९ अप्रैल १९५३ को ८४४ सामयिक श्रमिकों को निकाला गया था ।

(ख) किसी को नहीं ; वे विशुद्ध रूप से सामयिक श्रमिक थे जिन्हें सीधा ठेकेदारों ने काम पर लगाया हुआ था और वे ही उन्हें पैसे देते थे ।

चौ० रघुवीर सिंह : क्या यह सत्य है कि श्रमिकों को निकालते समय प्रतिकर के रूप में कुछ नहीं दिया गया ?

श्री के० सी० रेड्डी : जिन स्थायी कर्मचारियों को किन्हीं विशेष कारणों से छंटनी में निकाला जाता है उन्हें कुछ देने की योजना है । क्योंकि उन्हें ठेकेदारों ने नियुक्त किया था, मुझे खेद है, कि इन श्रमिकों को छंटनी का प्रतिकर पाने का अधिकार नहीं है ।

श्री ए० एम० टामस : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि कितनों को रेलवे कोयला खानों से निकाला गया है और कितनों को राज्य कोयला खानों से निकाला गया है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि १९५३-५४ में ६३ लाख रुपये लाभ होने का अनुमान लगाया गया है जो कि पिछले वर्षों के आंकड़ों से अधिक है, अत: मैं जान सकता हूं कि छंटनी का प्रश्न कैसे उत्पन्न हुआ ?

श्री के० सी० रेड्डी : रेलवे कोयला खानों से अलग कोई राज्य कोयला खानें नहीं हैं । केवल वही राज्य कोयला खाने हैं । इस आंशिक छंटनी के कारण ही इन के संचालन व्यय में कुछ मितव्ययता हुई है । मैं माननीय सदस्य को यह बतला दूं कि रेलवे कोयला खानों में जो छंटनी होने वाली है, यह उन बहुत सी समितियों की सिफारिशों के अनुसार की जा रही है जिन्हों ने कि इस विषय का बड़ी सावधानी से अध्ययन किया है । यह लगभग चार हज़ार तथा कुछ और कर्मचारियों की

होगी किन्तु कतिपय वैधानिक तथा प्रावैधिक कठिनाइयों के कारण इसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है । माननीय सदस्य ने जिस लाभ का उल्लेख किया है वह कई उपायों को करके प्राप्त किया गया है, उन में एक सामयिक श्रमिकों की छंटनी भी है जिस का कि उत्तर में उल्लेख किया गया है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या ठेकेदारों ने जो छंटनी की है सरकार ने उसे मान लिया है या उस ने ठेकेदारों को इन श्रमिकों की छंटनी की सलाह दी है ?

श्री के० सी० रेड्डी: ठेकेदारों को सलाह देने की कोई आवश्यकता नहीं थी । ध्यान देने योग्य प्रश्न केवल यह है कि क्या उन श्रमिकों के लिये वहां काम है जिन्हें कि काम पर लगाया जाना है । यदि वहां काम नहीं है तो चाहे ठेकेदार हों या सरकार हो, मुझे खेद है कि उसे इन लोगों को निकालना ही पड़ेगा । जैसा कि मैं ने बतलाया, ये केवल सामयिक काम के लिये अस्थायी रूप से लगे हुए थे ।

श्री आर० एन० सिंह : श्रीमान्, इन में से कितनी राज्य कोयला खानों को ठेकेदार चलाते हैं और कितनी स्वयं विभागों द्वार चलाई जाती हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी: ११ राज्य कोयला खानें हैं । इन में से ९ का प्रशासन पूर्णतया सरकार ने सम्भाल लिया है । शेष दो कोयला खानों में अभी ठेकेदारों के श्रमिक काम करते हैं । सरकार ने अपनी नीति घोषित कर दी है कि अप्रैल १९५३ से पूर्व शेष दो कोयला खानों में ठेके का श्रम समाप्त कर दिया जायेगा और इस के स्थान पर सरकारी श्रमिक काम करने लगेंगे ।

श्री पुन्नूस : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि ये सामयिक श्रमिक कब से इन कोयला खानों में काम कर रहे थे ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पर्वसूचना चाहिये ।

उर्वरकों का सम्भरण

*७४३. **चौ० रघुवीर सिंह**: (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करगें कि क्या यह सत्य है कि सिंदरी उर्वरक कारखाना भारत की उर्वरकों की आन्तरिक मांग को पूरा कर देता है ?

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश राज्य की उर्वरकों की मांग कितनी है और उसे कितना सम्भरित किया जाता है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) सिंदरी उर्वरक कारखाने में केवल अमोनियम सल्फेट का उत्पादन होता है । भारत में १९५३ में इस उर्वरक की लगभग ३·५ लाख टन की मांग का अनुमान लगाया गया है । इस वर्ष सिंदरी के कारखाने में लगभग ३ लाख टन उत्पादन होने की सम्भावना है । किन्तु इसके अतिरिक्त और उर्वरक भी हैं जिन की देश में बहुत सीमित मांग है ।

(ख) चालू पत्री वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य की ४०,००० टन अमोनियम सल्फेट की मांग है, जिस में से ३५,००० टन सिंदरी से दिया गया है और शेष ५,००० टन कोक की भट्टी के उप-उत्पाद की सामग्री से दिया गया है । ३१,००० टन से अधिक सिंदरी से भेजा जा चुका है ।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं जान सकती हूं कि त्रावणकोर-कोचीन के आल्वेयी के कार खाने में कितने प्रतिशत उर्वरक का उत्पादन होता है ?

श्री के० सी० रेड्डी: इस का प्रतिशत बहुत थोड़ा है । मेरे पास ठीक ठीक आंकड़े नहीं हैं, किन्तु यह प्रति वर्ष ५०,००० टन के आस-पास होता है ।

श्री जयपाल सिंह : वर्तमान आन्तरिक मांग को पूरा करने के पश्चात् कितना निर्यात के लिये उपलब्ध हो सकता है और यदि कुछ उपलब्ध हो सकता है तो क्या निर्यात मूल्य निश्चित करते समय अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का ध्यान रखा जाता है ?

श्री के० सी० रेड्डी : यदि हम इसका निर्यात कर भी सकें, तो भी सरकार की किसी उर्वरक का निर्यात करने की नीति नहीं है। आन्तरिक मांग बहुत पर्याप्त है और योजना आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि आगामी एक या दो वर्षों में यह मांग बढ़कर ५ लाख टन हो जायेगी। अतः सरकार ने उर्वरक के निर्यात की कोई नीति नहीं बनाई है। परन्तु हम विशेष रूप से पूर्वी बंगाल को १५,००० टन का निर्यात करने के लिये सहमत हो गये हैं। यह अपने पड़ोसी की सहायता की नीति के आधार पर किये गये व्यापार करार का एक अंश था।

श्री टी० एन० सिंह : उत्तर प्रदेश में यह ३५,००० टन उर्वरक किस माध्यम द्वारा बेचा जाता है ? क्या वहां सहकारी समितियां हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : उत्तर प्रदेश में तीन अभिकरणों अर्थात् इम्पीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ और उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना संघ, लखनऊ को इस काम में लगाया गया है।

श्री टी० एन० सिंह : क्या सहकारी समितियों को जो सुविधा मिली हुई है वह इम्पीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज़ को भी मिली हुई है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे उत्तर प्रदेश की वितरण-व्यवस्था का ज्ञान नहीं है। मैं इस के केवल मोटे मोटे पहलू बतला सकता हूं।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार सिंदरी में पोटाश सल्फेट और सुपरफोस्फेट्स आदि जैसे अन्य उर्वरकों के उत्पादन की भी किसी योजना पर विचार कर रही है ?

श्री के० सी० रेड्डी : सरकार ने कुछ योजनायें बनाई हैं, किन्तु वे इस प्रकार के उर्वरकों के निर्माण के सम्बन्ध में नहीं हैं जिन का कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। सिंदरी उर्वरक लिमिटेड वस्तुतः एक यूरी और अमोनियम नाइट्रेट की परियोजना तैयार कर रहे हैं। इस प्रयोजन के लिये एक प्रावैधिक समिति बना दी गई है और इस ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। सरकार इस प्रतिवेदन पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

श्री ए० एम० टामस : माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े बताये हैं उन से यह ज्ञात होता है कि सिंदरी में अभी तक उतना उत्पादन नहीं हो रहा है जितना कि इस का लक्ष्य निश्चित किया गया था। इस कारखाने के आरम्भ होने के एक वर्ष के अन्दर यह ९६५ टन प्रति दिन के लक्ष्य तक पहुंच सका है। इतनी देर के पश्चात् भी इसे लक्ष्य प्राप्त करने में क्या कठिनाई है ?

श्री के० सी० रेड्डी : श्रीमान्, यह एक बड़ी टेढ़ी चीज़ है। यदि मैं इसका सारा वृत्तान्त बताऊं तो इस में कुछ समय लगेगा। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, यह सत्य है कि इस वर्ष में कुछ दिन तो यह न केवल ९६५ टन के लक्ष्य तक पहुंच गया, अपितु कभी कभी तो १०५० और १,१०० टन तक भी उत्पादन हुआ। यह कुछ विशेष कारणों से होता है जो कि विभिन्न संघटकों, अमोनिया इत्यादि के उत्पादन पर निर्भर होते हैं। परन्तु साधारणतया इसका औसत उत्पादन ८०० टन रहा है। औसत तो यही है। ९६० टन हमारा लक्ष्य है। अन्तिम लक्ष्य तो वस्तुतः इतना ही है।

कुछ कठिनाइयां हैं और सिंदरी के कारखाने वाले इस बात पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिये क्या कार्यवाही की जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे मामलों में जब कभी कोई माननीय मंत्री ऐसा महसूस करें कि किसी प्रश्न का उत्तर विस्तृत रूप में देने के लिए कुछ अधिक समय की आवश्यकता है, और यह भी विचार करें कि सदन में सूचना देनी चाहिये, तो वह एक या दो बात सदन में बता दें और सूचना सम्बन्धी अन्य बातों को वह सचिवालय द्वारा माननीय सदस्यों में परिचालित करें (यह मेरा सुझाव है) ।

श्री जयपाल सिंह : माननीय मंत्री ने बतलाया कि यह एक विशेष मामला था । अन्य विशेष मामलों को सुलझाने की दृष्टि से, अर्थात भारत तथा श्री लंका के संबंधों को सुधारना, क्या सरकार श्री लंका को उर्वरकों के निर्माण के मामले में उसके साथ विशेष मामले के रूप में बर्ताव करने के औचित्य पर विचार करेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि उन्हों ने सरकार की कार्यवाही का संकुचित ढंग से पूर्वाभास किया है । वहां हमारे उच्च आयुक्त के सुझावों के फलस्वरूप श्री लंका में एक कृषि प्रदर्शन फार्म को १०० टन उर्वरक पहिले ही दे दिया गया है । परन्तु हम अधिक मात्रा में निर्यात कर सकेंगे अथवा नहीं, कितनी मात्रा किन परिस्थितियों में तथा इन्हीं सब बातों पर सरकार को विचार करना है ।

श्री एम० डी० रामस्वामी : मद्रास सरकार को उर्वरकों का वितरण करने के क्या मार्ग हैं ? क्या मैं १९५२-५३ के आंकड़े भी जान सकता हूं ?

श्री के० सी० रेड्डी: मद्रास राज्य इस उर्वरक के अधिकांश भाग को उपयोग कर रहा है । मैं अभी माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये आंकड़े बताने की स्थिति में नहीं हूं ।

टेलीफोन तार निर्माणशाला में उत्पादन

*७४४. **चौ० रघुवीर सिंह** : (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि टेलीफोन तार निर्माण-शाला डाक तथा तार विभाग की वार्षिक आवश्यकता को पूरा कर देगी ?

(ख) यदि हां, तो वार्षिक उत्पादन क्या है ?

(ग) यदि नहीं, तो भारत को कितना आयात करना होगा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) आरम्भ में, टेलीफोन तार निर्माणशाला, एक शिफ्ट के आधार पर, डाक तथा तार विभाग की टेलीफोन तार संबंधी पूर्ण आवश्यकता, जिसका अनुमान १९५० में लगाया गया था, पूर्ण करने के लिये खोली गई थी । हाल में ही, डाक तथा तार विभाग की यह मांग दुगनी से भी अधिक हो गई है । बड़ी मांग को पूरा करने के लिये इस क्षमता के समायोजन के प्रश्न की जांच हो रही है ।

(ख) एक शिफ्ट के आधार पर प्रति वर्ष ४६८ मील लम्बाई के तार बनाने के लिए निर्माणशाला बनाई गई है, परन्तु उत्पादन अभी तक आरम्भ नहीं हुआ ।

(ग) भाग (क) के उत्तर की दृष्टि से, यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि भारत को कितना आयात करना होगा । फिर भी, यह प्रतीत होता है कि निर्माणशाला में उत्पादन होने के पश्चात् कुछ समय तक कुछ आयात करना आवश्यक होगा ।

श्री टी० एन० सिंह : वह आधार क्या है जिसपर टेलीफोन के इन उपकरणों के मूल्य विवरण निर्माणशाला सरकार को देती है ? उनका किस आधार पर क्रय होता है ?

श्री के० सी० रेड्डी : श्रीमान्, इसका टेलीफोन उपकरणों से कोई सम्बंध नहीं है ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि निर्माणशाला में उत्पादन आरम्भ होने के पश्चात इन वस्तुओं के आयात में कितने प्रतिशत कमी हो गई है ?

श्री के० सी० रेड्डी : श्रीमान्, निर्माणशाला में अभी उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है । आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक इसमें उत्पादन आरम्भ हो जायगा । आशा है कि उत्पादन लगभग ५०० मील लम्बे तार के क्रम में होगा । डाक तथा तार विभाग की वर्तमान मांग के अनुसार यह उत्पादन हमारी आवश्यकता का लगभग आधा होगा ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या यह निर्माणशाला साधारण रूप में मिले हुए दो तारों की प्रकार के तार बनायेगी अथवा काक्सियल प्रकार के तार बनायेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे खेद है । माननीय सदस्य टैकनीकल विषय के बारे में अधिक जानते हैं । प्रश्न की पूर्ण जांच पड़ताल के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या इस निर्माणशाला में तार बनाने से डाक तथा तार विभाग के कुछ इन्जिनियरों का सम्बन्ध है ?

श्री के० सी० रेड्डी : श्रीमान्, जहां तक मैं जानता हूं कोई सम्बन्ध नहीं है इस टेलीफोन-तार निर्माणशाला में काम करने वाले इन्जिनियर ब्रिटेन की टेलीफोन एण्ड केबिल कम्पनी से बुलाये गये हैं ।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि डाक तथा तार विभाग के कम से कम एक या दो इन्जिनियर इस से संबद्ध क्यों नहीं हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं पूर्वसूचना चाहता हूं ।

श्री ए० एम० टामस : आशा थी कि निर्माणशाला में जून १९५३ में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा । विलम्ब होने का कारण क्या है ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस निर्माणशाला के लिए आवश्यक यन्त्र के आने में कुछ विलम्ब हो गया था । अब सब रुकावटें दूर हो गई हैं और यन्त्र आ गया है तथा लगाया जा रहा है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हू कि ब्रिटेन की टेलीफोनस एण्ड केबिलस लि०, जिन्हें यन्त्र लगाने तथा इमारत व अन्य कार्यों की देखभाल करने और व्यापार आरम्भ करने का काम सौंपा गया है, इन तारों के उत्पादन तथा लाभों में वास्तव में, कोई रुचि लेंगे ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस के उत्पादन में उन्हें कोई रुचि नहीं है, यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय यह है कि वे उत्पादन का एक भाग या इसी प्रकार की कोई और वस्तु अपने स्वयं प्रयोग के लिये लेंगे । वे हमें केवल यन्त्र लगाने, देख भाल करने, आदि में और टैक्निकल बातें बताने में ही सहायता नहीं देंगे अपितु उत्पादन आरम्भ होने के पश्चात कुछ समय तक वे वास्तविक उत्पादन की देख-भाल के लिए रहेंगे ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार क्या मैं जान सकता हूं कि यदि सरकार हमें कुछ बता सकती है कि इस निर्माणशाला में बनी वस्तुओं के मूल्य की आयात की गई वस्तुओं के मूल्य से क्या तुलना होगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : यहां बनी वस्तुओं की लागत की अन्य देशों में बनी वस्तुओं की लागत से तुलना करना सदैव ही कठिन है । उत्पादन लागत में, जिसका कि हमने अब अनुमान किया है, अब से एक वर्ष या ६ मास पश्चात भारी परिवर्तन होने की शंका है । अब तक जो अनुगणना की गई है,

उस के अनुसार, इस निर्माणशाला में उत्पादन लागत और कहीं की उत्पादन लागत की अपेक्षा लाभप्रद होगी ।

श्री एस० सो० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि इस निर्माणशाला की अनुमानित स्थापना लागत क्या है ? क्या यह निर्माणशाला पूर्णतः सरकारी निर्माणशाला होगी अथवा इसका नाम क्या होगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का अभिप्राय यह है कि निर्माण-शाला बनाने की अनुमानित पूंजीगत लागत क्या होगी ? यदि मेरा यह विचार ठीक है तो यह निर्माणशाला बनाने के लिए ११० लाख रुपये की आवश्यकता होगी । यह सरकारी निर्माणशाला है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : इसमें कितने व्यक्तियों को काम मिलने की आशा है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं ठीक आंकड़े नहीं बता सकता। हो सकता है कि लगभग ३०० व्यक्तियों को काम मिल जाये ।

श्री वैलायुधन : माननीय मंत्री ने बतलाया कि निर्माणशाला में अभी उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है । क्या मैं जान सकता हूं कि पूर्ण भर्ती हो चुकी अर्थात् अधिकारियों आदि की भर्ती ?

श्री के० सी० रेड्डी : कुछ भर्ती हो चुकी है ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या टेलीफोनस् एण्ड केबिलस लि० को लाभ में से कोई भाग दिया जायेगा । अथवा वे जो देखभाल-कार्य कर रहे हैं उसके लिए उन्हें एकदम कोई धन दिया जायेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस अवसर पर मैं इस प्रश्न का पूर्ण उत्तर देना नहीं चाहता क्योंकि यह एक जटिल समस्या है । मैं माननीय सदस्य को समझौता का निदश करता हूं जिस की एक प्रति, मुझे विश्वास है, सदन पटल पर पहले ही रखी जा चुकी है । मैं यह कह सकता हूं कि उत्पादन में से उन्हें कुछ भाग मिलेगा । अन्य बातों की व्याख्या समझौते में दी गई है । यदि माननीय सदस्य एक भिन्न प्रश्न लिख दें तो मैं उत्तर दे दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य समझौता का अध्ययन करेंगे ।

कुमारी एनी० मस्करीन : मैं जान सकती हूं कि क्या आपने विदेशी विशेषज्ञों को काम पर लगाया है और यदि हां, तो किस देश के विशेषज्ञों को ?

श्री के० सी० रेड्डी : उसी कम्पनी ने, जिस के सहयोग से हम निर्माणशाला की स्थापना कर रहे हैं, आवश्यक विशेषज्ञ दिये हैं । अन्य कम्पनियों आदि या अन्य देशों से और विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं की गई ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत प्रश्न हो चुके हैं । अगला प्रश्न ।

ट्रीस्ट मेला

*७४६. **सरदार ए० एस० सहगल** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत ने ट्रीस्ट-मेला (इटली) में, जो २७ जून से १४ जुलाई १९५३ तक हुआ था, भाग लिया था ?

(ख) क्या यह सत्य है कि ट्रीस्ट यूरोप के मुख्य व्यापार केन्द्रों में से एक है ?

(ग) क्या सरकार ने ट्रीस्ट-मेला में सब प्रकार की वस्तुएं भेजी थीं तथा उनमें हस्तोद्योग की वस्तुएं भी सम्मिलित थीं ?

(घ) इस ट्रीस्ट मेला में, कुटीर उद्योग की वस्तुओं सहित, सारी कितनी प्रकार की वस्तुएं भेजी गई थीं ?

(ङ) ट्रीस्ट मेला में भाग लेने के लिए सरकार ने कितना धन स्वीकार किया था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) नहीं, श्रीमान् । नीति यह है कि उन वस्तुओं को भेजा जाये जो निर्यात होने के योग्य हैं और जिनका विक्रय संबधित प्रदर्शनी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में हो सकता है । भेजी गई वस्तुओं में हाथ की बनी वस्तुयें भी सम्मिलित थीं ।

(घ) नौ बड़ी बड़ी कोटियों के अन्तर्गत १७३ प्रकार की वस्तुयें भेजी गई थीं ।

(ङ) ३७,००० रुपये ।

सरदार ए० एस० सहगल: मैं जान सकता हूं कि क्या व्यापारियों ने कोई रुचि प्रदर्शित की थी और भारत व्यापारियों की मांगों को कैसे पूरा करेगी ?

श्री करमरकर: अत्याधिक चावप्रदर्शित किया गया था । वहां प्रदर्शित की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के बारे में २१ पूछ ताछ की गई हैं । आर्डर आने पर, मांग की पूर्ति करने के लिये हम यथोचित कार्यवाही करेंगे ।

सेठ गोविन्द दास: विदेशों में जो यह भिन्न भिन्न नुमायशें भिन्न भिन्न समय पर हुआ करती हैं, क्या इन सब नुमायशों में भारतीय सामान भेजा जाता है या किसी विशेष नुमायश में ही भेजा जाता है ?

श्री करमरकर: जी, हां । इन नुमायशों में हम जो चीज़ें भेज सकते हैं, वे वहां भेजते हैं और उनका ठीक उपयोग भी हो जाता है ।

श्री ए० एम० टामस: क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे कुटीर-उद्योग की कितनी वस्तुयें इटली भेजी गईं ?

श्री करमरकर: कुटीर-उद्योग की वस्तुयें जिन में हाथ करघा की वस्तुयें भी सम्मिलित हैं जैसे साड़ी आदि, सुनहरे व रुपहले टिशू, रेशमी व सूती किमखाब, गुलूबंद, पलंग की सूती चादरें आदि, आदि ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी, क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रदर्शिनी में कितने देशों ने भाग लिया ?

श्री करमरकर: ३२ देशों ने ।

श्री बादशाह गुप्त: यह सामान जो वहां भेजा गया था वह बेचने के लिए भेजा गया था या महज़ दिखाने के लिए? यदि बेचने के लिए भेजा गया था तो कितने रुपये का बेचा गया ?

श्री करमरकर: दिखाने के लिए भेजा गया था ।

श्री एम० डी० रामस्वामी: हाथ करघा की वस्तुओं को वहां कैसी दृष्टि से देखा गया ?

श्री करमरकर: मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि हमारी सारी प्रदर्शित वस्तुओं को अच्छी दृष्टि से देखा गया ।

श्री रघवय्या: मैं जान सकता हूं कि क्या मेला में रखी गई नौ कोटियों की वस्तुओं में, नारियल की जटा की वस्तुयें भी थीं ?

श्री करमरकर: विशिष्ठ रूप से उल्लेखित नारियल की जटा मुझे दिखाई नहीं देती । मैं सोचता हूं कि मैं इसका पता लगाऊंगा ।

श्री वी० पी० नायर: क्या मैं जान सकता हूं.....(अन्तर्वाधा) ।

उपाध्यक्ष महोदय: जब मैं ने इधर देखा, उस समय सदस्य चुप थे । अब जब कि किसी सदस्य ने नारियल की जटा के बारे पूछ ताछ आरम्भ कर दी है तो जटा आरम्भ हो जाती है । मुझे क्या करना है ?

श्री वी० पी० नायर: यदि सरकार नवीन सूचना देती है तो हमें पूरा प्रश्न करने का अवसर मिलना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता । यदि एक पूरक प्रश्न के

पश्चात दूसरा पूरक प्रश्न होता है तो इसका अन्त ही नहीं है। मैं इसके लिए अनुमति नहीं दे सकता। मैं ४ या ५ पूरक प्रश्नों के लिए अनुमति दे सकता हूं। सारे सदस्यों को चुस्त रहना चाहिये और प्रश्न पहिले से ही सोच लेने चाहियें। अगला प्रश्न।

कोका कोला सामग्री का आयात

*७४७. **श्री दाभी:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) १९५२-५३ में संयुक्त राज्य अमरीका से कोका कोला सामग्री का आयात करने में डालर-विनिमय में से कितना धन व्यय किया गया ;

(ख) कोका कोला के व्यापारियों को डालर-विनिमय देने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ; तथा

(ग) कोका कोला में पौष्टिक खाद्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) कोई नहीं, श्रीमान्।

(ख) कोई डालर व्यय नहीं किये जा रहे हैं।

(ग) कोका कोला में चीनी के अतिरिक्त और किसी पौष्टिक खाद्य का सरकार को पता नहीं है।

श्री दाभी: क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या यह सच है कि पिछले सत्र में माननीय मंत्री ने कहा था कि कुछ डालर खर्च किये गये थे ?

श्री करमरकर: जी हां। पहले हमने मूल मशीनों और कुछ कच्चा माल बाहर से मंगाने की अनुमति दी थी। अब डालर खर्च नहीं किये जाते।

श्री रघुरामय्या: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार को यह मालूम है कि कोका कोला में कुछ प्रतिशत अलकोहल होता है।

श्री करमरकर: जी, नहीं। हमारी जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं है :

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह: क्या कोका कोला तैयार करने की वस्तुएं अमरीका से मंगाना बहुत आवश्यक है ?

श्री करमरकर: कच्चे माल का कुछ भाग सुलभ मुद्रा वाले क्षेत्रों से मंगाया जायगा। यह आवश्यक है या नहीं—यह तो अपनी अपनी राय की बात है। इस संबंध में मेरी अपनी राय भी हो सकती है।

श्री सारंगधर दास: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोका कोला में खाद्य वस्तु तो केवल चीनी ही होती है जो इसी देश में बनती है, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि कोका कोला के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा दिया जायगा। क्योंकि इस में जो और वस्तुएं डाली जाती हैं, उन में खाद्य वस्तु कोई नहीं, केवल चीनी ही है जो इसी देश में बनती है। चीनी किसी और रूप में भी खाई जा सकती है।

श्री करमरकर: इस के निर्माण पर फौरन ही प्रतिबन्ध लगाने की कोई सम्भावना नहीं।

श्री वी० पी० नायर: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि कोका कोला की बोतलें बाहर से मंगाई जाती हैं या भारत में ही बनती हैं ?

श्री करमरकर: पहले वे बाहर से मंगाई जाती थीं परन्तु अब वे यहीं बनती हैं। पहले वर्ष में हमन बोतलों का लाइसेंस दिया था ; अब नहीं दिया जाता।

श्री रघुनाथ सिंह: इस का स्वास्थ्य पर असर कैसा होता है ? क्या अब तक इस कोका कोला का कोई एग्जामिनेशन हुआ है ?

श्री करमरकर : इस के बारे में एग्जामिनेशन हुआ है । मुझे तो खास अनुभव नहीं है । लेकिन जो एग्जामिनेशन हुआ है उस में यह लिखा है :

"कोका कोला में चीनी के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जिस का खाद्य के दृष्टिकोण से कोई मूल्य हो। पता चला है कि कोका कोला की ६ ओंस की प्रत्येक बोतल में एक ओंस के दो तिहाई के बराबर चीनी होती है ।"

यह सब इनफार्मेशन हमारे पास है ।

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन : क्या मैं इस का यह मतलब समझूं कि इस देश में कोका कोला बनाने की आवश्यकता है और इस में जो चीनी लगती है वह अन्य प्रयोजनों के लिये जो जनता के स्वास्थ्य के लिय अधिक लाभदायक होंगे, प्रयोग में नहीं लाई जा सकती ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि हम व्यक्तिगत काम धंधों पर इतना नियंत्रण नहीं रखते जितना कि माननीय सदस्य समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति कोई वस्तु बनाता है, तो हम केवल इतना कर सकते हैं कि उस काम के लिये आवश्यक ऐसा सामान बाहर से मंगाने की अनुमति न दें जिस का बाहर से मंगाना हम ठीक न समझते हों । ये बातें तो अपनी अपनी राय की हैं। कोका कोला पीने वाले बहुत से लोगों की राय सम्भवतः माननीय सदस्य की राय से भिन्न होगी ।

श्री दाभी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या यह सच है कि कोका कोला में कैफीन होती है और प्रमुख डाक्टरों की राय है कि कैफीन वाली चोजें अधिक मात्रा में पीने से हृदय की गति मंद हो जाती है और उस से रक्त संचार पर प्रभाव पड़ता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे याद है श्रीमान कि पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था । मैं ने बताया था कि कोका कोला में कैफीन की मात्रा बहुत कम होती है। परन्तु मेरा विचार है कि यह वस्तु (कैफीन) अन्य कई पीने की वस्तुओं में होती है जो कि हम सदन की लाबी के बाहर बहुधा पीते हैं। मेरा विचार है कि ऐसी वस्तुओं में कैफीन की मात्रा इतनी अधिक नहीं होती कि इस से हृदय की गति पर कोई प्रभाव पड़े।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार को मालूम है कि कोका कोला के उत्पादन से देश में बनने वाले कोका कोला जैसे अन्य पय पदार्थों के निजी उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : कोका कोला बनाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है, उनकी कितनी मात्रा गैर-डालर विदेशों से मंगाई जाती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : एक प्रश्न रखिए। मैं इस के लिए पूर्वसूचना चाहता हूं

कई माननीय सदस्य खड़े हुए—

उपाध्यक्ष महोदय : कोका कोला की काफी चर्चा हो चुकी है ।

श्री गाडगील : हमें यह पीने को न मिले कम से कम प्रश्न तो पूछ लेने दीजिए ।

राष्ट्रीय विकास कार्य विस्तार सेवा योजना

*७४९. **श्री दाभी :** (क) क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए एक राष्ट्रीय विकास कार्य विस्तार सेवा योजना मंजूर की है ?

(ख) यदि हां, तो यह योजना क्या है ?

(ग) सामुदायक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विकास कार्य विस्तार सेवा योजना के कार्य क्षेत्रों में ठीक ठीक अंतर क्या है ?

(घ) बम्बई राज्य में जिन क्षेत्रों को राष्ट्रीय विकास कार्य विस्तार सेवा योजना लागू करने के लिए चुना गया है, उन के नाम क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग)। आप का ध्यान "राष्ट्रीय विकास कार्य सेवा का संगठन तथा सामुदायक विकास कार्यक्रम का विकास" नाम की प्रकाशित पुस्तिका की ओर दिलाया जाता है जिस की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में मिल सकती हैं।

(घ) राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में प्रस्थापनाओं की प्रतीक्षा की जा रही है।

गृह उद्योगों की वस्तुएं

*७४९. **श्री राधा रमण:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे की विदेशी मण्डियों में गृह उद्योगों में बनी कौन कौन सी वस्तुएं लोकप्रिय हैं ?

(ख) गृह उद्योग में बना कुल कितना माल १९५२-५३ में बाहर भेजा गया ?

(ग) सरकार ने भविषय में उन का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) मुख्यत: कला की वस्तुएं जैसे बिदरी, कलाबत्तू, हाथी दांत और लकड़ी पर खुदाई का काम, लाख के रंग की पच्चीकारी वाली वस्तुएं, महिलाओं के हेण्डबैग, हाथी दांत के हार, शीशे के मनके, पलंगों की छपी हुई चादरें, मेजपोश, हाथ करघे पर बनी वस्तुएं, गुलूबन्ध, साड़ियों का सामान, जरी का काम, कढ़ाई और फीते का काम, खिलोने, दरियां और कालीन। नारियल की जटा का धागा, नारियल की बनी वस्तुएं, खेलों का सामान पीतल के बर्तन और बाध यंत्र भी विदेशों में जाकर बिकते हैं।

(ख) १९५२-५३ में भारत से बाहर भेजे गए गृह उद्योगों तथा छोटे उद्योगों के माल का मूल्य लगभग १७.१ करोड़ रुपये था।

(ग) जो कार्यवाहियां की गई हैं, उन में से कुछ यह हैं :

(१) विदेशी प्रदर्शिनियों में भाग लेना।

(२) विदेशों में भारत के वाणिज्य प्रतिनिधियों को प्रदर्शन के लिए गृह उद्योगों का माल भेजा जाता है।

(३) विभिन्न उद्योगों के सम्बन्ध में सचित्र पुस्तकों का प्रकाशन और विदेशों में प्रदर्शिनियों तथा व्यापार मेलों के अवसर पर उन के मुफ्त बांटने का प्रबन्ध।

(४) गृह उद्योगों के माल को निर्यात के लिए एक स्तर पर लाना

(५) व्यापारियों को विभिन्न देशों में उपलब्ध सुविधाओं के सम्बन्ध में लाभदायक जानकारी देना।

(६) विदेशों के साथ व्यापार करारों में गृह उद्योगों को सम्मिलित करना।

श्री राधा रमण: श्रीमान क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या इन में से कुछ चीजों की विदेशी मण्डियों में बड़ी मांग है परन्तु वे भारत में पर्याप्त मात्रा में तैयार नहीं की जातीं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: कुछ ऐसे मामले हैं कि काफी मात्रा का आर्डर दिया जाता है परन्तु उतनी तैयार नहीं की जा सकती क्योंकि स्थानीय उत्पादकों के लिए सुविधाओं का अभाव है।

श्री राधा रमण: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि हमारी सरकार इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार यथा सम्भव स्थानीय उत्पादकों को सहायता देती है परन्तु बहुधा स्थानीय उत्पादक दिलचस्पी नहीं लेते क्योंकि उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि उन्हें जो आर्डर मिलते हैं वे बराबर मिलते रहेंगे ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : जब सरकार इन अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेती है तो वह अपने माल का प्रदर्शन ही करती है या कि आर्डर लाने की चेष्टा भी करती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार आर्डर नहीं लाती । वह केवल इन वस्तुओं का प्रदर्शन करती है । कभी कभी जब गैर सरकारी पक्षों का सम्बन्ध इन प्रदर्शनियों से रहता है, वे आर्डर लाते हैं । फिर भी यदि प्रदर्शनियों से सम्बद्ध अधिकारियों से कोई पूछताछ की जाती है या उन्हें कोई आर्डर दिया जाता है तो वह उसे व्यापारियों को भेज देते हैं ।

श्री हेडा : माननीय मंत्री ने कहा है कि बिदरी भी बाहर भेजी जाने वाली वस्तुओं में से है और उन्होंने यह भी कहा है कि इन उद्योगों के उत्पाद को एक ही स्तर पर लाया जाता है । जहां तक बिदरी का सम्बन्ध है यह विचार साधारणतया प्रचलित है कि इस का स्तर एक सा न होने के कारण यह इतनी नहीं बिकती जितनी कि बिकनी चाहिये । यह कहां तक सच है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : स्तर एक सा करने के सम्बन्ध में मैं ने जो कुछ कहा वह सामान्य रूप से कहा है । मेरे माननीय मित्र को इसका यह अर्थ नहीं लेना चाहिये कि यह बात उपरोक्त सूची की सभी वस्तुओं पर लागू होती है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विदेशों में हाथ करघे पर बुने माल की बड़ी मांग है क्या सरकार का ऐसा विचार है कि एक डिजाइन तैयार करने वाला विभाग खोला जाय जो हाथ करघे पर काम करने वालों को कलापूर्ण डिजाइन बनाने में सलाह दे ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी, हां । मेरे विचार में यह हाथ करघा बोर्ड की योजना का एक भाग है । इस के अतिरिक्त गृह उद्योग विभाग की दस्तकारी शाखा ये बस्तुएं बनाने वालों को डिजाइन देने के प्रश्न पर विचार कर रही है । कठिनाई केवल यह है कि अभी तक हमारे पास कोई उचित डिजाइन नहीं है ।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या हाल ही में एक देश ने सूती परदों के कपड़े के गुण प्रकार आदि के सम्बंध में शिकायत की थी ? यदि हां, तो इन शिकायतों की जांच करने वाली संस्था कौन सी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे तो याद नहीं कि पिछले कुछ समय में ऐसी कोई शिकायत आई हो ।

श्री टी० के० चौधरी : श्रीमान, मैं यह पुछ सकता हूं कि क्या सरकार एक गृह उद्योग मण्डी विस्तार बोर्ड बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो कि विदेशों में हमारे गृह उद्योगों के माल का प्रचार करे और उनके लिए मण्डियां ढूंढे जिस से कि हमारा माल वहां खूब बिक सके ; विशेषकर बेकारी को रोकने के लिये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हमारे गृह उद्योगों के माल के लिए मण्डियां बढ़ाने के सम्बन्ध में कई योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं परन्तु सम्भव है कि माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह इस रूप में सरकार के विचाराधीन न हो ।

श्री के० के० बसु : क्या हम उन देशों के नाम जान सकते हैं जहां इन गृह उद्योगों के माल के लिए मण्डियां तलाश की जा रही हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

श्री रघवय्या : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माननीय मंत्री ने कहा है कि नारियल की जटा की बनी वस्तुएं भी विदेशों में बड़ी लोकप्रिय हैं क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि सरकार ने विदेशों में इन्हें और लोकप्रिय बनाने तथा इन के लिए आर्डर प्राप्त करने के लिए क्या प्रयत्न किए हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विवरण में जो वस्तुएं दी गई हैं उन में से किसी विशेष वस्तु के सम्बन्ध में अलग प्रश्न पूछा जाय तभी मैं उस का ठीक ठीक उत्तर दे सकूंगा ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि जिन चीजों की विदेशों में बड़ी मांग है उन के उत्पादकों के पास वित्त का अभाव रहता है और क्या सरकार गृह उद्योगों के इन उत्पादों के प्रोत्साहन के लिए एक निगम स्थापित करने का विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न सामान्यतः रखा गया है । सम्भव है कि कुछ मामलों में यह सच हो । मैं यह जानना चाहता हूं कि किस मामले में ऐसी स्थिति है जिस से कि मैं कार्यवाही कर सकूं ।

श्री बूबराघसामी : क्या मैं उन देशों के नाम जान सकता हूं जिन को हमारे गृह उद्योगों में तैयार किया गया माल भेजा जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरा विचार है कि मैं कई बार इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं । यदि माननीय सदस्य अलग प्रश्न पूछें तो मैं फिर इस का उत्तर दूंगा ।

हैदराबाद में राष्ट्रीय विकास विस्तार योजना

*७५०. **श्री एम० आर० कृष्ण :** क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद राज्य को राष्ट्रीय विकास विस्तार योजना के अधीन कुल कितनी राशि दी गई है ; और

(ख) हैदराबाद राज्य में इस योजना में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख) । राज्य सरकार से अभी खर्च तथा क्षेत्रों के चुनाव के सम्बन्ध में उस के प्रस्ताव हमें नहीं मिले ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि इस योजना में टेकनीकल सहयोग व्यवस्था से सहायता मिलेगी ?

श्री हाथी : जी, नहीं ।

श्री नानादास : श्रीमान क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि राष्ट्रीय विकास विस्तार योजना के लिए क्षेत्र किस कसौटी पर परख कर चुने जाते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यापक प्रश्न है । वर्त्तमान प्रश्न हैदराबाद की योजना के सम्बन्ध में है ।

श्री के० के० बसु : तो इस में गुंजाइश हो सकती है, श्रीमान ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक योजना पहले से ही है । एक पुस्तक माननीय सदस्यों को दी गई थी जिस में कहा गया था कि ३४ के लगभग योजनाएं हैं ।

श्री नानादास : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को इन क्षेत्रों के चुने जाने के सम्बन्ध में कुछ कहना है ?

उपाध्यक्ष महोदय: केन्द्रीय सरकार ने ही तो ये क्षेत्र चुने हैं: और उसे क्या कहना है ?

श्री नानादास: मंत्री महोदय ने कहा है......

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न इतना सामान्य है कि इस का उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री मुनिस्वामी: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस राष्ट्रीय विकास-विस्तार योजना के लिए बहुत से कार्यकर्त्ता भरती करने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो लगभग कितने कार्यकर्त्ता रखे जायेंगे ?

श्री हाथी: मैं नें पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए जिस पुस्तक की चर्चा की थी उस में बताया गया है कि प्रत्येक खण्ड के लिए कितने गांव कार्यकर्त्ता तथा अन्य व्यक्ति चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय: उस दिन भी यह मामला उठा था। माननीय मंत्री ने बताया था कि ३४ या ३५ केन्द्र हैं जहां ट्रेनिंग दी जा रही है कुछ केन्द्र केन्द्रीय सरकार के हैं और कुछ राज्य सरकारों के, आदि आदि।

श्री रघय्या: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि सरकार ने हैदराबाद राज्य में यह योजना लागू करने के लिए यह क्षेत्र चुनते समय किन बातों का ध्यान रखा है ?

उपाध्यक्ष महोदय: इस का भी उत्तर दिया गया था। राज्य कुछ बातों की सिफारिश करते हैं और केन्द्र उन्हें स्वीकार कर लेता है। यह तो बड़ी साधारण बात है। माननीय सदस्य कोई सुझाव दें। इस सम्बन्ध में बहुत सा साहित्य दिया गया है। यह सभी जगह प्रयोग किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यदि माननीय सदस्य इस साहित्य का अध्ययन करें और जो त्रुटियां उन्हें दिखाई दें, उन्हें पूरा करने का सुझाव दें तो सरकार इस बात का स्वागत करेगी। परन्तु सामान्यतः यही प्रश्न पूछने का क्या लाभ है कि "योजना क्या है" यह योजना तो पिछले अक्तूबर से है। अगला प्रश्न।

ऐन्क के शोशों का निर्माण

*७५१. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या ऐनक के शीशों के उत्पादन के लिए कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी टैकनीकल विशेषज्ञ ने इस बात की कार्यता पर कोई पूछ-ताछ की थी कि राष्ट्रीय औजार कारखाने में, इस से सम्बद्ध सामग्री पहुंचा कर ऐनकों के शीशे तैयार किये जा सकते हैं ;

(ग) ऐनकों के शीशे बनाने के अतिरिक्त यह सामग्री और किन वस्तुओं के निर्माण में कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है ; और

(घ) इस मामले में योजना आयोग की सिफारिशें क्या हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) जी हां।

(ख) जी हां ; भारत सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोलम्बू योजना के अन्तर्गत मैसर्ज चान्स ब्रादर्स लिमिटेड के टैकनीकल डायरेक्टर डा० डब्ल्यू एम० हैम्पटन की सेवायें प्राप्त कीं।

(ग) ऐनकों तथा नेत्रसम्बन्धी अन्य उपकरणों के काम में ; मैं यह भी बतला दूं कि युद्ध सामग्री के रूप में यह सामग्री बहुत काम आने वाली है।

(घ) योजना आयोग ने यह सिफारिश की है कि ऐनक शीशा परियोजना को राष्ट्रीय

औजार कारखाने की पुनःसंगठन योजना का एक भाग माना जाना चाहिये ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत से जाते समय डा० हैम्पटन ने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ?

श्री के० सी० रेड्डी : डा० हैम्पटन ने कोई क्रमबद्ध रिपोर्ट नहीं दी है ; किन्तु उन्होंने कई सिफारिशें की हैं ; और सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार भी किया है ; चुनाचि इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार अब उचित टैकनीकल विशेषज्ञों की सक्रिय सहायता प्राप्त करने की कार्यवाही कर रही है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि राष्ट्रीय औजार कारखाने में ऐनकों के शीशे बनाने वाले विभाग को कब स्थापित किया जायेगा ? क्या सरकार को भूमि अर्जित करके वहां भवनों का निर्माण भी करना होगा ? यदि हां, तो उस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस प्रश्न के कुछ भागों का उत्तर इस समय नहीं दिया जा सकता । मेरा विचार है कि इस संयंत्र को लगाने के लिए बड़े बड़े भवनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । कलकत्ता के पास जादवपुर में नये मकान बनाये जा रहे हैं, और इन ही मकानों में यह राष्ट्रीय औजार कारखाना स्थापित किया जायेगा जो इस समय कलकत्ते में है । एक बार इन मकानों के पूरा हो जाने पर हमारे पास काफी जगह रहेगी जिस में ऐनकों के शीशे बनाने वाले विभाग को भी रखा जा सकेगा ।

कुमारी एनी० मस्करीन : इस कारखाने पर कितनी पूंजी लगेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : यदि यह संयंत्र, जैसा इस समय हमारा विचार है, २५ टन सामग्री तैयार कर ले तो इस पर लगभग २२ लाख रुपये का पूंजी व्यय होगा ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह सच है कि साधारण बोतलों में काम आने वाले शीशे को ही बाजार में ऐनकों के शीशे के नाम से बेचा जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस की रोकथाम के लिए कोई कार्यवाही कर चुकी है अथवा करने वाली है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे इस बात का ज्ञान नहीं, किन्तु इस प्रश्न का उचित उत्तर मेरे मान्य सहयोगी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ही दे सकते हैं ?।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या इस समय हमारे देश में कोई कारखाना ऐनक के शीशे बना रहा है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे इस का कोई भी ज्ञान नहीं ।

श्री के० के० बसु । कब यह संयंत्र स्थापित होगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : माननीय सदस्य थोड़ी सी उत्तावली कर रहे हैं । मुझे इस बात का संदेह है क्योंकि अभी हमने इस बात का दृढ़ निश्चय नहीं किया है कि कारखाना स्थापित भी किया जायेगा या नहीं, और यदि किया जायेगा तो किस पद्धित पर । अतः अभी इस बात का उत्तर नहीं दिया जा सकता कि, वास्तव में, कब से यह कारखाना उत्पादन करने लगेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या निकट भविषय में इस ऐनक के शीशे का व्यापार करने के लिये योजना आयोग ने कोई राशि अलग कर रखी है ?

श्री के० सी० रेड्डी : योजना आयोग ने इस बात को भी पंच वर्षीय योजना में शामिल किया है । उन्होंने राष्ट्रीय औजार

कारखाने के पुनः संगठन के लिये लगभग १८२ लाख रुपये की निधि दिला दी है। ऐनकों के शीशे बनाने वाला विभाग भी उसी में सम्मिलित है।

दामोदर घाटी निगम द्वारा पैदा की गई बिजली

*७५२. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) आगामी तीन वर्षों में दामोदर घाटी निगम लगभग कितनी बिजली पैदा कर सकेगी ;

(ख) लगभग कितनी बिजली काम में लाई जायेगी; और

(ग) क्या दामोदर घाटी निगम द्वारा पैदा की जाने वाली बिजली का पूरा पूरा उपयोग कराने के प्रयत्न किये गये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) दामोदर घाटी निगम विद्युत प्रणाली से आगामी तीन वर्षों में बिजली की सामर्थ्य —लगाई गई तथा चालू— इस प्रकार होगी :—

	१९५४-५५	१९५५-५६	१९५६-५७
	एम-डब्ल्यू (व्यूहाण्वीय भार)	एम-डब्ल्यू (. .)	एम-डब्ल्यू (. .)
लगाई गई बिजली की सामर्थ्य	१७७	१९७	२७७
चालू सामर्थ्य	१२६	१३८	१९७

(ख) दामोदर घाटी निगम के बिजली पैदा करने वाले स्टेशनों से कुल जितनी बिजली की अधिकतम मांग की जायेगी, उस का ब्यौरा अनुमान से निम्न में दिया जाता है :

	१९५४-५५	१९५५-५६	१९५६-५७
कुल अधिकतम मांग	एम-डब्ल्यू ११६	एम-डब्ल्यू १३४	एम-डब्ल्यू १४५

(ग) हां, श्रीमान्।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं दामोदर घाटी निगम में पैदा की जाने वाली बिजली का प्रति इकाई उत्पादन-व्यय जान सकता हूं ?

श्री हाथी : लगभग ०.४४ आने।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम में बहुत अधिक उपरि-व्यय हुआ है ?

श्री हाथी : नहीं, यह बात ठीक नहीं।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम के कामों में पूछ-ताछ करने के लिये नियुक्त की गई राव कमेटी ने उपरि-व्यय, विशेषतया विद्युत शक्ति स्टेशन के उपरि-व्यय, कम कराने के कई उपाय सुझाये हैं ?

श्री हाथी : राव कमेटी की रिपोर्ट पर अभी सरकार जांच कर रही है।

श्री ए० एम० टामस : माननीय मंत्री ने हमें बताया है कि अनुमानतः कितनी बिजली

का इस्तेमाल होगा। मैं पूछ सकता हूं कि क्या औद्योगिक सार्थों तथा उपभोक्ताओं द्वारा पहले से की गई मांगों पर ही ये आंकड़े आधारित हैं ?

श्री हाथी : कई मामलों में हम ने औद्योगिक सार्थों की मांगों के आंकड़े लिये, और कई अन्य मामलों में तो ठेके भी पूरे किये जा चुके हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस दामोदर घाटी निगम द्वारा पैदा की जाने वाली इस बिजली से उस क्षेत्र में स्थित गांवों को कहां तक लाभ होगा ?

श्री हाथी : बिहार तथा बंगाल राज्य —अधिकतर बिहार राज्य ही— दामोदर घाटी निगम से बहुत सी विद्युत शक्ति खरीद कर उसे गांव वालों के प्रयोग के लिये मुहैया करेंगे।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जानना चाहती थी कि कितने गांवों को इस से लाभ प्राप्त होगा।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत पैदा की जाने वाली बिजली में से कौन सा उद्योग सब से अधिक बिजली का इस्तेमाल करेगा ?

श्री हाथी : दि ताता आयरन एण्ड स्टील कम्पनी जमशेदपुर।

श्री रघवय्या : सिंचाई के कामों पर कितनी और औद्योगिक कामों पर कितनी बिजली काम में लाई जाती है।

श्री हाथी : मैं सही ढंग से इस के विभाजन के आंकड़े नहीं दे सकता।

श्री जयपाल सिंह : माननीय मंत्री ने बताया कि पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्य बहुत बड़े अंश में बिजली खरीदेंगे। क्या इस का यह अर्थ है कि अभी तक उन के पास कुछ भी नहीं है ?

श्री हाथी : इस समय बिहार सरकार के पास हजारीबाग तथा अन्य जगहों के लिये बिजली मौजूद है। किन्तु यह आने वाले कुछ एक वर्षों का कार्यक्रम है। मैं तो भविष्य की बता रहा था।

बाबू रामनारायण सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि बिहार सरकार उपभोक्ताओं से दामोदर घाटी निगम वालों की दरों की अपेक्षा अधिक दर लेती है ?

श्री हाथी : आज से तीन दिन पहले माननीय सदस्य ने यही प्रश्न किया था ? अभी तक मेरे पास इस बात की कोई भी सूचना नहीं आई है कि बिहार सरकार की दरें क्या हैं।

श्री झुनझुनवाला : चूंकि उत्तर से हमें यह पता चला है कि प्रति इकाई उत्पादन-व्यय ०.४४ आने होगा, अतः क्या मैं जान सकता हूं कि जब यह संयंत्र अपने पूरे जोर पर काम चालू करेगा तो उपभोक्ताओं को इस समय मूहैया की जाने वाली बिजली को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार को लाभ होगा अथवा हानि ?

श्री हाथी : स्वाभाविक बात है कि दामोदर घाटी निगम को कुछ लाभ होगा।

श्री सारंगधर दास : क्या ताता आयरन एण्ड स्टील कम्पनी अपनी आवश्यकताओं के लिये दामोदर घाटी निगम के साथ ठेका कर चुकी है ?

श्री हाथी : ठेके की बात चीत हो रही है।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि पैदा की गई बिजली का कितना प्रतिशत भाग विविध उद्योगों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है, और क्या उन के उपयोग के लिये कोई निर्माण-कार्य प्रारम्भ हुआ है ?

श्री हाथी: मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

बाबू रामनरायण सिंह खड़ हुए--

उपाध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न । मैं तो माननीय सदस्य को दो एक प्रश्न पूछने का अवसर दे चुका हूं । मैं इस प्रश्न पर कितने प्रश्न पूछे जाने की आज्ञा दे सकूंगा ?

अगला प्रश्न ।

दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय

*७५३. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय के सम्बध में कोई अन्तिम निश्चय हो पाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस का स्थान कहां होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) अभी नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एल० एन० मिश्र: क्या यह सच है कि १९४८ में उक्त निगम ने यह निश्चय किया था कि इस का मुख्यालय रांची में होगा, और वहां उस स्थान पर कई लाख रुपये की भवन-निर्माण सामग्री पहुंचाई भी गई ?

श्री हाथी: उसे अन्तिम निश्चय नहीं माना गया ।

श्री एल० एन० मिश्र: क्या सरकार को प्राक्कलन समिति की इस सिफारिश का ज्ञान है कि कलकत्ता में मुख्यालय बनाने में कोई भी तुक नहीं है ?

श्री हाथी: यह सही है कि मुख्यालय घाटी क्षेत्र में ही कहीं पर बनाया जाना चाहिये ।

श्री जयपाल सिंह: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि रांची में मुख्यालय स्थापित करने का प्रारम्भिक विचार क्यों छोड़ा गया है ?

श्री हाथी: श्रीमान् इसे छोड़ा नहीं गया है । यह मामला राव कमेटी को भी सौंपा गया था । उन्हों ने कई सिफारिशें की हैं और अन्ततः राज्य अधिवेशन में उन पर बहस की जायेगी ।

श्री जयपाल सिंह: क्या मैं यही समझूंगा कि 'घाटी' शब्द में रांची भी शामिल है ?

श्री हाथी: हां, इस में शामिल होगा ।

बाबू रामनारायण सिंह: श्रीमान्, किन बातों के आधार पर दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय को चुना गया ?

श्री हाथी: यह तो स्वाभाविक है कि मुख्यालय का स्थान घाटी क्षेत्र के निकट ही चुना जायेगा ।

श्री एल० एन० मिश्र: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार कितने समय तक निश्चय करेगी ?

श्री हाथी: आज मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि किस दिनांक तक इस के सम्बन्ध में निश्चय किया जायेगा । इस अधिवेशन को दो एक मासों में ही योजित किया जायेगा ।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राव कमेटी ने क्या रिकमैंड किया है, हैडक्वार्टर कहां रखा जाये ?

श्री हाथी: सरकार अभी भी रिपोर्ट की जांच कर रही है ।

सामुदायिक परियोजना व्यवस्थापन

*७५४. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सामुदायिक परियोजना व्यवस्थापन में सड़क निर्माण संस्था का क्या प्रतिनिधित्व है; और

(ख) आज तक कितने प्रतिनिधियों को लिया जा चुका है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) सड़क निर्माण संस्था का एक पदाधिकारी सामुदायिक परियोजना व्यवस्थापन की परामर्शदात्री समिति का सदस्य है ।

(ख) एक ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि उक्त व्यवस्थापन में लिये गये इस प्रतिनिधि पदाधिकारी की पदवी क्या है ?

श्री हाथी : वह एक परामर्शदाता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि सड़क-निर्माण-संस्था में उस की क्या पदवी है ।

श्री हाथी : मेरे विचार में वह एक इंजीनियर है ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या राज्यों में भी सड़क निर्माण संस्था की ओर से प्रतिनिधि भेजे जाने की कोई व्यवस्था है ?

श्री हाथी : नहीं, श्रीमान् ।

"नया निशान" नाटक

*७५५. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** (क) क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पाकिस्तानी रंगमंच पर "नया निशान" नाटक के खेले जाने पर भारत सरकार ने विरोध किया था ?

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण थे ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख) फरवरी, १९५२ को कराची में जो "नया निशान" नाटक खेला गया, उस पर भारत सरकार ने इसलिये पाकिस्तान सरकार के समक्ष विरोध किया था क्योंकि यह नाटक बहुत ही उत्तेजक था और इस से भारत तथा यहां के नेताओं के खिलाफ वहां के लोगों की सांप्रदायिक भावनायें उत्तेजित हो जाती थीं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस विरोध के क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : चित्र पर प्रतिबन्ध लगा दिया था और हमें इस की सूचना मार्च, १९५३ में दी गई थी ।

श्रीमती ए० काले : क्या में जान सकती हूं कि इस ड्रामे का लेखक कौन था ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे खेद है कि मेरे पास इस की कोई जानकारी नहीं है ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस चित्र का प्रदर्शन विरोध के उपरांत भी हुआ था ?

श्री अनिल के० चन्दा : नहीं । सरकार ने इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया था ।

नयी सामुदायिक योजना सम्बन्धी कार्य

*७५६. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **योजना** मंत्री २२ अप्रैल १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५२१ सामुदायिक योजना सम्बन्धी कार्यों के लिये नये क्षेत्रों के चुनाव के सम्बन्ध में दिय गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक योजना सम्बन्धी कार्यों के लिये नये क्षेत्रों के चुनाव करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से प्रस्ताव आ गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या चुनाव कर लिया गया है ?

(ग) नयी सामुदायिक योजना सम्बन्धी कार्यों की संख्या कितनी है एवं विभिन्न राज्यों में उस का बंटवारा किस प्रकार हुआ है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) ५५ विकास क्षेत्र। विवरण सदन पटल पर प्रस्तुत है **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८]**

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि ये सभी परियोजनायें जिन का चुनाव किया गया है सामुदायिक परियोजना के अन्तर्गत आती हैं अथवा विकास सेवा के अन्तर्गत ।

श्री हाथी : ये सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत आती हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं इन नई परियोजनाओं पर जिन का कि चुनाव किया गया है अनुमानित व्यय कितना होगा ?

श्री हाथी : एक परियोजना पर ४५ लाख रुपया ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि इन परियोजनाओं के लिये क्या कोई विदेशी सहायता मिली है ?

श्री हाथी : यह समझौता संख्या ८ में निहित है जो कि पटल पर प्रस्तुत है ।

श्री पुन्नूस : विवरण में बताया है कि त्रावनकोर कोचीन में एक नई सामुदायिक योजना चालू करने का प्रस्ताव किया गया है। पिछली बार २२ अप्रैल १९५३ को उन्हों ने अपने उत्तर में कहा था कि राज्य में दो परियोजनायें चालू करने का प्रस्ताव किया गया था। अब केवल एक का ही चुनाव किया गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि दूसरी को क्यों छोड़ दिया गया और वह कौन सी है जिस का अब चुनाव किया गया है ?

श्री हाथी : उस पर विचार किया गया था अब उस के बारे में अंतिम निर्णय हो गया है ।

श्री पुन्नूस : वह कौन सी परियोजना है जिसे स्वीकार किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह स्थान का नाम जानना चाहते हैं ?

श्री हाथी : अम्बलापुजा को स्वीकार किया गया है । राज्य सरकार ने उसे ही प्राथमिकता दी थी ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि इन सामुदायिक परियोजनाओं का चुनाव करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को क्या अनुदेश दिये गये थे और क्या उन आदेशों का राज्य सरकारों द्वारा अनुसरण किया गया है ?

श्री हाथी : स्वाभाविक बात है । राज्य सरकारों को अनुदेश दिये गये थे और इन क्षेत्रों का चुनाव करते समय उन पर विचार किया गया है ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि उड़ीसा में वे कौन कौन से स्थान हैं जहां पर कि इन योजनाओं को चालू किया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि पटल पर विवरण रखा होगा ।

श्री हाथी : मैं पटल पर विवरण प्रस्तुत करूंगा। उड़ीसा के पुरी जिले में सुन्दरगढ़ तथा नयागढ़ क्षेत्र है ।

कुमारी एनो० मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि त्रावनकोर-कोचीन में अम्बला-पुजा में चालू की गई ठीक योजना क्या है ?

श्री हाथी : माननीय सदस्यों को परि-योजनाओं के सम्बन्ध में कि उन का सही रूप क्या है इस के बारे में उन्हें सम्पूर्ण साहित्य भेज दिया गया है ।

श्री रघुरामय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि इन स्थानों का चुनाव करते समय सदैव अकाल पड़ने वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है ।

श्री हाथी : पिछड़े क्षेत्रों के लिये इस का विचार रखा गया है । उस के उपरान्त सिंचाई आदि सम्बन्धी सभी बातों का विचार किया गया है ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री ने बताया है कि त्रावनकोर-कोचीन में किसी स्थान पर योजना की स्वीकृति दी गई है । मेरा विचार है कि यह अम्बलापुज़ा है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना के लिये कुल कितना धन स्वीकृत हुआ है ?

श्री हाथी : जैसा कि मैं ने कहा कि तीनों क्षेत्रों के लिये ४५ लाख रुपया है ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं जान सकता हूं कि नये क्षेत्रों का चुनाव करने में कितने मामले ऐसे हैं जिन में राज्य सरकारों की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है ?

श्री हाथी : मुझे पूर्व सूचना मिलनी चाहिये क्योंकि यह विस्तृत बात है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन सामुदायिक योजनाओ के दुबारा के बटवारे में कुछ जिलों तथा क्षत्रों उदाहरणत: सलेम में कोई परियोजना नहीं चालू की जायेगी । यदि हां तो क्या सरकार कोई आश्वासन देगी कि इन जिलों में जिन में कि परियोजना के लिये कोई चुनाव नहीं किया गया है तो कम से कम परियोजना बटवारे के तीसरे चक्कर में उन के यहां परियोजनायें चालू की जायेंगी ।

श्री हाथी : साधारण तौर पर चुनाव राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है ।

जस्ता पिघलाने का संयंत्र

*७५७. **श्री गिडवानी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि कच्चा जस्ता बेलजियम भेजा गया है क्योंकि उस के पिघलाने के लिये देश में कोई संयंत्र नहीं है ?

(ख) क्या केन्द्रीय जस्ता समिति ने जस्ता संयंत्र लगाने की सिफारिश की है ?

(ग) यदि हां, तो वह प्रस्तावित संयंत्र कब लगेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं । भूतकाल में संकेन्द्रित जस्ते को सुधारने के लिये हालैंड फ्रांस तथा जर्मनी भेजा गया था ।

(ख) जस्ता पिघलाने वाले संयंत्र लगाने की सिफारिश समिति ने की है । किन्तु वह भी विस्तृत खोज हो जाने के उपरान्त ।

(ग) यह मामला सरकार के विचारा-धीन है ।

श्री गिडवानी : क्या मैं जान सकता हूं कि सकेन्द्रित जस्ते की मात्रा क्या थी जिस का कि निर्यात किया गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास सम्पूर्ण मात्रा का ब्यौरा है किन्तु अलग अलग भागों में नहीं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय उद्योगों के लिये धातु रूप में कितने जस्ते की वार्षिक आवश्यकता पड़ती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि सस्ती बिजली मिलने के सम्बन्ध में जो लम्बे चौड़े दावे किये गये हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने बिजली प्रणाली के द्वारा जस्ता धातु बनाने के लिये संयंत्र लगाने के सम्बन्ध में भी विचार किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार से तो सरकार ऐसी किसी परियोजना पर विचार नहीं कर रही है और न सरकार ने कभी ऐसे लम्बे चौड़े दावे किये हैं ।

श्री जयपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हुं कि क्या भारतीय तांबा निगम ने मौभंदर में जस्ता सुधारने का काम चालू किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री हेडा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार अपना संयंत्र चालू करने का विचार रखती है अथवा निजी क्षेत्रों को इस कार्य के लिये आमंत्रित करेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस मामले पर विचार हो रहा है । मैं अभी यह नहीं कह सकता कि यह संयंत्र सरकार का अपना होगा, अथवा इस में सरकार भागीदार होगी अथवा सम्पूर्ण रूप से यह निजी व्यक्तियों का होगा ।

श्री रघवय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि फ्रांस हालैंड तथा अन्य दूसरे देशों को कितनी मात्रा भेजी गई ?

उपाध्यक्ष महोदय : फ्रांस, हालैंड आदि को भेजी जाने वाली मात्रा के सम्बन्ध में उन के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने कहा है कि मेरे पास अलग अलग आंकड़े नहीं हैं । वर्ष १९५२ में कुल ४५५० टन भेजा गया है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार इस के लिये कोई विशेष प्रकार के संयंत्र लगाने का है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जब कि यह मामला विचाराधीन है तो इस की किस्म के बारे में माननीय सदस्य को कुछ बताना कठिन है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं ने तो यह पूछा था कि क्या सरकार का ऐसा विचार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन के पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है : प्रश्न काल अब समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पंजाब में राष्ट्रीय विकास सेवा

*७४५. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब का कौनसा भाग राष्ट्रीय विकास सेवा के अन्तर्गत आयगा ?

(ख) क्या होशियारपुर, कांगड़ा तथा गुरुदासपुर के पिछड़े जिलों को भी इस योजना में सम्मिलित करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय विकास सेवा क्षेत्रों के लिये क्षेत्रों का चुनाव राज्य

सरकार के प्रस्ताव के आधार पर होगा जिन की प्रतीक्षा है ।

भारत वर्ष में जापानी सम्पत्ति के सम्बन्ध में दावे

*७५८. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई स्थित शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक के पास भारत तथा जापान के बीच हुए समझौते के अनुच्छेद ८(क) के अन्तर्गत भारतीयों द्वारा किये गये दावों के कितने प्रार्थना पत्र आये हैं ?

(ख) इस प्रकार के दावे करने के लिये क्या कोई अवधि सीमा नियत की गई है ?

(ग) उन भारतीयों को जिन्हों ने बहुत दिन हुए तब अपने दावे किये थे, अथवा विदेशों में सम्बन्धित प्रतिनिधियों को जिन्हों ने अपने प्रार्थना पत्र भेजे थे उन को क्या फिर से अपने दावे करने होंगे ?

(घ) इन दावों के प्रार्थना पत्रों की सुनवाई या उन पर विचार कब होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) ६४४ ।

(ख) शान्ति समझौते में इस प्रकार के दावों के लिये कोई अवधि सीमा निश्चित नहीं की गई है किन्तु प्रशासन सम्बन्धी आधारों पर सरकार ने ३१ दिसम्बर १९५३ अन्तिम तिथि रख दी है । जब तक कि बम्बई स्थित शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक ऐसे प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करेंगे ।

(ग) जी हां ।

(घ) जैसे ही प्रार्थना पत्र आते हैं तो उन की जांच की जाती है; किन्तु जापानी अधिकारियों को इन प्रार्थना पत्रों को अन्तिम तिथि की समाप्ति के उपरान्त ही दिया जायेगा, जिस का उल्लेख मैं प्रश्न के भाग २ के उत्तर में दे चुका हूं ।

कोयला धोने के कारखाने

*७५९. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२-५३ में विदेशों को कितना धुला हुआ तथा कितना बिना धुला हुआ कोयला भेजा गया ?

(ख) वह कौन सा स्थान है जहां धुले हुए कोयले की ही मांग है ?

(ग) क्या सरकार का विचार अपने केन्द्रीय धोने के कारखाने बनाने का है ?

(घ) यदि हां तो

(१) कब

(२) कहां, तथा

(३) उस की लागत क्या होगी ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) धुला हुआ कोयला बिल्कुल नहीं भेजा गया । बिना धुला हुआ कोयला जो कि भेजा गया उस की मात्रा लगभग २,९२५,५०० टन है । सरकार को प्राप्य जानकारी से यह प्रकट नहीं होता कि किसी देश ने केवल धुला हुआ ही कोयला मांगा हो ।

(ख) धुले हुए कोयले की मांग जापान, आस्ट्रेलिया तथा श्री लंका की है किन्तु ये देश बिना धुला हुआ कोयला भी मांगते हैं ।

(ग) ऐसा प्रस्ताव इस समय कोई नहीं है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

कपड़ा नियंत्रण समिति

*७६०. **श्री गिडवानी :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि कपड़ा नियंत्रण समिति की एक बैठक श्री मुरार जी

देसाई के सभापतित्व में १५ जून १९५३ को बम्बई में हुई थी ?

(ख) उस समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई थीं ?

(ग) क्या सरकार ने सिफारिशों पर विचार किया है ?

(घ) यदि किया है तो उन के सम्बन्ध में उस का क्या निर्णय है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) समिति की सिफारिशें ये थीं :—

(१) कपड़े और सूत पर से नियंत्रण हटा लिया जाना चाहिये;

(२) मिलों द्वारा आज कल जितनी विवरणियां कपड़ा आयुक्त, बम्बई को भेजी जाती हैं, उन की संख्या कम की जानी चाहियें !

(३) कपड़ों की गांठों को उठाने के लिये हुकों के प्रयोग से कपड़े को पहुंचने वाली क्षत्ति को रोकना ।

(ग) और (घ). (१) कपड़े और सूत के मूल्यों और वितरण पर से नियंत्रण हटा लिया गया है ।

(२) अन्य सिफारिशों पर भी कार्यवाही की गई है और विवरणियों की संख्या ३५ से घटा कर २७ कर दी गई है । इस प्रश्न की और परीक्षा की जा रही है ।

(३) गांठों को उठाने के लिये हुकों के प्रयोग से बचाने के लिये मिलों को यह निदेश भी जारी किये गये हैं कि यदि आवश्यकता हो, तो कपड़े को आधी अथवा चौथाई गांठों में बांधे ।

अहमदाबाद की कपड़ा मिलें

*७६१. **श्री के० जी० देशमुख** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में कच्ची रूई और कोयला की कमी है ;

(ख) क्या इस कमी के कारण मिल मालिकों ने मिलों को चलाने में असमर्थता प्रकट की है; और

(ग) इस कथित कमी के कारण ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). कुछ मिलों ने यह शिकायत की थी कि यातायात की कठिनाइयों के कारण रूई और कोयले के संभरण अपर्याप्त थे । अब स्थिति सुधर गई है ।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को ऋण

*७६२. **श्री बोरेन दत्त** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्ति उत्पादक कार्यों में प्रयोग करने के लिये एक ही किस्त में ऋण मांगते हैं ;

(ख) क्या वे ऋण उसी दर पर मांगते हैं, जिस पर वह पंजाब में दिया जाता है; और

(ग) क्या इस दिशा में सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार करती है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय वह सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

संयुक्त राष्ट्रीय सचिवालय

*७६३. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि अमरीकी सरकार ने संयुक्त राष्ट्रीय सचिवालय के गैर अमरीकी सदस्यों से, जिस में भारतीय भी सम्मिलित

हैं, सरकारी तौर पर यह कहा है कि यदि वे संयुक्त राष्ट्र में वे अपना वर्तमान पद बनाये रखना चाहते हैं तो उन्हें अपने स्वदेश जाने के लिये मिलने वाली छुट्टी से वंचित होना पड़ेगा ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : उत्तर नकारात्मक है ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन

*७६५. **श्री एस० एन० दास** : (क) क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री** पहली अप्रैल, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८४३ के उत्तर की ओर निर्देश करेंगे और बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रस्तावित राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन स्थापित हो गया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो यह संगठन किस प्रकार का है ?

(ग) इस संगठन का आवर्तक और अनावर्तक व्यय क्या होगा ?

(घ) प्रथम वर्ष के लिये उस का कार्यक्रम क्या है ?

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जैसा कि ११ अगस्त, १९५३ को, तारांकित प्रश्न संख्या ३५८ के उत्तर में, बताया जा चुका है, प्रस्तावित भवन निर्माण संगठन के, चालू वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही, स्थापित होने की आशा है ।

(ख) उस संगठन का वास्तविक संविधान और विस्तृत ढ़ांचा अभी तक विचाराधीन है :

(ग) अभी संभावित व्यय के कोई आंकड़े देना कठिन है ।

(घ) इस देश की और विदेशों की भी भवन निर्माण संबंधी सामग्रियों, तथा भवन निर्माण के तरीकों में होने वाले अनुसन्धान को समन्वित करना और ऐसे अनुसन्धानों के परिणामों को सार्वजनिक और व्यक्तिगत भवन-निर्माण उद्योग को सुलभ रूप में उपलब्ध करना ।

क्रूप्प-रेन प्रणाली

*७६६. **श्री टी० के० चौधरी** : (क) क्या **उत्पादन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि सरकार क्रुप की जर्मन इस्पात फर्म अथवा किसी अन्य जर्मन फर्म के साथ कोक कोयले के प्रयोग को समाप्त करने के लिये, अपने आयोजित इस्पात-संयंत्र में इस्पात उत्पादन की क्रुप-रेन प्रणाली को काम में लाने के बारे में बात चीत कर रही है ?

(ख) क्या सरकार ने इस देश में अपने आयोजित इस्पात संयंत्र में इस को या अन्य किसी प्रणाली को काम में लाने के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) और (ख). अभी हाल में जर्मन फर्मों के साथ प्रविधिक तथा आर्थिक सहयोग के लिये जो बात चीत हुई थी, और जिस के फलस्वरूप भारत सरकार तथा सर्वश्री क्रुप्स और डेमाग के बीच १५ अगस्त, १९५३ को एक करार हुआ था, वह नये संयंत्र के लिये क्रुप-रेन प्रणाली स्वीकार किये जाने के आधार पर नहीं हुई थी । कौन सी विशेष प्रणाली काम में लाई जायेगी, यह चीज़ बाद में, प्राविधिक विचारों के आधार पर, तय की जायेगी । लोहे और इस्पात की परियोजना के लिये क्रुप-रेन प्रणाली की उपयुक्तता की जांच १९५२ में की गई थी और तब यह समझा गया था कि कदाचित यह प्रणाली भारतीय दशाओं के लिये उपयुक्त नहीं होगी ।

नीलोखेड़ी परियोजना

*७६७. **श्री हेम राज** : (क) क्या **योजना** मंत्री नीलोखेड़ी परियोजना पर अब तक व्यय की गई धन राशि बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) इस परियोजना से कितने लोगों को लाभ पहुंचा है ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि उस स्थान पर बेकारी फैली हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) लगभग एक करोड़ रुपया ।

(ख) बस्ती के लगभग ७,००० निवासियों को, पालीटेकनीक से आये हुए २,६२० प्रशिक्षित शिल्पियों को (टेकनीशियन्स) और पास पड़ौस के गांवों के लोगों को ।

(ग) नहीं ।

कपड़ा-आयुक्त का विदेशों में भ्रमण

*७६८. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार के कपड़ा-आयुक्त को, विदेशों में कपड़ाउद्योग के विकास का अध्ययन करने के लिये, विदेश भेजा गया है ?

(ख) किन मुख्य अध्ययन-विषयों के लिये इस भ्रमण का प्रबन्ध किया गया है ?

(ग) कपड़ाआयुक्त ने किन किन देशों का भ्रमण किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ग). हां, श्रीमान् । उन्हों ने ब्रिटेन का भ्रमण कर लिया है और शीघ्र ही जापान जायेंगे ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९]**

कच्चा लोहा और मैंगनीज़

*७६९. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि सरकार ने कच्चे लोहे और कच्चे मैंगनीज के निर्यात के लिये लाइसेंस देने की प्रणाली को परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखा है ?

(ख) यदि ऐसा है तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या इन वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगे हुए हैं ?

(घ) यदि ऐसा है तो, ये प्रतिबन्ध क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) व्यापार के और अधिक न्यायोचित वितरण की व्यवस्था करने तथा माल के डिब्बों की सीमित उपलब्धता बन्दरगाह के क्षेत्रों में स्थान, नौपरिवहन के अवसरों और अन्य इसी प्रकार की चीजों से उत्पन्न हुए कहे जाने वाले अन्यायों को दूर करने के लिये, सरकार निर्यात के लिये लाइसेन्स देने की प्रणाली को परिवर्तित करने के प्रश्न पर सोच विचार कर रही है । सरकार ने अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है ।

(ग) और (घ). कच्चे लोहे और निम्न श्रेणी के कच्चे मैंगनीज के लिये मुक्त रूप से लाइसेन्स दिये गये हैं, जब कि उच्च श्रेणी के कच्चे मैंगनीज का निर्यात एक निश्चित वार्षिक मात्रा के अन्दर स्वीकार किया गया है ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

*७७०. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विशाखापटनम के शिपयार्ड के पुनर्गठन और विकास के सम्बन्ध में फ्रांसीसी फर्म ने अपने प्रतिवेदनों में जो सिफारिशें की थीं, क्या वे क्रियान्वित

की गई हैं, और यदि की गई हैं, तो कहां तक ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): फ्रांसीसी फर्म ने शिपयार्ड के आधुनिक तरीकों पर विकास के लिये एक प्रारंभिक प्रतिवेदन भेजा है। इस का, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के निदेशक मण्डल की एक उप समिति ने भली प्रकार अध्ययन किया था। और निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत सिफारिशें भारत सरकार को प्राप्त हुई थीं। शिपयार्ड के प्रबन्धकों से लागत के पूरे अनुमान तैयार करने की प्रार्थना की गई है ताकि सरकार प्रस्तावों पर शीघ्र विचार कर सके। आगे की कार्यवाही शिपयार्ड कम्पनी के प्रबन्धकों के पास से अपेक्षित सूचना प्राप्त होने के बाद की जायेगी।

आसाम को उर्वरक का भेजा जाना

*७७१. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिन्द्री के कारखाने से आसाम को कितना उर्वरक कटिहार-सिलीगुडी रेलमार्ग से और कितना कलकत्ता गोहाटी रेल तथा स्टीमर मार्ग से भेजा जाता है ?

(ख) सिन्दरी से तिनसुकिया के लिये दोनों मार्गों के प्रति टन भाड़े में क्या अन्तर है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) सिन्द्री कारखाने ने अभी तक आसाम को पूरी तौर पर रेल मार्ग से लगभग २६०० टन अमोनियम सल्फेट भेजा है और रेल तथा नदी मार्ग से कुछ भी नहीं भेजा गया है शायद सिन्द्री उर्वरक की कुछ मात्रा आसाम को खाद मिश्रण करने वाले फर्मों द्वारा कलकत्ता से बाद वाले मार्ग से भेजी गई हो, किन्तु इस सम्बन्ध में जानकारी, सरलता से प्राप्य नहीं होती

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन-पटक पर रख दी जायेगी।

चाय के भाव

*७७२. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** (क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता और लन्दन केन्द्रों में १९५२ और १९५३ (आज की तिथी तक) में चाय का औसत भाव क्या था ?

(ख) उस औद्योग को १९५२ और १९५३ में सहायता देने के लिये क्या उपाय किए गए थे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). विवरण सदन पटल पर रखे गये हैं। **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०]**

निष्क्रान्त औद्योगिक प्रतिष्ठान

*७७३. **सरदार अकरपुरी :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पंजाब सरकार ने भावों की वर्तमान गिरावट और किरायेदारों की अधिक किराया देने में असमर्थता अनुभव करते हुए भारत सरकार से यह सिफारिश की है कि विस्थापित औद्योगिकों को दिये गये निष्क्रान्त औद्योगिक प्रतिष्ठान के किराये में पचास प्रतिशत की छूट दी जाये; और

(ख) यदि यह सही है तो क्या पंजाब सरकार की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) हां, इस दिशा में पंजाब सरकार से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं जिन्हें प्रकट करना जनहित के विरुद्ध है ?

(ख) हां।

लाजपत राय मार्केट

*७७४. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर** (क) क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली के लाजपत राय मार्केट को गिरा रही है ?

(ख) यदि यह सही है तो वे उसे कब गिराने का इरादा रखते हैं ?

(ग) सरकार के पास उक्त बाज़ार के व्यापारियों को अन्यत्र कहां दूकानें देने का प्रस्ताव है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : वर्तमान लाजपतराय मार्केट के स्थान पर पक्का मारकेट बनाने के सम्बन्ध में एक योजना विचाराधीन है किन्तु इस योजना की विस्तृत रूप रेखा अभी तैयार नहीं की गई है ।

'कुछ शेष नहीं' प्रमाण पत्र

*७७५. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर** : क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गत पांच वर्षों में ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जब कि छः महीने से अधिक समय से सम्पदा कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा 'कुछ शेष नहीं' प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया जो कि प्रायः सेवा निवृत्ति वेतन पर जाने वाले व्यक्तियों से मांगे जाते हैं; और

(ख) वे परिस्थितियां जिन के परिणाम-स्वरूप उक्त प्रमाणपत्रों को जारी करने का कार्य इतनी लम्बी अवधि तक रोक रखा गया ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) चूंकि सेवा वृत्ति वेतन पर जाने और 'कुछ शेष नहीं' प्रमाण-पत्र चाहने वाले व्यक्तियों का स्वतंत्र वर्णन नहीं रखा जाता है मुझे खेद है कि मैं पिछले वर्षों के विषय मे पूछे गये आंकड़ें बताने की स्थिति में नहीं हूं । वर्तमान में इस तरह के केवल तीन प्रश्न हैं जो छः महीने से अधिक पुराने हैं ।

(ख) भवन प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा बकाया रकम का निपटारा करने पर ही 'कुछ शेष नहीं' प्रमाणपत्र जारी किये जाते हैं । सेवा निवृत पदाधिकारियों को किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े इस दृष्टि से यह निश्चय किया गया हैं कि बिना 'कुछ शेष नहीं' प्रमाण पत्रों के जारी किये भी निवृत्ति वेतन के दावे इस शर्त पर तय किये जा सकते हैं कि वे भविष्य के किसी भी दावे के लिये किसी स्थायी सरकारी कर्मचारी की ओर से सुरक्षा-पत्र प्रस्तुत कर दें ।

बिहार के लिये विकास खंड

*७७६. **श्री एस० एन० दास** : (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना के अन्तर्गत १९५३-५४ के लिये बिहार राज्य में आवंटन किये गये विकास खंडों की संख्या क्या है ?

(ख) जहां विस्तार खंडों का काम पहले से ही किया जा रहा है वे कौन से क्षेत्र हैं और उन की सख्या क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) १४ ।

(ख) यह कार्य दिनांक २ अक्तूबर, १९५३ से प्रारम्भ होगा ।

नन्दी-कुड-सिद्धेश्वरम् पुलीचन्तला योजना

*७७७. **श्री एस० वी० एस० नरसिंहम** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मद्रास और हैदराबाद की सरकारों ने कृष्णा नदी के जल का उपयोग करने के लिये नन्दी-कुड-सिद्धेश्वरम् पुली

चन्ताला योजना के सम्बन्ध में की गई अपनी जांच के परिणाम प्रस्तुत कर दिये हैं; और

(ख) क्या उक्त विवरण की एक प्रति सदन पटल पर रखी जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है ।

उत्तर प्रदेश में कोयले की पूर्ति

*७७८. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में कोयले की पूर्ति के अभ्यंश में १९५३ में कमी कर दी गई है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): नहीं ।

तेल का यातायात

[*७७९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालटैक्स कम्पनी के साथ हुए करारनामे के अनुसार भारतीय टेन्करों का प्रयोग तेल के यातायात में किया जायेगा;

(ख) क्या भारत में ४० लाख टन तेल का आयात होता है ;

(ग) इतने तेल के लाने के लिये आवश्यक टेंकरों की संख्या; तथा

(घ) इस समय प्रति टन ढुलाई का क्या किराया पड़ता है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) हां, श्रीमान् । करारनामे के अनुसार यदि कालटैक्स चाहे तो प्राप्त होने पर भारत सरकार के टैन्करों का उपयोग कर सकते हैं ।

(ख) मुख्य पैट्रोलियम उत्पादन का वर्तमान आयात लगभग ३०.५ लाख टन प्रति वर्ष है ।

(ग) सामान्यतया पच्चीस टैन्करों के लगभग ।

(घ) सदन पटल पर विवरणपत्र रखा जाता है ।

विवरण

अबादान से भारतीय बंदरगाहों तक समुद्री भाड़े की दरें निम्न हैं :

	काला तैल रू०	सफेद तैल रू०
अबादान से बम्बई	२०-३-० प्रति टन	२०-६-० प्रति टन
अबादान से मद्रास	३०-३-० प्रति टन	३०-३-० प्रति टन
अबादात से कलकत्ता	३५-३-० प्रति टन	३५-६-० प्रति टन

टिप्पणी : चूंकि हमें अबादान से तेल प्राप्त नहीं हो रहा है, उपर्वर्णित निर्धारित शुल्क में अधिक दूरस्थ स्थानों से तैल लाने में कम्पनी द्वारा वहन किया गया अतिरिक्त शुल्क भी सम्मिलित है ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

*७८१. **श्री आर० के० चौधरी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री उन के स्वयं के उस संशोधन की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे जो उन्हों ने दिनांक २९ जुलाई,

१९५२ को केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम के सम्बन्ध में रखा था कि गत बारह महीनों में बोर्ड की एक भी बैठक नहीं हुई और बतलायेंगे :

(क) क्या यह सच है कि वक्तव्य देने के पश्चात् बोर्ड की केवल एक बैठक हुई थी और वह भी सितम्बर १९५२ में,

(ख) यदि यह सही है तो इतने लम्बे समय तक बोर्ड की एक भी बैठक क्यों नहीं हुई;

(ग) क्या यह सच है कि सितम्बर १९५२ की उक्त बैठक में सन्सद् के एक भी सदस्य को आमंत्रित नहीं किया गया ;

(घ) यदि यह सही है तो उस के क्या कारण हैं;

(ङ) इस वर्ष संसद् से चार सदस्यों निर्वाचित होने के पश्चात् क्या बोर्ड की कोई बैठक आयोजित की गई थी;

(च) यदि नहीं तो उस के क्या कारण हैं;

(छ) क्या बोर्ड की स्थायी समिति में कोई संसद् सदस्य है;

(ज) यदि नहीं तो उस के क्या कारण हैं;

(झ) क्या संसद् के सदस्यों को बोर्ड के कार्यों का नियमित समय पर परिनिरीक्षण करने के अवसर प्रदान करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(ञ) यदि ऐसा किया गया है तो वे कौन से कार्य हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने पिछले वर्ष सितम्बर की अपनी सामान्य सभा में अपने सम्पूर्ण अधिकार एक वर्ष के लिये बोर्ड की स्थायी समिति को दे दिये क्योंकि सामान्य सभा की प्रायः बैठक सम्भव नहीं थी ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) बोर्ड की बैठक के पश्चात् ही संसद् के सदस्य निर्वाचित किये गये थे ।

(ङ) नहीं, श्रीमान् ।

(च) प्रश्न के (ख) भाग के उत्तर में कारण बताये गये हैं ।

(छ) नहीं, श्रीमान् ।

(ज) अधिनियम के अन्तकर्गत सामान्य निकाय ही स्थायी समिति का गठन कर सकती है । चूंकि संसद् के सदस्य बोर्ड की सितम्बर, १९५२ की बैठक के बाद ही निर्वाचित किये गये थे उन में से कोई भी समिति में स्थान प्राप्त नहीं कर सके ।

(झ) और (ञ). बोर्ड द्वारा प्रसारित किये गये विवरण और बुलेटिन सदन पटल पर रखे गये हैं और वे संसद् के पुस्ताकालय में भी हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई प्रतियां-देखिये सं०.....]**

संगमरमर

३९६. श्री बलवन्त सिंह मेहता : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों से संगमरमर के आयात पर से प्रतिबन्ध उठा लिये गये हैं और अभिज्ञप्तियां जारी की गई हैं;

(ख) हमारे देश की संगमरमर की कुल औसत आवश्यकता कितनी है ;

(ग) स्थानीय उत्पादन द्वारा उस की कितनी पूर्ति होती है;

(घ) हमारे देश में संगमरमर के कौन से प्रमुख साधन उपलब्ध हैं;

(ङ) उक्त साधन कहां स्थिति हैं; और

(च) क्या सरकार केवल विशिष्ट प्रकार के संगमरमर के आयात की अनुमति देती है अथवा सभी प्रकार के संगमरमर की ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करभरकर) : जनवरी-जून १९५३ की गत अभिज्ञप्त-अवधि में संगमरमर के आयात पर प्रतिबन्ध नहीं था। जुलाई-दिसम्बर १९५३ की वर्तमान अवधि में भी आयात की अनुमति है किन्तु जुलाई-दिसम्बर १९५२ की अनुज्ञप्ति अवधि में आयात की अनुमति नहीं दी गई।

(ख) और (ग). सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ). भारत में संगमरमर की प्राप्ति का मुख्य साधन राजस्थान में मकराना है; किन्तु संगमरमर की खानें हैदराबाद, पैप्सू, जबलपुर, अलवर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा, धोलपुर और ग्वालियर में भी हैं।

(च) जुलाई-दिसम्बर १९५३ में जारी की गई अनुज्ञप्तियों के आधार पर किसी भी किस्म के संगमरमर के आयात की अनुमति दे दी जायेगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का अवशेष-भुगतान सर्कल

*३९७. **श्री एन० बो० चौधरी** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के अवशेष-भुगतान सर्कल की स्थापना कब की गई थी ?

(ख) उन्हों ने कितने मामले तय कर दिये हैं और उक्त मामलों में कितनी रकम सन्निहित है ?

(ग) उक्त सर्कल में खर्च स्वरूप आज तक कितनी रकम लगी है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जनवरी, १९४७ में।

(ख) लगभग एक करोड़ रुपये के मूल्य के ९२५ मामले सन्निहित हैं।

(ग) लगभग बारह लाख रुपये।

राल को साफ करना

३९८. **श्री गोपाल राव** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में ऐसे क्षेत्र कौन से हैं जहां राल उत्पादन की जाती है और साफ होती है ?

(ख) १९५०-५१, १९५१-५२ और १९५२-५३ में देश में उत्पन्न हुए कच्चे राल का कुल उत्पादन कितना है ?

(ग) राल को साफ करने पर उत्पादित वस्तुयें कौन सी हैं और उन के व्यावसायिक उपयोग क्या हैं ?

(घ) क्या इस वर्ष किसी क्षेत्र के कच्चे माल में कमी हुई है और यदि यह ठीक है तो उस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश।

(ख) कच्चे राल के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है किन्तु अधिक महत्वपूर्ण समवायों द्वारा कच्चे राल को साफ करने पर उत्पन्न की गई राल का पिछले तीन वर्षों में उत्पादन इस प्रकार बतलाया गया है :

१९५०	८६७२ टन
१९५१	११६९० "
१९५२	११५२४ "

(ग) राल और बनस्पति तारपीन। राल का उपभोग साबुन, कागज, वार्निश और कृपिनाशक पदार्थ के निर्माण में होता

है और बनस्पति तारपीन पेंट पालिश तथा औषिधि निर्माण में भी काम आता है।

(घ) सरकार के पास सूचना नहीं है।

भाकड़ा बांध द्वारा सींची जाने वाली भूमि

३९९. **श्री बलवन्त सिंह महता:** (क) **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भाकड़ा बांध से आने वाले पानी से कुल कितने एकड़ भूमि सींची जायेगी ?

(ख) प्रत्येक हिताधिकारी राज्य कितनी भूमि सींची जायेगी ?

(ग) आवंटन किस आधार पर किया गया था ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११]

(ग) आवंटन का निर्णय तीनों भाग लेने वाले राज्यों के बीच पारस्परिक समझौते के द्वारा किया गया था।

दृराई ग्राम का तिलेय्या बांध से डूब जाना

४००. **बाबू राम नारायण सिंह : सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि तिलेय्या बांध में पानी का स्तर शीघ्रता से बढ़ रहा है ,

(ख) यदि, हां, तो अब पानी की गहराई कितनी है और बांध कब पूरा भर जायेगा ;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि दृराई ग्राम की सब भूमि और कुछ रहने के मकान भी पानी में डूबे हुए हैं और पानी का स्तर थोड़ा और बढ़ने से सारे का सारा ग्राम पानी में डूब जायेगा; तथा

(घ) क्या प्राधिकारी इन लोगों को बचाने के लिये उपाय कर रहे हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) १६-८-१९५३ को बांध के स्थान पर पानी की गहराई लगभग ७९ फुट थी। वहां अधिकतम गहराई ८६ फुट है। यह नहीं कहा जा सकता कि बांध कब भर जायेगा, क्योंकि यह वर्षा के जोर पर निर्भर है। बांध के मानसून के अन्त तक भर जाने की आशा है।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) जी हां, श्रीमान्। इन लोगों के लिये मकान बनाये गये हैं। कृषि योग्य भूमि भी तैयार की गई है। अधिकांश लोगों को अपने मकान खाली कर देने पर राजी कर लिया गया है। थोड़े से लोग जो मकान छोड़ने से इन्कार कर रहे हैं संभवत: किसी और ख्याल से ऐसा कर रहे हैं।

घड़ियां

४०१. **श्री एम० एल० द्विवेदी : वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष में वर्तमान आयात शुल्क के आरोपण से पूर्व और शुल्क आरोपण के बाद आज तक घड़ियों पर कुल कितना शुल्क वसूल हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : घड़ियों पर शुल्क के आंकड़े पृथक रूप से तैयार नहीं किये जाते। क्लाक्स और घड़ियां दोनों पर जो शुल्क वसूल हुआ है, उन के आंकड़े ये हैं :

वर्ष	शुल्क की दर	राशि (रुपयों में)
१९४६-४७	६० प्रतिशत	३१,७९,६००
१९४७-४८	६० "	१,०७,७७,९७०
१९४८-४९	६० "	१,३१,९६,१००
१९४९-५०	७५ "	१,०१,०५,९००

(१-३-४९ से)		रु०
१९५०-५१	७५ प्रतिशत	९५,५१,२००
१९५१-५२	७८ ३/४ "	१,३८,६३,९७०
१९५२-५३	७८ ३/४ "	५१,३४,०००

ये राशियां अनुमानित हैं ।

मोटर उद्योग

४०२. **डा० एम० एम० दास : वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में मोटर उद्योग में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में मोटर उद्योग में १०,०३,११,३२५ रुपये की पूंजी लगी हुई है ।

कपड़ा निर्यात

४०३. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, १९५२ और मई, १९५३ के बीच कितने गज़ कपड़ा भारत से निर्यात किया गया था ?

(ख) इस में फाइन, सुपरफाइन और दर्मियाने दर्जे के कपड़े का अनुपात क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ४१६३·१ लाख गज़ ।

(ख) फाइन २९·१ प्रतिशत सुपरफाइन २.५ प्रतिशत दर्मियाना ३१·३ प्रतिशत ।

पश्चिमी बंगाल में पुनर्वास

४०४. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा अवाप्त की गई भूमियों पर विस्थापित व्यक्तियों को बसाने की योजना के अनुसार आज तक पश्चिमी बंगाल में कितनी भूमि अवाप्त की गई है ?

(ख) अवाप्त भूमि पर विस्थापित व्यक्तियों के कितने परिवारों को बसाया गया है ?

(ग) क्या भूमि को शीघ्र अवाप्त करने के लिये, भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अवाप्ति की प्रक्रिया को ढ़ीला कर दिया गया है ?

(घ) इन अवाप्त भूमियों पर कितनी बस्तियां बनाई गई हैं ?

(ङ) क्या और कोई बस्तियां बनाई जा रही हैं या निकट भविष्य में बनाई जायेंगी ;

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) ३४,६२,७९१ एकड़ ।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय उपलब्ध करा दी जायेगी ।

(ग) भूमियां, एक विशेष अधिनियम के, जिसे "पश्चिमी बंगाल भूमि-विकास तथा आयोजन अधिनियम, १९४८ " कहा जाता है, और जिस के द्वारा भूमि शीघ्र अवाप्त की जा सकती है, अवाप्त की जाती है ।

(घ) तीन ।

(ङ) जी नहीं ।

उपभोक्ता की वस्तुओं का उत्पादन

४०५. **श्री ए० एन० विद्यालंकार वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में निम्न वस्तुओं का औसत वार्षिक उत्पादन कितना है;

(१) साबुन (२) चोकलेट (३) टूथपेस्ट, (४) फौलाद का सामान (५) ड्राइप राइटर (६) फाऊंटेनपेन, (७) ट्राई तथा वेट बैटरियां, (८) सिलाई की मशीनें (९) साइकिलें,

(ख) विदेशी स्वामित्व वाले कारखानों ने और भारतीय स्वामित्व वाले कारखानों ने भारत में उक्त प्रकार का कितना माल तैयार किया ?

(ग) उपरोक्त वस्तुयें तैयार करने के लिये १९५२ और १९५३ में कितने विदेशी समवायों को भारत में लाइसेंस दिये गये थे; तथा

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निश्चय किया है कि किस प्रकार के उद्योगों में विदेशी पूंजी लगाने देनी चाहिये ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) उपलब्ध जानकारी का एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२]**

(ख) आंकड़े इस प्रकार के वर्गीकरण के आधार पर इकट्ठे नहीं किये जाते।

(ग) यह स्पष्ट नहीं कि माननीय सदस्य किस प्रकार के लाइसेंसों के बारे में जानकारी चाहते हैं। यदि माननीय सदस्य का निर्देश उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत दिये जाने वाले लाइसेंसों की ओर है, तो केवल एक ऐसी फर्म को, जिस की सारी पूंजी विदेशी है, लाइसेंस दिया गया है।

(घ) प्रत्येक मामले पर गुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

मोटरें बनाने वाली फर्म

४०६. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ में इस देश में कितनी फर्में मोटर बना रही थीं ?

(ख) (१) प्रत्येक ने कुल कितनी पूंजी लगाई हुई थी; तथा

(२) प्रत्येक की कुल पूंजी में से भारतीय पूंजी कितने प्रतिशत थी ?

(ग) क्या सरकार ने इन फर्मों के साथ ऐसा कोई समझौता किया है कि उद्योग के विकास के लिये और कितनी पूंजी लगाने की आवश्यकता होगी, वह केवल भारतीय पूंजी होगी ?

(घ) १९५२-५३ में इन फर्मों ने कितना रुपया विदेशों को भेजा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) बारह।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३)**

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

फ्रैंकफर्ट औटम फेयर

४०८. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार का फ्रैंकफर्ट औटम फेयर में, जो कि सितम्बर १९५३ के मास में जर्मनी में होगा, भाग लेने का विचार है

(ख) यदि हां, तो इस फेयर में प्रदर्शित की जाने वाली मुख्य मुख्य चीजें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सामुदायिक परियोजनायें

४०८. **सेठ गोबिन्द दास :** क्या **योजना** मंत्री यह बतलानें की कृपा करेंगे कि सामुदायिक परियोजनाओं में जून, १९५३ तक कुल कितना व्यय हुआ ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : १,२०,६१,०३५ रुपये ६ आने ११ पाई।

नमक का उत्पादन

४०९. **श्री विश्वनाथ रेड्डी : उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को विदित है कि एक ब्रिटिश फर्म ने नमक के उत्पादन के एक नये तरीके का पता लगाया है ?

(ख) क्या इस रंग के तरीके से नमक जैम्स की कार्यक्षमता ३० प्रतिशत बढ़ जाती है ?

(ग) यदि हां, तो इस तरीके को शुरू करने के लिये सरकार क्या पग उठा रही है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): लगभग १ वर्ष पूर्व नमक आयुक्त के ध्यान में आया था कि नमक की क्यारियों के नमकीन पानी में 'सालिवेप ग्रीन' नाम का थोड़ा सा रंग मिला देने से, उस के भाप बन कर उड़ने की रफ्तार और रवे बनने की मिकदार बढ़ जाती है । बतलाया गया था कि इस के फलस्वरूप उत्पादन में लगभग ३० प्रतिशत वृद्धि हुई है । उस के बाद से वडाला और सांभर में नमक विभाग की प्रयोगशालाओं में थोड़ी सी नमक की क्यारियों में 'सालिवेप ग्रीन' का प्रयोग करने का तजुरबा किया जा रहा है । अब तक जो परिणाम निकले हैं, उन से पता चलता है कि इस से उत्पादन में लगभग ३० प्रतिशत वृद्धि हुई है और उत्पादन व्यय में भी थोड़ी सी बचत हुई है । अब यह जाने के लिये कि बड़े पैमाने के उत्पादन के लिये रंग का प्रयोग करने से कितनी बचत होती है जांच की जा रही है ।

डालर प्राप्त करने वाली वस्तुएं

४१०. **श्री रघुरैय्या** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में डालर प्राप्त कराने वाली वस्तुयें कौन सी हैं ?

(ख) १९४६ से १९५१ तक हमें वस्तु वार और वर्ष वार कितने डालर प्राप्त हुए थे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १४]**

उत्तरपूर्व सीमान्त एजेंसी में सामुदायिक परियोजनाएं

४११. **श्री बेली राम दास :** (क) **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर पूर्व सीमान्त ऐजेन्सी में कितनी सामुदायिक विकास योजनायें शुरू की गई हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि इस ऐजंसी में सिंचाई की योजनाओं और बांध बनाने की बहुत आवश्यकता है ?

(ग) जो थोड़े से बांध बनाये गये हैं, क्या वे बेकार सिद्ध हुए हैं ?

(घ) इसे ठीक करने के लिये सरकार का और क्या पग उठाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): विकास परियोजना का एक भाग १९५२-५३ में शुरू किया गया था और दूसरा चालू वर्ष में शुरू किया जा रहा है ।

(ख) से (घ) तक : यह क्षेत्र लगभग सारा पहाड़ी है और बड़े पैमाने की सिंचाई की परियोजनाओं या बांधों की कोई आवश्यकता नहीं और न ही कोई बांध बनाये गये हैं । सिंचाई की छोटी छोटी योजनायें अधिक उपयोगी ह और इन्हें आरम्भ किया गया है ।

पंच-वर्षीय योजना के लिए दान

४१२. **श्री मुनिस्वामी : योजना मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंचवर्षीय योजना के पूरा करने के लिये जनता से कोई दान मिले हैं; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो अभी तक कुल कितनी राशि दान रूप से मिली है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) प्राप्त हुई कुल राशि २४०० रु० है। इस में वे दान शामिल नहीं हैं जो राज्यों को सिंचाई विद्यालयों, तथा सड़कों आदि जैसी निश्चित स्थानीय योजनाओं के सम्बन्ध में मिले हैं।

पटेल नगर, नई दिल्ली में वर्षा-जल के निकालने की नालियां

४१३. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पटेल नगर, नई दिल्ली में वर्षा जल को निकालने की नालियों के सम्बन्ध में कितनी बार टैंडर मांगे गये थे;

(ख) इस काम की कुल अनुमानित लागत कितनी थी;

(ग) इस काम को कितने भागों में बांटा गया था;

(घ) उन के पूरा होने तथा भुगतानों की तिथियां क्या हैं;

(ङ) क्या काम की अतिरिक्त मदों के सम्बन्ध में भी कोई स्वत्व दावे किये गये थे; तथा

(च) यदि ऐसा है तो कितनी राशि के ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) तक। इस काम को सात भागों में बांटा गया था। छः भागों के सम्बन्ध में चार बार तथा सातवें भाग के सम्बन्ध में केवल एक बार टैन्डर मांगे गये थे ।

(ख) १४,८४,६३७ रु०

(घ) तथा (च) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १५]

(ङ) हां, श्रीमान् ।

अपहृत व्यक्ति

४१४. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा भारत को अभी तक लौटाये गये कुल अपहृत व्यक्तियों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू): ३१ जुलाई, १९५३ तक ३६१६ ।

पासीगढ़ सामूहिक विकास-गुट

४१५. **श्री एन० एल० जोशी** : योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्वी सीमान्त ऐजेन्सी में पासीगढ़ सामूहिक विकास गुट ने काम करना आरम्भ कर दिया है, तथा

(ख) यदि ऐसा है तो काम में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १६]

घटनात्मक चल-चित्र

४१६. **श्री ई० इब्राहीम** : सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घटनात्मक चलचित्रों को किसी प्रादेशिक भाषा में भी बनाया गया है; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो उन चल-चित्रों के नाम क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) तथा (ख) भारत सरकार के चल-चित्र विभाग द्वारा बनाये गये समस्त घटनात्मक

चल-चित्रों को अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी, बंगाली, तामिल तथा तेलगू भाषाओं में टिप्पणी सहित चलाया जाता है।

भाकड़ा-नंगल परियोजना बिजली-घर

४१७. **श्री रामचन्द्र रेड्डी :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाकड़ा-नंगल परियोजना के अन्तर्गत कितने बिजली घरों को खोला जायेगा;

(ख) उन बिजली घरों के लिये अनुमित, स्वीकृत तथा व्यय की जा चुकी राशियां क्या हैं;

(ग) निर्माण कार्य इस समय किस स्थिति में है,

(घ) कितने समय में उन के पूरा हो जाने की आशा की जाती है;

(ङ) उत्पादित की जाने वाली विद्युत-शक्ति की मात्रा कितनी है, तथा

(च) कितने समय में उत्पादित विद्युत शक्ति का पूर्णतः प्रयोग हो सकेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) तीन--एक तो मुख्य भाकड़ा बांध पर तथा दो नांगल नहर पर।

(ख) (१) कुल अनुमित राशि– १६.५२ करोड़ रु०।

(२) अभी तक व्यय की गई राशि– ९ करोड़ रु० (लग भग)

(ग) (१) भाकड़ा बिजली घर के सम्बन्ध में अभी काम आरम्भ नहीं किया गया है।

(२) नांगल नहर पर प्रथम बिजली घर पर प्रारम्भिक ढांचे को तैयार कर लिया गया है तथा जल और विद्युत मशीनों का लगाना आरम्भ हो चुका है। दूसरे बिजली घर पर खुदाई का काम आरम्भ हो चुका है तथा नींव की कड़ियां डाली जा रही हैं।

(घ) नांगल नहर पर बिजली घर नं० १—वर्ष १९५४ के मध्य तक।

नांगल नहर पर बिजली घर नं० २—वर्ष १९५५ के मध्य तक।

भाकड़ा बिजली घर के पूर्णतः तैयार होने की तिथि को अभी निश्चित नहीं किया गया है क्यों भाकड़ा बिजली संयंत्र को लगाने का अभी अन्तिम फैसला नहीं हो सका है।

(ङ) (१) भाकड़ा बिजली घर— ५५,००० किलोवाट पक्के (लगभग)

(२) नंगल के बिजलीघर– ७०,००० किलोवाट पक्के।

(च) नंगल के बिजली घरों से उत्पादित विद्युत शक्ति के पहले पांच वर्षों में पूर्णतः प्रयोग में लाये जाने की आशा हो सकती है। भाकड़ा तथा नंगल के बिजली घरों की विद्युत शक्ति को मिला कर, जैसा कि आरम्भ में योजना बनाई गई थी, १९६४-६५ तक प्रयोग में लाया जा सकेगा।

चल-चित्र विभाग

४१८. **श्री रामचन्द्र रेड्डी :** क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) चलचित्र विभाग पर १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में कितना धन खर्च किया गया था;

(ख) कितने घटनात्मक चलचित्र बनाये गये थे ;

(ग) कर्मचारियों पर कितना धनखर्च किया गया था; तथा

(घ) इन वर्षों में कर्मचारि वर्ग पर व्यय को छोड़ उत्पादन पर कितना व्यय किया गया था ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग) तक। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १७]**

(घ) आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं तथा उचित समय में सदन पटल पर रखे जायेंगे ।

हरिजन पुनर्वास बोर्ड

४१९. **श्री इब्राहीम** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हरिजन पुनर्वास बोर्ड के नाम से कोई बोर्ड काम कर रहा है ।

(ख) यदि ऐसा है तो इस बोर्ड के सदस्य कौन कौन हैं ?

(ग) सरकार ने हरिजनों के अतिरिक्त दूसरे पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये क्या प्रबन्ध किये हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) जी हां ।

(ख) विस्थापित हरिजन पुनर्वास बोर्ड के सदस्यों के नाम ये हैं —

(१)	श्रीमती रामेश्वरी नेहरू—	सभानेत्री
(२)	श्री सेवक राम—	कार्यसंचालक सचिव
(३)	श्री के० एस० शिवराम—	खजान्ची
(४)	श्री वियोगी हरि	सदस्य
(५)	श्री हरदित्त सिंह	सदस्य
(६)	डा० एस० पी० चवलानी	सदस्य
(७)	श्री मेथा राम	सदस्य
(८)	श्री जीवन जैरामदास	सदस्य
(९)	श्री प्रीक्षत लाल	सदस्य
(१०)	श्री गोपी चन्द	सदस्य

(ग) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में हरिजनों तथा गैर-हरिजनों में कोई विभेद नहीं किया जाता है ।

पेन्सिल्लिन बनाने के लिए प्रशिक्षण

४२०. **चौ० रघुबीर सिंह**: (क) **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि कुछ के भारतीय पेन्सिल्लिन बनाने के प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिये विदेशों में भेजे गए हैं ?

(ख) यदि ऐसा हैं तो कितने व्यक्तियों को बाहर भेजा गया है तथा किन देशों में ?

(ग) उन्हें किस आधार पर चुना गया है ?

(घ) क्या सरकार अधिक भारतीयों को प्रशिक्षण के लिए भेजने का विचार करती है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी):

(क) जी हां ।

(ख) नौ। जिन देशों को वे भेजे गए हैं, उन के नाम इस प्रकार के हैं :—

इटली	५
बेल्जियम	२
स्विटरज़रलैंन्ड, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, डेन्मार्क, हालैन्ड, तथा विटेन	१
स्विटज़रलैन्ड, बेल्जियम, फ्रान्स, जर्मनी, डेन्मार्क, हालैन्ड, ब्रिटन तथा अमरीका	१

(ग) सिवाए एक के जिसकी सेवाएं बम्बई सरकार से अस्थाई रूप से उधार ली गई हैं, सभी अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गए हैं ।

(घ) जी हां, तीन और व्यक्तियों को, जिनका संघ लोक सेवा आयोग ने अनुमोदन किया है, आगामी नबम्बर मास के आरम्भ में बाहर भेजा जायगा ।

नमक परामर्शदात्री समिति की सिफारिशें

४२१. **चौ० रघुवीर सिंह:** (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ में नमक परामर्शदात्री समिति की कुल कितनी बैठकें हुईं थीं ?

(ख) उसकी सिफारिशें क्या थीं ?

(ग) सरकार ने उन्हें कहां तक स्वीकार किया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) दो बैठकें, एक तो २९ अप्रैल, १९५२ को तथा दूसरी ४ नवम्बर, १९५२ को ।

(ख) तथा (ग) । एक विवरण जिस में समिति की सिफारिशें तथा उनके सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का वर्णन है, सदन पटल पर रखा जाता है, [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १८]

भारत-पाकिस्तान का कोयले तथा पटसन का व्यापार

४२२. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पाकिस्तान के नए व्यापार करार के अन्तर्गत पाकिस्तान से आयात की गई पटसन तथा उस देश को निर्यात किए गए कोयले की मात्रा कितनी है,

(ख) क्या दोनों देशों में कोयले तथा पटसन के व्यापार को सरकारी स्तर पर अथवा असरकारी पक्षों द्वारा किया जा रहा है ?

(ग) क्या नए करार से भारत द्वारा अर्जित की जाने वाली विदेशी मुद्रा पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) एक विवरण जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है, संलग्न किया जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १९]

(ख) सामान्य व्यापार,-प्रणालियों द्वारा ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

भारत-पाकिस्तान वार्ता

४२३. **श्री मुनिस्वामी:** पुनर्वास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि निष्क्रांत सम्पत्ति सम्बन्धी जो भारत पाकिस्तान वार्ता हाल में हुई थी क्या वह बिना किसी निश्चय पर पहुंचने के समाप्त हो गई है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि उन्ही विषयों पर अग्रेतर वार्ता कुछ समय पश्चात फिर चलाई जाएगी और यदि ऐसा है तो कब ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) नहीं ; कुछ एक विषयों पर समझौता हो गया था ।

(ख) हां ; प्रत्याशा है कि यह वार्ता आगामी २० सितम्बर क पहले फिर से चालू कर दी जायगी ।

हथकर्घा उद्योग

४२४. **श्री मुनिस्वामी:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि कुछ एक राज्य सरकारों ने हथ कर्घा उद्योग के विकास हेतु कुछ योजनाएं केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उन पर विचार किया है ; तथा

(ग) क्या अखिल भारतीय हथकर्घा बोर्ड ने उक्त विकास योजनाओं पर अपनी सिपारिशें की हैं ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) तथा (ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) उक्त योजनाओं का अखिल भारतीय हथकर्घा बोर्ड द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और बोर्ड की सिपारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

सोमवार,
२४ अगस्त, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

सोमवार, २४ अगस्त, १९५३

सदन की बैठक २ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(**देखिये भाग १**)

---

३ म० प०

स्टील के कारखाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : स्टील के नए कारखाने के विषय में सदस्यों ने बड़ी दिलचस्पी दिखाई ह । जब इसके विषय में बातचीत हो रही थी तब मैं पूरी सूचना नहीं दे सकता था । अब इसके विषय में करार कर लिया गया है । करार की मुख्य बातों के बिषय में मैं कहना चाहता हूं ।

स्टील के उत्पादन का बड़ा महत्व ह । इस कारखाने से भी हमारी आवश्यकता पूरी नहीं होगी ।

इस वर्ष १५ अगस्त को भारत सरकार म ओर क्रप्स् तथा डेमाग सार्थों में करार हो गया है । वे दो सार्थें हमें स्टील का नया कारखाना खोलने में वित्तीय तथा टैक्निकल सहायता देंगी । इस कारखाने से आरम्भ में ५ लाख और बाद में १० लाख टन लोहा तैयार किया जा सकेगा ।

इसकी पूंजी लागत ७१·२५ करोड़ रुपए होगी । उसमें ९·५ करोड़ रुपये की मशीनें जर्मन सार्थें तथा शेष पूंजी भारत सरकार लगाएगी । इसके लिए २० करोड़ रुपया अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक से लेने का विचार ह ।

जमन सार्थें १० वर्ष तक अपनी पूंजी लगी रहने देंगी । यह अवधि १० वष तक और बढ़ाई जा सकती है ।

मशीनों के लिए विभिन्न देशों से टेंडर बुलाए जाएंगे । जर्मन सार्थें टैक्निकल सलाह देंगी जिसका पारिश्रमिक २·१० करोड़ रुपया दिया जाएगा । रायलटी और बोनस नहीं दिए जाएंगे ।

कम्पनी का प्रबन्ध एक बोर्ड करेगा जिसमें लगाई गई पूंजी के अनुपात में सरकार तथा जर्मनी प्रतिनिधि रहेंगे । सभापति तथा मेनेजिंग डायरेक्टर भारत सरकार नियुक्त करेगी । टैक्निकल विशारदों की नियुक्ति की सिपारिश जर्मन सार्थें करेंगी । भारतीयों को

[श्रीके० सी० रेड्डी]

प्रशिक्षा दी जाएगी जिससे कि जर्मन विशारदों को हटाया जा सके ।

आशा की जाती है कि ४ वर्षों में कारखाना तैयार हो जायगा । कम्पनी के संगठन तथा उसके स्थान का निश्चय करने के लिये जर्मन सितम्बर में आएंगे । स्थानीयकरण आर्थिक बातों के अनुसार होगा ।

देश का ओद्योगीकरण हो रहा है । लोह की मांग बढ़ने पर दूसरा कारखाना स्थापित किया जाएगा ।

आंध्र राज्य विधेयक

याचिका समिति की रिपोर्ट का समक्ष रखना

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : आंध्र राज्य विधेयक १९५३ पर याचिका समिति की रिपोर्ट को मैं समक्ष रखता हूं ।

पटल पर रखे गए पत्र

पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ पुलिस (असन्तोष भड़काना) अधिनियम

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ विधान मंडल (शक्ति देना) अधिनियम, १९५३ के धारा ३ उपधारा (३) के अधीन मैं पटल पर पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ पुलिस (असन्तो भड़काना) अधिनियम १९५३ (राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या १, १९५३) की एक प्रति रखता हूं । [पुस्तकालय में रखी है **देखिये संख्या एस०—१०।५३**]

स्थगन प्रस्ताव

गोदावरी की बाढ़

श्री फ्रैंक एन्थनी : (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : मैं ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्य की सूचना मिली है । वह प्रस्ताव गोदावरी की बाढ़ के सम्बंध में है । मैंने उनसे कहा था कि मैं उसके लिए अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि ऐसे प्रश्न स्थगन प्रस्ताव में नहीं उठाए जाने चाहिए । अन्य सदस्यों ने भी इसी तरह की सूचना दी थी । उन्हें स्वीकृति नहीं दी गई । उन्होंने इसके बारे में अल्प सूचना प्रश्न रखा है । कल उसका उत्तर दिया जायगा । जो बात अल्प सूचना प्रस्ताव द्वारा हो सकती है उसके लिए स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जाना चाहिए । माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस प्रकार का निर्णय दिया है । स्थगन प्रस्ताव सामान्यतया नहीं रखे जा सकते । विभिन्न बातों की चर्चा के लिए प्रति दिन समय दिया जाता है तथा शुक्रवार को आधे दिन तक चर्चा की जा सकती है । मैं नहीं चाहता कि माननीय सदस्य काम में इस प्रकार की बाधा उपस्थित करें ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं बाधा नहीं देना चाहता । मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि यदि कोई सदस्य किसी विषय पर अल्प सूचना करे तो क्या दूसरा सदस्य उस पर स्थगन प्रस्ताव नहीं रख सकता ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य वाद विवाद आरम्भ कर रहे हैं । मैं अध्यक्ष के निर्णय का अनुसरण कर रहा हूं । मैं औचित्य प्रश्न की यहां पर आवश्यकता नहीं समझता ।

माननीय सदस्य अपना शब्द 'protest' (विरोध) वापिस ले लें ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं वापिस लेने को तैयार हूं ।

पटल पर रखे गए पत्र

अचल सम्पत्ति अधियाचित तथा प्राप्त करने के अधिनियम के अधीन अधि-सूचना

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : अचल सम्पत्ति अधियाचित तथा प्राप्त करने के अधिनियम १९५२ की धारा १७ उपधारा (२) के अधीन मैं निर्माण, गृहव्यवस्था तथा रसद मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ४३०४-ई० २/५३, दिनांक ७ अगस्त, १९५३ की एक प्रति पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी हैं। **देखिए संख्या एस०–१६।५३**]

सांसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : पटल पर मैं एक विवरण रखता हूं जिसमें बतलाया गया है कि विभिन्न सत्रों में सरकार ने जो आश्वासन, वचन आदि दिए थे उन पर सरकार ने क्या कार्य-वाही की है।

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ३
[देखिए अनुबंध]
लोक सभा तृतीय सत्र १९५३

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ४
[देखिए अनुबंध]
लोक सभा द्वितीय सत्र १९५२

(३) अनुपूरक विवरण संख्या ५
[देखिए अनुबंध]
लोक सभा प्रथम सत्र १९५२

(४) अनुपूरक विवरण ८
[देखिए परिशिष्ट]

अस्थायी संसद् तृतीय सत्र
[द्वितीय भाग]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या ५
[देखिए अनुबंध]
——संसद् का तृतीय सत्र
[प्रथम भाग]

सम्पदा शुल्क दर विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : सम्पदा शुल्क अधिनियम, १९५३ के लिए दरें निश्चित करने के विधेयक को पुरः स्थापित करने की मैं अनुमति चाहता हूं।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापर) : सम्पदा शुल्क विधेयक के पारित होने पर ही उसकी धारा ३४ के अधीन सरकार दरें निश्चित कर सकती है। उसके पारित हुए बिना क्या यह विधेयक पुरः स्थापित किया जा सकता है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैंने जो आश्वासन दिया था उसे मैं पूरा कर रहा हूं। यह सदन की इच्छा थी।

श्री एस० एस० मोरे : मैं और स्पष्टीकरण चाहता हूं। सम्पदा शुल्क विधेयक पारित हुए बिना दरें निश्चित करने वाला विधेयक कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? वे कैसे मान सकते हैं कि वह विधेयक पारित हो ही जायगा ? क्या ऐसा करना प्रक्रिया के अनुकूल है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस विधेयक का खंड ३ पढ़ें। यह सम्पदा शुल्क अधिनियम का अनुपूरक समझा जाएगा। समय समय पर इसमें दी गई दरें बदली जा सकेंगी। उद्देश्य यह है कि सदस्यों को यह मालूम हो जाए कि इस विधेयक के पारित होने का क्या परिणाम होगा।

[उपाध्यक्ष महोदय]

माननीय सदस्य को कानूनी कठिनाई मालूम पड़ती हैं। माननीय सदस्य इस विधेयक को पारित करने के पहले उस विधेयक को पारित कर दें ।

श्री एस० एस० मोरे : जिस तरह आयकर विधेयक के पारित हुए बिना उसकी दरें निश्चित नहीं की जा सकतीं, उसी तरह सम्पदा शुल्क विधेयक के पारित हुए बिना उसकी दरें निश्चित नहीं की जा सकतीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस कठिनाई को मानता हूं । पर इस विधेयक को पारित करने से पहले उस विधेयक को पारित किया जा सकता है । यदि वह विधेयक पारित नहीं हुआ तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा ।

इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं विधेयक पुरः स्थापित* करता हूं ।

*राष्ट्रपति की सिपारिश पर पुरःस्थापित

आंध्र राज्य विधेयक—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन आंध्र राज्य विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगा।

खंड ४७ से ५२ तक के खंड बचे हैं । अब हम उन्हें लेंगे ।

डा० लंका सुन्दरम (विशाखापटनम्): खंड ५० को छोड़ शेष का संबंध ७वीं अनुसूची से है । क्या हम उन्हें अनुसूची ७ तथा उनके संशोधनों को एक साथ न ले लें ?

उपाध्यक्ष महोदय : बचे हुए खंडों को ७वीं अनुसूची के साथ लिया जाएगा ।

खंड ५९

(निरोध आदि के लिए उपबन्ध)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : "खंड ५९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५९ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ६०

(सुविधाओं आदि का जारी होना)

श्री के० सुब्रह्मण्यम और श्री रघवय्या ने सुविधाओं आदि के विषय में अपने संशोधन प्रस्तुत किए ।

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री डा० काटजू ने संशोधनों का विरोध करते हुए कहा कि ये बातें दोनों सरकारें आपस में तय कर लेंगी, विधेयक में उन्हें रखने की कोई आवश्यकता नहीं है । उक्त संशोधन प्रस्तुत हुए तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि: "खंड ६० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६० विधेयक का अंग बना लिया गया ।

नया खंड ६०क

श्री सुब्रह्मण्यम ने नया खंड ६० क जोड़ने का प्रस्ताव किया जिसमें उपबन्ध था कि रायलसीमा कालेज मद्रास विश्वविद्यालय से अलग कर दिया जाए तथा आंध्र विश्वविद्यालय में जोड़ दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री रामचंद्र रेड्डी ने इस खंड की अनावश्यकता बतलाते हुए कहा कि यह कार्य आंध्र राज्य ही कर सकता है, यह संसद नहीं। डा० कृष्णास्वामी ने कहा कि इस विषय में दोनों विश्वविद्यालयों में समझौता है जिसके अनुसार कुछ कालेज आंध्र विश्वविद्यालय में मिलाए जा सकते हैं। उस समझोते को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है डा० काटजू ने संशोधन का विरोध किया। श्री के० सुब्रह्मण्यम ने संशोधन वापस ले लिया।

अनुमति से संशोधन वापिस लिया गया।

खंड ६१ और ६२ विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड ६३

(अन्य सेवाओं संबंधी उपबंध)

श्री वैंकटारमन (तंजोर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि

पृष्ठ २१, पंक्ति २१ में

"three years" [तीन वर्ष] के स्थान में "two years" [दो वर्ष] रख दिया जाए।

आंध्र राज्य को दो प्रकार के कर्मचारी दिए जायेंगे। एक तो आई० ए० एस०, आई० पी० एस० आदि के कर्मचारी तथा दूसरें मद्रास राज्य के वे कर्मचारी जो आंध्र राज्य में स्थानातरित किए जाएंगे। मैं चाहता हूं कि ये कर्मचारी केवल दो वर्ष तक सेवा करने के लिय बाध्य किये जाएं, तीन वर्ष के लिए नहीं। ३ मास की सूचना दे कर आंध्र राज्य किसी भी कर्मचारी को वापस कर सकता है।

श्री रघुरामय्या: मैं श्री वैंकटारमन से पूर्ण सहमत हूं। वास्तव में हम किसी बाहरी कर्मचारी को चाहते ही नहीं। हम तो यह चाहते कि हमें आंध्र में से, कर्मचारियों को भर्ती करने का मौका मिल जाए। मद्रास सरकार ने अभी तक आंध्र के लोगों को कम भर्ती किया इस कारण उपयुक्त व्यक्ति पाने में हमें कठिनाई हो रही है।

डा० काटजू. मैं संशोधन स्वीकार करता हूं। मुझे आंध्र वासियों और तामिलनाड के लोगों से प्रेम है। पिछले वक्ता को चाहिए था। कि तामिलों के विरुद्ध जो बातें उन्होंने कहीं हैं वे न कहते।

श्री राघुरामय्या: मैं यह आभास नहीं देना चाहता कि हम कर्मचारियों की सेवाओं की भीख मांग रहे हैं।

डा० काटजू: यह प्रश्न नहीं उठता। भीख मांगने का कोई आरोप ही नहीं लगाता। मद्रास राज्य के कर्मचारी, आंध्र, तामिलनाड और मलाबार के कर्मचारी भी हैं। यदि कोई राज्य अपने कर्मचारियों द्वारा शासन कर सके तो अन्य राज्य अपने कर्मचारी जबर्दस्ती नहीं भेजना चाहता। मैं संशोधन स्वीकार करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"खंड ६३, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ६३ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया।

नया खंड ६३ (क)

डा० लंका सुंदरम ने नये खंड ६३ (क) को जोड़ने का प्रस्ताव किया जिसमें

[उपाध्यक्ष महोदय]

उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी आंध्र राज्य में केवल आंध्र हों। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने कुछ सिद्धान्त प्रस्तुत किए। उपाध्यक्ष महोदय ने उनके प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। श्री बूबराधसामी ने डा० लंका सुंदरम के संशोधन के लिये ३ संशोधन प्रस्तुत किए। उपाध्यक्ष महोदय ने उन्हें प्रस्तुत किया।

डा० लंका सन्दरम: दोनों राज्यों के बीच बुरी भावना को मिटाने के लिए मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है। यदि दोनों राज्यों को उन सिद्धान्तों को पालन करने के लिए कहा जाए, जो मैंने प्रस्तुत किए हैं तो भविष्य में दोनों राज्यों में बुरी भावना न उत्पन्न हो सकेगी। मैं चाहता हूं कि आंध्र राज्य में सरकार के सचिव तथा अन्य विभागों के उच्च पदाधिकारी यथाशक्य तेलुगु हों। आंध्र राज्य के बाहर कई पदाधिकारी आंध्र में आना चाहते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा में जो आंध्र निवासी पास हो गए हैं उन्हें नियुक्त कर दिया जाए तथा सेवानिवृत योग्य लोगों को भी नियुक्त किया जाए। यदि आंध्र कर्मचारियों की कमी पड़े तो दूसरों को अस्थायी आधार पर ले लिया जाए। निम्न राजपत्रित स्थानों के लिए पदोवृद्धि द्वारा अथवा अन्य विभागों से स्थानान्तरण द्वारा आंध्र कर्मचारी नियुक्त किए जाएं। सचिवालयों, मुख्यालयों तथा क्षेत्री और ज़िलों के अधिकारी पूल किए हुए समझे जाएं। इस से सब अधिकारियों के साथ न्याय हो सकेगा। आंध्र राज्य को उन कर्मचारियों की सेवा की शर्तें बदलने का अधिकार होगा जो १ अक्टबर १९५३ के पहले नियुक्त हुए थे। मैं संकुचित विचारों वाला नहीं हूं परन्तु मैं यह चाहता हूं कि आंध्र राज्य के उच्च पदाधिकारी आंध्र वासी ही हों। जिन सिद्धान्तों को मैं ने प्रस्तुत किया है वे मुझे आशा है गृह मंत्री जी को स्वीकार होंगे। मैं श्री बूबराघसामी के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री बूबराघसामी (पैरांबलूर): यदि डा० लंका सुंदरम का संशोधन मान लिया जाए तो भारत के सर्वत्र आंध्र जनों की सेवाएं आंध्र राज्य के लिए अधियाचित हो सकती हैं। ऐसा करने से भारत संघ के हितों की उपेक्षा होगी। अतएव मैंने अपना संशोधन रखा है।

सेवानिवृत अधिकारियों को नियुक्त करना भी मैं ठीक नहीं समझता। इससे नवयुवक निराश हो जाऐंगे। उसी तरह नीचे पदों पर काम करने वाले आंध्र जनों की पदोवृद्धि करना ठीक न होगा। डा० लंका सुंदरम चाहते हैं कि नये राज्य की सेवा की शर्तें बदलने का अधिकार हो। ऐसा करना अनुचित होगा। मैं इस का विरोध करता हूं।

श्री केशवैयंगार (बंगलौर उत्तर): मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। सिद्धान्त यह रहा है कि अन्य राज्यों के लोग प्रत्येक राज्य के उच्च पदों पर रहें। डा० लंका सुंदरम का संशोधन इस सिद्धान्त के विरूद्ध है। वे चाहते हैं कि आंध्र राज्य में उच्च पदों पर केवल आंध्र जन ही रहें।

डा० जयसूर्य (मेदक): इस नये खंड का उद्देश्य यह है कि आंध्र जन अपने राज्य का शासन करना शीघ्र सीख जाएं। मेरा अनुभव है कि बाहरी लोग यदि उच्च पदों पर रहते हैं तो बुरी भावना

फैलती है। यह हैद्राबाद में हुआ था। प्रत्यक राज्य में उच्च पदों पर वहां के ही कर्मचारी रहने चाहिएं। यदि आंध्र बाहरी व्यक्तियों को चाहें तो वे केन्द्रीय सरकार को लिख सकते हैं।

डा० काटजू : म कई कारणों से इस नए खंड का विरोध करता हूं। यह उन सिद्धान्तों के विरुद्ध है जिन पर अखिल भारतीय सेवाएं आधारित हैं। इन सेवाओं के द्वारा भारत की एकता प्रकट होनी चाहिएं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक राज्य में कुछ एसे पदाधिकारी होने चाहिएं जो उस राज्य के निवासी न हों। राज्य सेवाओं की बात दूसरी है।

डा० लंका सुंदरम : मैं चाहता हूं कि अन्य राज्य में यदि आंध्रजन हों और यदि वे चाहे तो वे आंध्र में लाए जा सकें।

डा० काटजू : मुझे यह सुझाव स्वीकार नहीं है। हम आंध्र राज्य और शेष भारत में कोई भेद नहीं कर सकते। माननीय सदस्य का खण्ड उन सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं जिन पर अखिल भारतीय सेवाएं आधारित हैं।

जहां तक राज्य सेवाओं का संबंध है हमने उसे उसी प्रकार तय कर लिया है जिस प्रकार मद्रास विधान मंडल ने तय किया ह। यदि वे चाहते हैं कि पदोवृद्धि सेवानिवृत्त लोगों को नियुक्त कर तथा अन्य प्रकारों से केवल आंध्र जनों को नियुक्त किया जाए तो मैं उनके प्रस्ताब से सहमत नहीं हूं। मैं उनके संशोधन का विरोध करता हूं।

डा० लंका सुन्दरम : मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाए ?

माननीय सदस्य : जी हां

सदन की अनुमति से संशोधन वापिस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "खंड ६४ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ६४ विधेयक का अंग बना लिया गया।

नया खंड ६४ क

डा० काटजू : मेरे ख्याल में वह अवरुद्ध है। उस प्रकार का एक संशोधन पहले ही समाप्त किया जा चुका है।

डा० लंका सुन्दरम : वह खंड ६३ का था। यह ६४ क है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अवरुद्ध है।

श्री विश्वनाथ रेड्डी (चित्तूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ २२ में,

पंक्ति १३ के बाद यह जोड़ दीजिए;

"64 A. the President may give direction from time to time to the state of Andhra for ensuring the economic and irrigational development of Rayalseema."

["६४ क. रायलसीमा के आर्थिक विकास तथा सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति समय समय पर आंध्र राज्य को निदेश देगा।"]

यह नहीं समझना चाहिए कि रायलसीमा के लोगों को तटीय लोगों पर विश्वास नहीं है। यह संशोधन न्याय

[श्री विश्वनाथ रेड्डी]

मूर्ति वांचू की सिपारिशों के अनुसार किया गया है। वे विधेयक में रायल-सीमा के लोगों के हितों की रक्षा करने वाली बातें चाहते थे। आशा है संशोधन स्वीकृत होगा।

उक्त संशोधन को उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत किया।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा): मेरा संशोधन ऐसा ही, परन्तु कुछ भिन्न है। क्या मैं उसे प्रस्तुत कर सकूंगा ?

उपाध्यक्ष महोदय: वह भिन्न है।

श्री लक्ष्मय्या (अनंतपुर): मैं श्री बिश्वनाथ रेड्डी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

रायल सीमा में दुर्भिक्ष पड़ते हैं। वहां की कृषि वर्षा पर निर्भर रहती है। अतएव वहां के लिए सिंचाई की सुविधाएँ देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

न्याय मूर्ति वांचू ने सिपारिश की कि उस क्षेत्र को सिंचाई की सुविधाएं दी जानी चाहिए। तथा वहां उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए। वे चाहते हैं कि आंध्र राज्य के अधिनियम में इन बातों को रख दिया जाए।

४ म० प०

हम पिछल १०-१५ वर्षों से योजनाओं के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। हम केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करते हैं कि निदेशी सिद्धान्तों के रूप में इसके हित की कुछ बातें विधेयक में रख ली जाएँ।

डा० लंका सुन्दरम्: मैं प्रस्तावित किये गय नये खण्ड ६४-(क) द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त सें पूर्णतः सहमत हूं। जहां तक आन्ध्र के सदस्यों का प्रश्न है आपने देखा होगा कि सब का मत एक है और दल-गत विचारों को भी कोई स्थान नहीं दिया गया है। रायलसीमा के हितों की रक्षा करन के सम्बन्ध में कोई भी मतभेद नहीं हैं। कुछ दिनों की बात है जब गृहकार्य मंत्री वाद विवाद का उत्तर देते हुए रायल-सीमा के हितों के पक्ष में बड़ी वाक्पटुता से तर्क उपस्थित किये थे परन्तु जब मैंने उन को टोका तो वे कहने लगे कि उनके विधि परामर्श दाताओं ने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है। इसका कारण मैं नहीं जानता पर आवश्यकता हो तो विधान को संशोधित किया जावे। यदि इस संशोधन को विधेयक में स्थान नहीं दिया जा सकता है तो इस को सातवें परिशिष्ट में पुरः स्थापित किया जा सकता है। जिस प्रकार मदरास शहर में छूट जाने वाली इमारतों के लिये आंध्र वासियों की क्षति पूरा करने के लिथे सातवें परिशिष्ट में उपबन्ध किया गया है तो मेरी समझ में नहीं आता कि रायलसीमा के हितों को सुरक्षित करने के लिये ऐसा ही उपबन्ध सातवें परिशिष्ट में क्यों नहीं किया जा सकता है। यदि आवश्यकता हो तो इसके लिये विधान को भी संशोधित करना चाहिये और इस कार्य में सदन के प्रत्यक भाग से माननीय मंत्री को पूरा समर्थन मिलेगा।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् (गुन्टूर): मुझे बड़े दुख के साथ इस संशोधन का विरोध करना पड़ता है। म मानता हूं कि रायलसीमा इस बात का हकदार है कि आंध्रराज्य उसका हर प्रकार से ध्यान रक्खें। परन्तु इस प्रकार का संशोधन विधेयक में लाने का अर्थ होगा कि भावी आंध्र सरकार पर अभी से सन्देह किया जा रहा है। रायलसीमा के मेरे माननीय मित्र ने जिस भावना से यह

संशोधन रखा है उस से हम परिचित हैं पर क्या मैं उन स पूछ सकता हूं कि वे क्या आंध्र राज्य की जनता पर विश्वास नहीं कर सकते हैं यदि आन्ध्र के लोग स्वयं इस सदन में गम्भीरता से घोषित कर दें तो यह पर्याप्त होगा और मेरा विश्वास है कि इस स उन ो शान्ति मिल जायेगी।

श्री केशवैयंगार : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं इस लिये नहीं कि रायलसीमा का विशेष ख्याल रख की आवश्यकता नहीं हैं, वरन् इस लिये कि इस मांग से कट होता है कि भावी आन्ध्र राज्य के सम्बन्ध में हमें सन्देह है। हमें आने वाली आन्ध्र सरकार को अवसर देना चाहिये। यदि वह इस कार्य को न करेगी तो राष्ट्रपति के आदेश निकाले जा सकते हैं। माननीय वित्त मंत्री तथा गृहकार्य मंत्री रायलसीमा के सम्बन्ध में इतने चिन्तित हैं कि रायलसीमा की सहायता करने के हजारों तरीके निकाले जा सकते हैं। अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि आन्ध्र राज्य के अन्तरतम से आने वाले सदस्य श्री एस० वी० एल० नरसिंहम तथा मैसूर के श्री केशवैयंगार ने इस का विरोध किया है।

वर्षों से रायलसीमा क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया गया है जिस का परिणाम है कि इस क्षेत्र में जल्दी जल्दी अकाल पड़ता रहता है। पहले भी रायलसीमा की जनता को सन्देह था कि तटवर्ती ज़िले रायलसीमा पर इतना ध्यान नहीं देंगे जितना आवश्यक है। अब आन्ध्र राज्य बन रहा है। इस अवसर पर वे अनुभव करते हैं कि उन्हें किसी प्रकार से आश्वासन दिया जाय कि उनकी ओर यथोचित ध्यान दिया जायगा।

गत २० वर्षों से मद्रास में एक रायलसीमा बोर्ड है। पर रायलसीमा की ओर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया। तटवर्ती ज़िले से आने वाले श्री कलावेंकट राव इस बोर्ड के सदस्य हैं परन्तु उनके भी प्रयत्नों का कोई प्रभाव नहीं हुआ।

वर्षों से सिंचाई की सुविधाओं के लिये कहा जा रहा है, सौ वर्ष से भी अधिक से तुंगभद्रा योजना का आन्दोलन चल रहा है। परन्तु मैसूर राज्य के न मांगने पर भी तुंगभद्रा योजना का लाभ मैसूर को पहुंचाया जा रहा है। अस्तु यह आवश्यक है कि इस प्रकार का खण्ड भी अधिनियम का एक अंग बना लिया जाय। यदि कोई संवैधानिक अड़चन हो तो सरकार को चाहिये कि संविधान को संशोधित करने के उपाय करे।

रायलसीमा विकास समिति ही नहीं वरन् अनेक समितियों ने अकाल की समस्या तथा रायलसीमा के विकास करने की आवश्यकता पर विचार किया तथा प्रतिवेदन भी भेजा है। अस्तु यह बहुत आवश्यक है कि रायलसीमा के विकास की ओर उचित रूप से ध्यान दिया जावे। यह संशोधिन पारित हो या न हो हमारा विचार है कि इस सदन ने इस विधेयक के जिम्मेदार माननीय मंत्री को इस विशेष क्षेत्र की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता से भलीभांति परिचित करा दिया है। अस्तु मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। मैं जानता हूं कि इस प्रकार के अधिनियम में, विधान की दृष्टि से, इस प्रकार का उपबन्ध नहीं हो सकता है, फिर भी मैं इस संशोधन के सार का समर्थन करता हूं। रायलसीमा एक ऐसा क्षेत्र है जहां कि जनता बहुत निर्धन है, तथा जहां बहुधा अकाल पड़ा करते हैं भावी आन्ध्र राज्य के विभिन्न जन समुदायों के बीच एक समझौता बाग समझौते के नाम

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

से हुआ था जिस के अनुसार तै पाया था कि आर्थिक सुरक्षण का प्रबन्ध किया जायेगा तथा उसके क्षेत्र के कृषि तथा आर्थिक विकास के लिये सारे देश के राजस्व का एक भाग लगाया जायगा ।

मैं पंजाब से आया हूं । अविभाजित पंजाब में भी सारा धन पश्चिमी पंजाब की सिंचाई में व्यय कर दिया जाता था तथा हरियाणा क्षेत्र की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था । ऐसा ही कुछ व्यवहार रायलसीमा के साथ किया गया है । अतः रायलसीमा की जनता के लिये इस बात पर ज़ोर देना स्वभाविक है ।

यद्यपि हमें पिछले कई वर्षों से ज्ञात है कि रायलसीमा में बड़ा जबर्दस्त अकाल है फिर भी उसे दूर करने की पूरी कोशिश नहीं की गई । अस्तु यदि हम इस प्रकार का उपबन्ध अधिनियमित कर दें कि भावी आन्ध्र राज्य के राजस्व का इतना प्रतिशत इस क्षेत्र को अकाल से सुरक्षित रखने में व्यय किया जायगा तो कोई हानि नहीं होगी ।

यह सुझाव दिया गया है कि संविधान में जैसे यह निदेशक तत्व है कि मनुष्य मनुष्य में भेद न किया जाय उसी तरह यह भी होना चाहिये कि एक क्षेत्र तथा दूसरे क्षेत्र में भेद न किया जाय । भारत में सामुदायिक योजनायें ऐसे क्षेत्रों में खोली गई जहां सिंचाई पर्याप्त है तथा जो बहुत समृद्ध हैं ऐसा इसलिये किया था कि खाद्यान्नों की उत्पत्ति को बढ़ाना था । परन्तु अब चूंकि, जहां तक खाद्य उत्पादन का प्रश्न है आत्मनिर्भरता होती जा रही है मैं चाहता हूं कि अब जो सामुदायिक योजनायें खोली जांय वे क्षेत्रों के पिछड़े होने की दृष्टि से खोली जाय । जहां तक रायलसीमा का प्रश्न है मैंने सदन म एक भी भाषण ऐसा नहीं सुना है जिस में इस बात का विरोध किया गया हो कि रायलसीमा एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और उस की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है । माननीय मंत्री ने भी रायलसीमा के साथ सहानुभूति प्रकट की है परन्तु इस सहानुभूति से क्या लाभ है । यही लोग जो इस समय विरोध कर रहे हैं हमेशा शिकायत करते रहे हैं कि मद्रास राज्य ने उन के साथ उचित व्यवहार नहीं किया अब वही लोग रायलसीमा से यह कैसे कह सकते हैं कि उस को सन्देह न होना चाहिये । यह माननीय मंत्री का कार्य है कि यदि वे वैधानिक रूप से ऐसा उपबन्ध नहीं बना सकते हैं तो उन्हें चाहिये कि वे इसी कार्य को करने का कोई दूसरा उपाय निकालें । उदाहरण के लिये यदि ऐसा उपबन्ध बना दिया जावे कि आन्ध्र राज्य के राजस्व की निश्चित प्रतिशतता अमुक क्षेत्र के विकास के लिये व्यय किया जाय तो इस में कोई हानि नहीं है । माननीय गृह-कार्य मंत्री ने स्वयं कहा है कि रायलसीमा की जनता के साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिये । मैं पूछता हूं यदि उनके साथ न्याय न किया गया तो उन के पास क्या उपाय होगा ? मैं जानता हूं कि वैध कठिनाई है । परन्तु क्या मैं माननीय गृहकार्य मंत्री से पूछ सकता हूं कि इस कठिनाई को दूर करने का सरकार की ओर से कौन सा उपाय किया गया । जब संसद् तथा भारत सरकार एक राज्य का निर्माण कर रही है तो उसका धर्म है कि वह इस बात का ध्यान रक्खे कि उस प्रान्त के विभिन्न भागों के साथ समता का व्यवहार किया जाय । कुछ भी हो सारे भारत के सुव्यवस्थित शासन की जिम्मेदारी भारत सरकार पर है । अनुच्छेद ३५६ के अनुसार, यदि किसी क्षेत्र में

संविधान के अनुसार शासन नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वहां का शासन अपने हाथ में ले लें।

दीर्घकालीन दृष्टिकोण से मेरा विचार है कि रायलसीमा के लिये कुछ आर्थिक सुरक्षण के उपबन्ध होना चाहिये। भूतकाल में भारत सरकार ने, स्वयं, बड़ी बड़ी धन राशियां, रायलसीमा के अकाल पीड़ित क्षेत्रों की सहायता करने के लिये, व्यय की है। ऐसे अकालों को जब ही रोका जा सकता है जब उस में सिंचाई की योजनायें चलाई जांय। मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। यदि यह संशोधन पारित न हो तो मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे किसी अन्य तरीके से इन आर्थिक सुरक्षणों को वैध प्रभाव प्रदान करें।

श्री राघवाचारी : मेरे कथन का तात्पर्य वही है जो सदन के सम्मुख है। मेरे कुछ मित्रों ने कहा है कि इस संशोधन में सरकार को कुछ शंका है तथा यह संशोधन 'अनादर-पूर्ण' एवं 'श्रद्धारहित' है।

अब दो बातें आती हैं एक तो यह कि क्या इस तरीके में ऐसा निदेशक तत्व सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता है और दूसरा यह है कि क्या यह अनुमति योग्य है या क्या इसमें कोई वैधानिक बाधा है? जहां तक वैधानिक बाधा का सम्बन्ध है उस के विषय में मुझे यह कहना है कि उसका समर्थन न्यायाधीश श्री वांचू द्वारा किया जा चुका है। सरकार की नीति यह है कि जो बात वह पसन्द करती है उसे भेद-मान रहित बता कर लागू कर देती है और जिसे वह पसन्द नहीं करती उसे उड़ा जाती है। न्यायाधीश मित्र ने अपने प्रति-वेदन में एक स्थान पर कहा है कि यदि श्री बाग समझौते को जहां तक सम्भव है वहां तक कार्यान्वित न किया जायगा तो रायलसीमा के ९ ज़िलों में क्षोभ फैलेगा।

यह समझौता रायलसीमा ज़िलो के कॉंग्रेस के लोगों तथा तटवर्ती ज़िलों के कांग्रेस के लोगों के बीच हुआ था। अतः राज्य के सारे ही लोग इसे मानने के लिये बाध्य हैं। न्यायाधीश मिश्र का कथन है कि यदि यह समझौता न किया गया तो रायलसीमा ज़िले के लोगों का जीवन अव्यवस्थित हो जायगा और वही एक सामान्य निराशा छा जायगी। यदि यह समझौता कार्य रूप में परिणत कर दिया गया तो रायलसीमा ज़िलों के लोग सन्तुष्ट हो जायेंगे और नवीन राज्य में पदार्पण करेंगे।

उन्होंने आगे चलकर फिर कहा है कि मुझे भय है कि रायलसीमा के लोगों को पसन्द का कोई अनुविहित उपबन्ध बनाना सम्भव होगा या बुद्धिमत्तापूर्ण होगा फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि राज्य की नीति में कोई ऐसा निदेशक तत्व बना दिया जाना चाहिये जिस से रायल-सीमा ज़िलों के लोग यह समझ सकें कि उनके आर्थिक हितों की रक्षा की जा रही है। अतः उनके विचारानुसार इस प्रकार के कार्य किये जाने चाहिये नहीं तो वहां के लोगों में असन्तोष एवं क्षोभ की भावना उत्पन्न होती जायगी।

काफी समय बीता जब से सब के सब इस पक्ष में थे कि इस प्रकार का कार्य होना चाहिये और आज जब रायलसीमा के लोग चाहते हैं कि समझौते के अनुसार राजधानी वहीं रहे तो उसे वे कार्यान्वित नहीं होने देते। यह हो सकता है कि राजधानी तथा उच्चन्यायालय भिन्न-भिन्न स्थानों में रहें जिससे 'सरकार' तथा रायलसीमा के लोगों के बीच सद्भावना

[श्री राघवाचारी]

उत्पन्न हो सके जो आवश्यक भी है। यह समझौते का एक खण्ड था। फिर जब राजधानी तथा उच्चन्यायालय के लिये स्थान चुनने का समय आया तो फिर वही गड़बड़ी चल रही है। अतः इन सब सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए निदेशक तत्व पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

उच्चन्यायालय के लिये स्थान चुनने का निर्णय आन्ध्र व्यवस्थापिका सभा पर छोड़ दिया गया था।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री बाग समझौते की शर्तों को कार्यान्वित कराने के लिए मैंने भी अभ्यावेदन किया था। राजधानी तथा उच्चन्यायालय के लिए स्थान चुनने का निर्णय आंध्र व्यवस्थापिका सभा के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए।

जहां तक इन क्षेत्रों के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास का सम्बन्ध है, इनको सम्पूर्ण देश के लिए अधिकाधिक सद्भावना की दृष्टि से किया गया था। इसी उद्देश्य की एकता के लिए लोगों ने अपनी जान लड़ा दी है, आपस में एक दूसरे को लड़ाने के लिए नहीं। गृह-मंत्री भी इस नीति से सहमत हैं। यह सब इसी उद्देश्य से किया जा रहा है कि हम सब मिल जुलकर रहें। सरकार इस बात का अवसर ही क्यों देती है कि कोई यह कहे कि उसके साथ असमानता या अन्याय किया जा रहा है। इस को दूर करने का प्रयत्न क्यों नहीं किया जाता?

एक माननीय सदस्य: माननीय मंत्री ने भी कल यहां कहा था।

श्री राघवाचारी: मैं जानता हूं कि वह यह कह देंगे कि मैंने सलाहकारों से परामर्श लिया और ऐसा करना सम्भव नहीं जान पड़ता। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो राष्ट्रपति की ओर से इस सम्बन्ध में निदेश जारी किये जाने चाहिए जो इस विधेयक में न जोड़े जायें। मैं चाहूंगा कि यह निदेशक सिद्धान्त इस विधेयक में सम्मिलित कर दिया जाय।

डा० कृष्णस्वामी: मैं अपने मित्र के संशोधन का समर्थन करता हूं। इस विषय में बड़ा मत-भेद चल रहा है। जब एक नवीन राज्य का निर्माण होने जा रहा है तो वहां के लोगों की भावनाओं पर यथोचित विचार किया जाना चाहिए तथा यथार्थ आशंकाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए।

मेरे माननीय मित्र का कथन है कि रायलसीमा के दावों में विशेषकर सिंचाई के विकास आदि के सम्बन्ध में निदेशक सिद्धान्तों की सहायता ली जानी चाहिए। इस पर माननीय गृह-मंत्री का क्या विचार है यह मझे पता नहीं। न्यायाधीश वांचू ने बताया है कि रायलसीमा के लोग इस बात में अत्यधिक चाव रखते हैं कि उनके हितों की उपेक्षा न की जाय। सिंचाई तथा शिक्षा के सम्बम्ध में वे लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। इन्हीं सब बातों को दृष्टि में रख कर आंध्र देश तथा मद्रास के संघटित राज्य के प्रमुख व्यक्ति इस पर तैयार हुए थे कि श्री बाग समझौता किया जाय। डा० पट्टाभि सीतारमैया द्वारा विधान सभा में रखा गया संरक्षा के सम्बन्ध में प्रस्ताव विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा इस कारण रद कर दिया गया कि ऐसा करना संविधान के सिद्धान्त के प्रतिकूल होगा। अब

अनुभव द्वारा यह स्पष्ट हो गया है कि हमें इन बातों पर विस्तार पूर्वक विचार करना है तथा अधिक से अधिक लोगों को शंकाओं का निवारण करना है। अतः इस विधेयक में हमें कुछ अनुविहित उपबन्ध भी रखने चाहिएं। हमारे माननीय गृह-मंत्री मित्र ने रायलसीमा के गरीब लोगों के कल्याण के लिए किन्हीं दृष्टिकोणों से संरक्षण के सम्बन्ध में कहा है तथा सहानुभूति प्रदर्शित की है किन्तु वैसे संरक्षण के लिए नहीं अनुमति दी है। आज इससे कोई लाभ नहीं कि भाग क राज्यों का निर्माण इस प्रकार हो वरन् रायलसीमा के लोग कुछ ऐसी वस्तु चाहते हैं कि जिससे उनके हितों की रक्षा हो सके। इस प्रकार इस समस्या को एक नये दृष्टिकोण से हल करने की आवश्यकता है।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक समय था जब रायलसीमा भी अपने सौन्दर्य एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था किन्तु आज वहां असहनीय-दुर्भिक्ष का साम्राज्य स्थापित है। उनकी इस दशा पर आंसू भर आते हैं। श्री बाग समझौता एक मृतक पग के समान है यदि आज रायलसीमा के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए कुछ किया जाता है तो तटीय क्षेत्र के आंध्रवासी उससे ईर्ष्या नहीं करेंगे। रायलसीमा विकास मण्डल ने आर्थिक उत्थान के लिए यथासम्भव प्रयत्न किया था।

श्री लक्ष्मय्या : इस मण्डल के पास विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए न तो धन था और न शक्ति ही।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं समझता हूं वह भी इस मण्डल के एक सदस्य हैं। तट निवासियों ने जब कभी और जहां कहीं भी आवश्यकता देखी सदैव हर प्रकार की सम्भव सहायता पहुंचाई और आज जब श्री बाग समझौते को कार्यान्वित करने का समय आया है तो आंध्र वासियों ने यह तय किया है कि रायलसीमा के कुरनूल को राजधानी बनाया जाय। मैं चाहता हूं पिछड़े हुए क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी जाय।

आज आंध्र राज्य बन गया है और तटीय आंध्रवासियों की दशा बड़ी समृद्धि पूर्ण है। अतः उस क्षेत्र से धन लेकर अन्य क्षेत्रों को भी आर्थिक दशा सुधर सकती है। यदि गृह-मंत्री यह संशोधन स्वीकार कर लें तो कोई कारण नहीं कि आंध्र राज्य में रायलसीमा के विकास की उपेक्षा हो सकती है।

श्री गोपाल राव (गुडिवाडा) : यह तथ्य है कि सम्पूर्ण आंध्र प्रान्त पिछड़ी हुई दशा में है तथा रायलसीमा की दशा तो और भी शोचनीय है। यदि इसके लिए किसी को दोष दिया जा सकता है तो वह है केन्द्रीय सरकार जिसने छः वर्षों में पिछड़े क्षेत्रों की दशा सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। कम्यूनिस्ट तथा अन्य दल के लोगों ने कई अवसरों पर दृढ़तापूर्वक यह कहा कि रायलसीमा के लिए सिंचाई परियोजनायें अथवा औद्योगिक या शैक्षिक विकास सम्बन्धी योजनाओं में सर्वप्रथम अग्राधिकार दिया जाना चाहिए। रायलसीमा के विकास के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। यदि आवश्यक हो तो ६० प्रतिशत तक इस कार्य के लिये दिया जा सकता है। यह आंध्रवासियों की एकता एवं सम्पन्नता का प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना आवश्यक है। अतः आंध्र राज्य सरकार को इस विषय में अपना निर्णय कर लेना चाहिए। प्रत्येक राज्य सरकार को अपने कार्यक्रमों

[श्री गोपाल राव]

को आवश्यकतानुसार चलाने तथा अपनी आस्तियों को अपने ढंग में बांटने का अधिकार मिलना चाहिए। यदि रायलसीमा अब भी दरिद्रता के पंजों में जकड़ा रहता है तो आंध्र राज्य एक समृद्धिशाली राज्य कहलाने का अधिकारी नहीं बन सकता। किसी पर भी प्रेम, शान्ति सम्पन्नता एवं एकता बाहर से लायी नहीं जा सकती ये तो आन्तरिक वस्तुएं हैं। आज यह शंका युक्तियुक्त न होगी कि सरकार भविष्य में पता नहीं किस प्रकार का व्यवहार करे।

५ म० प०

हमें संगठित होकर केन्द्र से अधिक से अधिक लाभ तथा सहायता लेकर सम्पूर्ण आंध्र राज्य को शक्तिशाली बनाना है।

अतः मैं नम्रतापूर्वक एवं दृढ़तापूर्वक अपने मित्रों से इस संशोधन को वापस ले लेने के लिए कहता हूं। हम लोग इसके लिए अवश्य दृढ़ रहें कि आय का ५० प्रतिशत रायलसीमा के विकास के लिए नियत कर दिया जाय। हम इस मांग का समर्थन करते हैं किन्तु संशोधन वापस लेने के लिए मैं फिर कहता हूं।

डा० जयसूर्य : मेरा सम्बन्ध न रायलसीमा से है और न ही आन्ध्र से। परन्तु आपस में समझौता कर लेना अच्छा रहेगा कि किस प्रकार रायलसीमा के हितों की देख भाल की जाय। आप के बीच श्री बाग समझौता वर्तमान है, आप उसमें अधिक बातों को मिला कर सुधारी बाग समझौता कर सकते हो। परन्तु आन्ध्र में दो राष्ट्रों की बात को स्वीकार करना बुरी बात है। ऐसी सरकार अशक्त तथा अयोग्य होगी यदि वह रायलसीमा के पिछड़े हुए क्षेत्र को विकसित नहीं कर सकती। और कोई भी सरकार चिरकाल तक नहीं चल सकती यदि उसका कोई भाग पिछड़ा हुआ ही रहता है।

तुंगभद्रा योजना भी मद्रास सरकार की मूर्खता के कारण सफल नहीं हो सकी थी। निजी हितों की रक्षा करने वाले लोगों ने रायलसीमा को पिछड़ने दिया। मैं कहूंगा कि आन्ध्र जन समझदार हैं, जिन्होंने आपस में ही समझौता कर लिया। अन्यथा राष्ट्रपति को कोई कार्यवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वे तो प्रत्येक की भलाई चाहते हैं। आपस में समझौता करना श्रेयस्कर है, अन्यथा तीसरी शक्ति को बीच में पड़ना पड़ेगा। इसलिये मैं तमाम दलों से आपस में समझौता करने की अपील करूंगा, क्योंकि यदि आप सब एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते, तो सरकार भी कैसे आप के हृदय में एक दूसरे के लिये विश्वास उत्पन्न करा सकती है। आप को आपस में समझौता करना ठीक रहेगा और आन्ध्र की नयी सरकार को भी इसे स्वीकार कर लेना चाहिये, और अनुविहित उपबन्ध बनाने का मौका नहीं देना चाहिए।

डा० रामा राव : रायलसीमा की भूमि उपजाऊ है, इसके पास से नदियां चलती है परन्तु इससे किसी का भी लाभ नहीं। कारण कांग्रेस सरकार ने रायलसीमा के लिये कुछ भी नहीं किया। साम्यवादी तथा अन्य दल इस प्रदेश में विकास योजनाओं और उद्योगों के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि आन्ध्र को सहायता दे, और वह रकम रायलसीमा पर ही खर्च की जाय। वहां पर नहरें बनाई जाएं

यह तभी हो सकता है, जब वहां पर उत्तरदायी राज्य सरकार हो ।

सभापति महोदय : क्या केन्द्र से केवल आर्थिक सहायता ही चाहिये ?

डा० रामा राव : हम केन्द्र से केवल मार्ग दर्शन ही नहीं चाहते अपितु हमें आर्थिक सहायता भी चाहिए । सब से अधिक प्रमुखता रायलसीमा को दी जानी चाहिए । आप वहां सरकार स्थापित करने लगे हैं । वहां पर कांग्रेस की शक्ति है, और कई वर्षों से है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : वहां पर लोक रज्य होने वाला है, किसी विशेष दल का नहीं ।

डा० रामा राव : कहने के लिये जनता की सरकार है, परन्तु उपयोग करने के लिये कांग्रेस की शक्ति है । वहां पर कांग्रेस और प्रजा-समाजवाद पार्टी की सरकार होगी । हमें इस बात में कोई आपति नहीं होगी यदि रायलसीमा के आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास के लिये धन का उपयोग किया जाय ।

श्री रघवय्या : पिछली शताब्दी के प्रारम्भ से ही ब्रिटिश लोगों ने देश के कुछ लोगों को पिछड़ा हुआ रखा । उन की नीति थी कि विकसित क्षेत्रों को अविकसित क्षेत्रों के विरुद्ध और अविकसित क्षेत्रों को विकसित क्षेत्रों के विरुद्ध भड़काया जाय । रायलसीमा में सदा अकाल पड़ते रहे, परन्तु उनको नष्ट करने का कभी प्रयत्न नहीं किया गया । पिछले सात वर्षों से हमारी कांग्रेस सरकार भी वैसा ही कर रही है आन्ध्र जन सरकार से केवल एक ही मांग करते हैं कि रायलसीमा के अविकसित क्षेत्रों के लिये धन और समान आदि से सहायता दी जाय । पिछले ४० वर्षों से हम लोग इसी बात के लिए संघष करते रहे हैं । साम्यवादी दल ने इस का पक्ष लिया है और इसके लिये प्रारम्भ से काम किया है । घर घर से चन्दा इकट्ठा किया, चावल, भूसा आदि इकट्ठा करके रायलसीमा के पीड़ित लोगों की सहायता की गयी है । अकाल के समय स्वेच्छा से काम करने वाले ४० सेवक भेजे गये और प्रत्येक आन्ध्र जन ने रायलसीमा की सहायता की । हम सब केन्द्रीय सरकार से अपील करते हैं कि वे पुरानी नीति को छोड़ दें और विधेयक में नाम मात्र के लिये ही पद न बनाये, अपितु कार्य रूप में जाने के लिये धन का उपबन्ध भी करें । इस दिशा में वास्तविक काय से ही लोगों का भला हो सकता है । जैसे संविधान में बहुत से पद ऐसे हैं जिनका व्यवहार नहीं किया जाता इसी प्रकार की बात रायलसीमा के सम्बन्ध में नहीं होनी चाहिए ।

डा० काटजू : रायलसीमा के सम्बन्ध में सब लोगों ने सहानुभूति दिखलाई और भावनात्मक भाषण दिये । किन्तु मुझे दुख से कहना पड़ता है कि भाषा के आधार पर प्रान्तों का पुनर्संगठन हमारी सब कठिनाइयों को समाप्ति नहीं कर सका ।

कुछ सदस्य : ओह ।

श्री के० के० बसु : एक अतिरिक्त कारण भी ।

डा० काटजू : कुछ सदस्यों ने कहा कि रायलसीमा को जान बुझ कर पिछड़ा हुआ रखा गया है मैंने यह बात बड़े दुःख के साथ सुनी है ।

कुछ सदस्य : जी हां

डा० काटजू : अभी तक राज्य का निर्माण नहीं हुआ है । तो भी लोगों में आपस में विश्वास नहीं है कि नये आन्ध्र राज्य से निर्धन लोगों के साथ सद्व्यवहार किया जायगा ।

श्री रघवय्या : यह इरादा नहीं था ।

श्री पुन्नूस : यह पिछले समय का अनुभव है ।

डा० काटजू : मैं केवल मानव स्वभाव की बात कर रहा था । आप लोग अपनी समस्याओं को ले कर आते हैं और केन्द्र अपनी शक्ति के अनुसार आप की सहायता करेगा । परन्तु एक को दूसरे के विरुद्ध की जान वाली बातें की जा रही हैं ।

कुछ सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री के० के० बसु : यह गलत बात है ।

डा० काटजू : कृपया सुनिये वित्त तथा केन्द्रीय सहायता की बात नहीं उठती है । वित्त मंत्री से २०, ३० या ४० करोड़ रुपये देने के लिये जोर डालना इसके लिये भी कुछ नहीं करना है । भाषा यह है--

"कि राष्ट्रपति आन्ध्र राज्य का रायलसीमा में सिंचाई की सुविधाओं के लिये और आर्थिक सुविधाओं के लिये समय समय पर निर्देश देते रहेंगे ।"

यहां यह समझा जा रहा है कि आन्ध्र राज्य रायलसीमा का ध्यान नहीं रखेगा, तो इस बारे मेरी आपत्ति है ।

कुछ सदस्यों ने ऐसा कहा ही है आप को अविश्वास क्यों होना चाहिए ?

डा० लंका सुन्दरम : क्या मैं बीच में एक मिनट के लिये बोल सकता ।

डा० काटजू : आप को बीच में क्यों बाधा देनी चाहिये ?

डा० लंका सुन्दरम : पिछले सालों की गई क्षति को पूरा करने के लिये, विनती की गई है ।

डा० काटजू : आन्ध्र राज्य का कोई अतीत नहीं है---केवल तामिल राज्य का अतीत है । आन्ध्र के बारह जिलों में से पाँच निर्धन हैं । जिनक लिये आप को सिंचाई की योजनाओं के लिये रुपया लगाना पड़ेगा । इसक लिये आप राष्ट्रपति का हस्तक्षेप चाहते हैं कि वे आन्ध्र को ठीक व्यवहार करने की हिदायत करें । एक भाषा बोलने वाले प्रान्त में कठिनाईयां होती हैं, आर्थिक कठिनाइयां, बेकारी की कठिनाई और शिक्षा की कठिनाई आदि, जिन पर मैं पहले बोल चुका हूं ।

क भाग के राज्यों में जहां कार्य-पालिका की अपनी शक्तियां हैं, उनमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते । ख राज्यों के बारे में समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा दिये गये आदेशों का पालन उन राज्यों को करना होगा और दस वर्ष तक वे साधारणतया राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहेंगे । वे दस वर्ष १९६० तक पूरे हो जायंगे । तो आप किस प्रकार का आन्ध्र राज्य बनाना चाहते हैं, यह समझ में नहीं आता । क्या आप यह चाहते हैं कि यदि उन आदेशों का पालन न किया जाय, तो राष्ट्रपति उस राज्य का शासन अपने हाथों में ले लें । परन्तु यह संविधान की भावना के विरुद्ध होगा । ऐसा पता लगता है कि संविधान का ध्यान रखकर ये शब्द नहीं रखे गये हैं, जो कि संविधान के मूल तत्वों के विरोधी हैं ।

सभापति महोदय : परन्तु राज्यपाल को रायलसीमा के हितों का संरक्षण करने के लिये कुछ शक्तियां दी जा सकती हैं ताकि प्रान्त का स्वायत्त रखा जा सके ।

डा० काटजू : यह तो आप सुझाव रख रहे हैं ।

सभापति महोदय : आप तो कह रहे थे कि ये संविधान के विरुद्ध है ।

डा० काटजू : मैं केवल यह कह रहा हूं कि राष्ट्रपति के स्थान पर "राज्य पाल" रखा जाय । कवल आसाम क राज्य पाल को आदिम क्षेत्रों के सम्बन्ध में कुछ शक्तियां दी गई हैं । एक सदस्य ने कहा है कि राज्यपाल को कुछ करने की शक्ति नहीं होती । तो क्या यह सुझाव रखा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को अपने आप कुछ करने का आदेश दे । परन्तु यह संविधान के अनुसार नहीं है । आप संविधान को सुधार सकते हैं, तथा और भी कई बातें कर सकते हैं । इस संविधान को इस सदन तथा इससे पहले सदन और महान न्यायज्ञों और राजनीतिज्ञों ने बनाया है । और क्योंकि अब आप को इससे आघात पहुंचता है आप कहते हैं कि संविधान के सारे ढांचे को उठाकर अलग रख दिया जाय और कोई नवीन चीज़ लाई जाय ।

सभापति महोदय : मैं पूछना चाहता हूं कि जब लोगों को भारत सरकार और भारत राज्य संघ में विश्वास था तो मूल अधिकार क्यों बनाये गये हैं ?

डा० काटजू : मुझे सभापति के साथ बहस करने की आदत नहीं है । अब मैं निदेशों के प्रश्न को लेता हूं । एक निदेश को रहने दीजिये । मुझे न्यायधीश वांचू से एक शिकायत है कि जब आप राजनीतिज्ञ बन कर किसी प्रकार के अर्धन्यायिक कृत्य को लेते हैं तो आप इसके सम्बन्ध में सामान्यताओं में पड़ जाते हैं । उन्होंने क्या कहा है ?

डा० लंका सुन्दरम : इसीलिये तो आप ने उसे ठुकरा दिया ।

डा० काटजू : उन्होंने कहा है कि उनको सन्देह है कि क्या रायलसीमा के लोगों द्वारा वांच्छित अनुविहित उपबन्ध किया जाना संभव है । तो आप इसमें यह भी सम्मिलित कर दीजिये कि नये राज्य की विधि में निदेशक तत्वों को भी सम्मिलित कर दिया जाना चाहिए ताकि रायलसीमा के लोग अनुभव कर सकें कि उनके आर्थिक हितों को सुरक्षित रखा गया है । यदि न्यायधीश वांचू की कचहरी में ऐसा ही प्रश्न उठता, तो मुझे विश्वास है कि वे न्यायकि रूप से यही कहते कि ऐसा नहीं हो सकता । राज्य के निदेशक तत्वों की नीति सारे भारत के लिये है, अलग अलग राज्यों के लिये नहीं । श्री गोपालन ने कहा कि बेकारी को कम करना और काम करने का अधिकार भी उसी में होने चाहिएं । मैं भी चाहता हूं कि य काम अच्छी तरह से होने चाहियें और न्यायपालिका, राज्यपालिका से भिन्न होनी चाहिए । मैं निदेशक ४६ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राज्य कमजोर लोगों की शिक्षा सम्बन्धी और आर्थिक हितों की रक्षा करेगा और विशेषकर आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के हितों का तो इससे अच्छा निदेशक तत्व आन्ध्र के लिए और कोई नहीं हो सकता । वहां के कमजोर लोगों के लिये, जिनके पास सिंचाई की तथा दूसरी सुविधायें नहीं हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं।

डा० काटजू : यह निदेशक है, जिसे पालन करना चाहिए। संविधान की भाषा और शब्दों के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जा सकता। मैं ने वैधानिक परामर्श लिया है और यही फैसला किया गया है कि ऐसा नहीं हो सकता। आन्ध्र में चाहे कांग्रेस की सरकार हो अथवा अन्य दल की, आन्ध्र जन यह नहीं कह सकेंगे कि उन के साथ पहले जैसा ही व्यवहार होता है। और यदि वे वैसा करेंगे तो उनकी कड़ी आलोचना होगी। रायलसीमा में अभाव है, परन्तु भारत में इस प्रकार के कितने ही रायलसीमा हैं, अर्थात् मध्य भारत का भील क्षेत्र, बिहार का बाढ़ ग्रस्त इलाका, रोहतक, हरियाना आदि। जब भी आप लोग रायलसीमा के लिये कुछ मांग करेंगे, तो वित्त मंत्री अन्य क्षेत्रों की तरह रायलसीमा की भी सहायता करेंगे। मैं समझता हूं कि नवीन पद को स्थान देने का प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति का प्रयोजन सफल हो गया है। देश का ध्यान आन्ध्र लोगों का ध्यान तथा भावी आन्ध्र सरकार का ध्यान रायलसीमा की ओर खींचा गया है। इसलिए संशोधन को वापस लेना चाहिए, अन्यथा मुझे इसका विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : सदन के सब भागों द्वारा रायलसीमा के लिये पूरी सहानुभूति अनुभव की गई है अतः मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूं।

श्री राघवाचारी : मैं संशोधन के वापिस लिये जाने का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : यदि संशोधन को वापसी का विरोध होता है, तो संशोधन पर मतदान होना चाहिए।

प्रश्न यह है कि पृष्ट २२ में १३वीं पंक्ति के पश्चात् यह सम्मिलित किया जाए :

"६४-क रायलसीमा के आर्थिक विकास और सिंचाई के विकास को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति समय समय पर आन्ध्र सरकार को निदेश दे सकते हैं।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

खंड ६५ विधेयक में सम्मिलित किया गया।

श्री शिवनंजप्पा ने तुंगभद्रा परियोजना के विशेष उपबन्धों के विषय में संशोधन रखा और कहा :

श्री शिवनंजप्पा (मडिया) : मैं प्रारम्भ में ही यह बता देना चाहता हूं कि जलाशय, २४० मील लम्बी नहर का आधा भाग और जल-विद्युत जनन सटेशन यह सभी मैसूर राज्य में चले जायेंगे। इस खंड के अनुसार तुंगभद्रा परियोजना का प्रशासनिक अधिकार मैसूर तथा आन्ध्र सरकार के पास सम्मिलित रूप से रहेगा, परन्तु इस खंड में अधिकारों तथा दायित्वों की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। इस से दोनों राज्यों के मध्य निरन्तर संघर्ष होते रहने की संभावना है। साथ ही इसमें मैसूर राज्य को पानी की अज्ञात परिमात्रा एक अनिश्चित क्षेत्रफल को देते रहने के लिए बाध्य किया गया है संभव है कि आन्ध्र राज्य अपने अनन्तपुर, कडुप्पा और कुरनूल ज़िलों के लिए अधिकाधिक पानी की मांग करे और मैसूर के पास पर्याप्त पानी बचे ही न।

अतः यह खंड जहां तक मैसूर का सम्बन्ध है युक्तिपूर्ण नहीं है ।

मेरे संशोधन में यह उपबन्ध है कि मैसूर राज्य क्षेत्र म स्थित परियोजना के भाग पर मैसूर राज्य का ही स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रशासन हो और इसी प्रकार आन्ध्र क्षेत्र में स्थित भाग पर आन्ध्र सरकार का नियंत्रण हो । इस प्रकार के दुहरे नियंत्रण से राज्यों के बीच छीनाझपटी होगी । साथ ही मेरा संशोधन सातवीं अनुसूची के खंड १ (१) में निहित सिद्धान्त के भी अनुकूल है । अतः मेरा सदन से अनुरोध है कि उसे स्वीकृत किया जाय ।

दूसरे इस परियोजना को पूरा करने का भार मैसूर राज्य पर डाला जाय क्योंकि मैसूर ने ही सर्व प्रथम जलविद्युत योजनाओं को सफलतापूर्वक चालू किया था

[इस के पश्चात श्री बासप्पा (दुमकुर), श्री गोपालराव (गुंडीवाडा), श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) और श्री विश्वनाथ रेड्डी (चित्तूर) ने अपने संशोधन प्रस्तुत किये]

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : श्री शिवनंजप्पा का संशोधन बहुत ही चतुराई से प्रस्तुत किया गया है । इस में परियोजना के मैसूर राज्य में स्थित भाग पर मैसूर राज्य का और आन्ध्र राज्य में स्थित भाग पर आन्ध्र राज्य का नियंत्रण होने की बात कही गई है । इस योजना का निकास-स्थान (हैडवर्क्स) मैसूर राज्य में है इस संशोधन का अभिप्राय स्पष्ट रूप से यही है कि हैड-वर्क्स का स्वामित्व मैसूर राज्य को प्राप्त हो । हमारे पास केवल नहरें रह जायेंगी परन्तु हैड वर्क्स मैसूर राज्य के नियंत्रण में रहेगा । तथ्य तो यह है कि हमारी समझ में यह बात ही नहीं आती है कि मैसूर को हम में घुसेड़ा क्यों गया है और बेल्लारी का भाग उसे दिया ही क्यों गया है । वह तो तेलुग भाषी जिला है । इस सम्बन्ध में मैसूर राज्य के मुख्य मंत्री ने भी अपनी लालसा प्रकट की है । वह न केवल परियोजना के मैसूर राज्य स्थित भाग पर ही नियंत्रण रखना चाहते हैं अपितु वह तो सारी परियोजना को ही हड़पना चाहते हैं । परियोजना पर १७ करोड़ रुपया खर्च हुआ है, इस का आधा भाग सरकारी ऋणों से प्राप्त हुआ है और आधा राजस्व से । हमने इस पर अपने राजस्व में से ८ करोड़ रुपया खर्च किया है, परन्तु इस विधेयक में मैसूर राज्य से व्यय के राजस्व से प्राप्त हुए भाग का भुगतान करने के लिए बाध्य करने का कोई उपबन्ध नहीं है । वह तो बिना कुछ व्यय किये समूचे परियोजना का लाभ उठाना चाहता है । साथ ही वह उस पर अपना ही नियंत्रण रखना चाहता है । मैं सम्पूर्ण शक्ति से उस के इस प्रयत्न का विरोध करता हूं ।

श्री लक्ष्मय्या (अनन्तपुर) : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं । तुंगभद्रा योजना को पूर्ण हुआ देखने की रायल-सीमा की जनता की चिर संचित अभिलाषा थी । कोई ३०-४० वर्ष के निरन्तर संघर्ष के बाद ऐसा संभव हुआ है । और अब परियोजना के पूर्ण हो जाने के बाद यह झगड़ा उठाया गया है । तुंगभद्रा परियोजना का इतिहास बहुत ही दुखपूर्ण रहा है । हमें आशा थी कि हम परियोजना से रायलसीमा को प्रचुर मात्रा में विद्युत शक्ति मिलेगी और

[श्री शिवनंजप्पा]

यह क्षेत्र धन धान्य से परिपूर्ण हो जायेगा परन्तु दुर्भाग्य से वह सभी कुछ मैसूर को मिल गया है। साथ ही मैसूर के मुख्य मंत्री चिल्ला चिल्ला कर यह कह रहे हैं कि.....

श्री मादिया गौडा (बंगलौर दक्षिण): एक औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में श्रीमान क्या मैसूर के मुख्य मंत्री के सम्बन्ध में जब कि वह यहां नहीं हैं ऐसी बातें कही जानी उचित हैं?

सभापति महोदय: यदि निर्देश अवैयक्तिक रूप से किया जाये तो उत्तम है। मैसूर के मुख्य मंत्री ने एक भाषण दिया है, परन्तु उस का निर्देश किया जाये कटु आलोचना न की जाये। अतः मेरी प्रार्थना है कि निर्देश सभ्य भाषा में ही किये जायें।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम): संविधान के अनुच्छेद ३ के अनुसार यह मैसूर तथा मद्रास की विधान सभाओं को भेजा गया था और वहां उस पर चर्चा हो चुकी है। विधान सभाओं की सिफारिशों के साथ अब विधेयक यहां आया है मेरा विचार है कि अब हम इस के सम्बन्ध में.....

सभापति महोदय: चर्चा किये जाने पर मुझे आपत्ति नहीं। मेरा अभिप्राय केवल यही है कि जो भी निर्देश किये जायें वह ऐसी भाषा में न हों जिस से कि लोग यह कहें कि भारत संसद् में एक मुख्य मंत्री के प्रति अभद्र भाषा का व्यवहार किया गया था।

श्री लक्षमय्या: इसीलिये मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैसूर के मुख्य मंत्री लालची और लोभी हैं और यह चाहते हैं कि.....

सभापति महोदय: इस प्रकार की भाषा का प्रयोग न किया जाये। मेरी इच्छा है कि चर्चा इस प्रकार न हो कि जिससे कटुता उत्पन्न हो जाये।

श्री बासप्पा: मेरे विचार से शब्द 'लोभी' को कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री लक्षमय्या: मेरा अभिप्राय तो यही था कि यह परियोजना दरिद्र तथा असहाय रायलसीमा के लिए बनाई गई थी पर अब यह मैसूर राज्य को दे दी गई है और वहां की सरकार उस पर अपना पूर्ण रूपेण अधिकार रखना चाहती है। मेरा निवेदन है कि यदि इस परियोजना को आन्ध्र राज्य को दे दिया जाय तो एक नया तुंगभद्रा जिला बनाया जा सकता है और वह आन्ध्र राज्य की सीमा बनायेगा।

न्याय मूर्ति श्री वांचू ने भी यही सिफारिश की थी कि कर्नाटक राज्य की स्थापना होने तक बेल्लारी जिले को आन्ध्र राज्य में मिला दिया जाना चाहिए। तुंगभद्रा हैडवर्क्स के कन्नड़ भाषी क्षेत्र में स्थित होने के कारण ही यह सब झगड़े उठे हैं। मैसूर राज्य को आन्ध्र राज्य के छै तालुके बिना मांगे ही मिल गये हैं, पर इतने से भी सन्तुष्ट न होकर वह अब तुंगभद्रा हैड-वर्क्स को भी हथियाना चाहता है।

अतः मेरा निवेदन है कि हैदराबाद राज्य, मैसूर राज्य तथा आन्ध्र राज्य के प्रतिनिधियों का एक पर्षद नियुक्त किया जाये जिसका अध्यक्ष भारत सरकार का

कोई प्रतिनिधि हो । उसी पर्षद को इस परियोजना का समस्त प्रशासन, निर्माण कार्यक्रम तथा कार्य संचालन सोंपा जाये।

जिन तीन तालुकों को सिंचाई सुविधायें प्राप्त होंगी उन की भूमि को तीन वर्गों में बांटा गया है। १५,००० एकड़ भूमि पर वर्ष भर सिंचाई होगी परन्तु आंध्र देश में वर्ष भर सिंचाई होने वाले कोई क्षेत्र नहीं हैं। अब प्रश्न आता है शुष्क तथा तर क्षेत्रों का। मैसूर के पास ६२,१५२ एकड़ सिंचाई वाला क्षेत्र है। बांध के समीप होने से उन क्षेत्रों को अधिक लाभ पहुंचेगा और आन्ध्र सिंचाई क्षेत्रों को बांध स्थान से दूर होने के कारण इतना लाभ नहीं पहुंचेगा। इसी कारण मैसूर को इस परियोजना के अनन्य नियंत्रण पर आग्रह नहीं करना चाहिए।

श्री राघवाचारी : मैं नवीन खंड के आदिष्ट किए जाने का विरोध करता हूं। तुंभगद्रा परियोजना के परिव्यय तथा उस से प्राप्त होने वाले लाभों का वितरण किस प्रकार किया जाए इस में मेरी रुचि नहीं है। मेरा विचार है कि इस परियोजना का प्रशासनिक नियंत्रण निश्चय रूप से किसी स्वतन्त्र निकाय के अधीन हो जिसमें दोनों राज्यों तथा केन्द्र के प्रतिनिधि हों। इस परियोजना को हैदराबाद और मद्रास राज्यों ने तैयार किया था, अब मद्रास राज्य के स्थान पर आन्ध्र तथा मैसूर राज्य आ गए हैं। मैसूर राज्य इस पर अनन्य अधिकार चाहता है कदाचित उस का उद्देश्य इस से अकेले ही लाभ उठाना ही हो। क्योंकि स्वामित्व हो जाने पर वह उस से अकेले ही लाभ उठाना चाहेगा।

इस परियोजना के लिए रायलसीमा की दुखी जनता ने वर्षों निहोरे और प्रार्थनायें की हैं। तथ्य तो यह है कि ऐसी परियोजनाओं के नियंत्रण का भार, जिन से कई राज्यों को लाभ पहुंचाने की व्यवस्था की गई हो, किसी राज्य विशेष के हाथ में न होकर केन्द्र के पास होना चाहिए। ऐसा न होने पर लगातार झगड़े खड़े होते रहेंगे। खंड ६६ में इस का समाधान किया गया है तथा यह भी उपबन्ध है कि मैत्रीपूर्ण समझौता न होने की दशा में राष्ट्रपति समुचित आदेश जारी करेंगे। मेरा संशोधन यह है कि समझौता न होने की दशा में राष्ट्रपति एक पर्षद् नियुक्त किए जाने के आदेश दें। जिस में दोनों राज्यों तथा केन्द्र के प्रतिनिधि हों। ऐसा सुरक्षण रखना अति आवश्यक है। पानी के वितरण के सम्बन्ध में पाकिस्तान से हमारा विवाद चल ही रहा है। अतः झगड़े की ऐसी किसी संभावना का निवारण करना ही बुद्धिमानी है। संघ के विभिन्न एककों को आपस में लड़ना शोभा नहीं देता है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब इतना युक्तिपूर्ण सुरक्षण दिये जाने का प्रस्ताव किया जाता है तो मैसूर के प्रतिनिध इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हैं। मैसूर राज्य द्वारा अनन्य अधिकार दिये जाने की मांग ही किसी स्वतन्त्र पर्षद् की स्थापना के लिए सब से उत्तम तर्क है।

न्यायामूर्ति श्री वांचू ने यह सिफ़ारिश की थी कि बेल्लारी का ज़िला मद्रास के अवशिष्ट राज्य को दिया जाये। उन्होंने तुंगभद्रा योजना के संचालन के लिए एक ऐसा निगम बनाये जाने की सिफ़ारिश की थी जिस में हैदराबाद राज्य, आंध्र राज्य तथा बेल्लारी ज़िले के प्रशासनिक अधिकारी के प्रतिनिधि हों। यह उन की निश्चित सिफ़ारिश है कि इस परियोजना का नियंत्रण किसी निगम अथवा स्वतन्त्र निकाय को दिया जाये। अतः मेरा निवेदन है कि ऐसा करने से सम्बद्ध राज्यों तथा जिन के

[श्री राघवाचारी]

लिए यह परियोजना बनाई गई थी उन को भी संतोष होगा। इस परियोजना को मूलतः रायलसीमा के दुर्भिक्ष ग्रस्त भागों तथा बेल्लारी ज़िले में सिंचाई करने के लिए बनाया गया था। अतः उन क्षेत्रों को इस से भरपूर लाभ उठाने का पूर्ण अधिकार है। मेरा निवेदन है कि ऐसी विशाल परियोजना का नियंत्रण किसी ऐसे निकाय के हाथों में न होकर, जो अभी से ही परियोजना के मूल उद्देश्य की उपेक्षा कर रहा है, निश्चय रूप से किसी स्वतन्त्र निकाय के हाथों में होना चाहिए। इसीलिए मैंने यह संशोधन दिया था कि एक पर्षद नियुक्त किया जाये जिस में मैसूर, आन्ध्र तथा केन्द्र के प्रतिनिधि हों। यदि ऐसा किया गया तो समस्त राज्य प्रसन्न होगा और दोनों राज्यों के मध्य सौमनस्य बना रहेगा।

श्री एन० राचय्या : मैं संशोधन के हक में हूं। यह योजना रायलसीमा और आन्ध्र राज्य के दूसरे भागों की सिंचाई के लिए बनाई गई थी। और इस प्रदेश का कुछ भाग मद्रास राज्य से मैसूर राज्य को दिया जा रहा है। संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी सम्पत्ति अथवा पद के अधिकार को केवल इसलिए छोड़ नहीं सकता कि दूसरे लोग इस की मांग करते हैं। जब कोई योजना हमारे क्षेत्र में है तो हमें ही उसका नियंत्रण करना चाहिए। मान लो कि यह प्रदेश आन्ध्र राज्य में हो, तो क्या हम इसके स्वामी बन सकते हैं ? नहीं, ऐसा संभव नहीं है ? यदि हमारे द्वारा मैसूर या आन्ध्र, को पानी दिए जाने के कारण किसी को दुख होता है, तो उन को आपत्ति करने दो। हमें आन्ध्र के हिस्से में आय हुए पानी को देने के लिए कोई आपत्ति नहीं, परन्तु योजना पर हम अपना अधिकार नहीं छोड़ सकते। यदि उनको हम पर विश्वास नहीं और हमारे प्रबन्ध तथा स्वामित्व को वे स्वीकार नहीं करते, तो हम किसी भी उचित हल को मानने के लिए तैयार हैं। उनको हमारे साथ मित्रता का व्यवहार ही करना चाहिए। जैसे वे आन्ध्र राज्य के निर्माता हैं, वैसे ही हम भी कन्नड़ देश के प्रतिनिधि हैं। हमें एक दूसरे के साथ मित्रता को सुदृढ़ करना चाहिए।

मैं इस संशोधन पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि हमें अपने लिए तुंगभद्रा योजना से पानी की आवश्यकता नहीं। हमें तो केवल बेल्लारी के सात तालुकों की सिंचाई के लिए पानी चाहिए। इस-लिए हमारी मांग उचित है। क्योंकि हम लोग चुप हैं इसीलिए वे हमारे अधिकार को हथियाना चाहते हैं। यदि उनको हमारी दलीलों से संतोष नहीं होता तो केन्द्रीय सरकार को दामोदर घाटी, भाखड़ा नांगल परियोजना की तरह समिति बनाने दीजिए। और वह समिति सांझी होनी चाहिए। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, कारण हम सब से पहले भारतीय हैं और फिर बाद में मैसूर वाले अथवा आन्ध्र वाले हैं। हम उस समिति की सब बातों को सहर्ष स्वीकार करेंगे।

डा० लंका सुन्दरम् : मैं अपने माननीय मित्र श्री राघवाचारी के संशोधन का समर्थन करता हूं और श्री शिवनंजप्पा के संशोधन तथा अन्य संशोधनों का विरोध करता हूं। मैं यहां अपने विचार कुछ वक्ताओं के आधार पर व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय श्री काटजू ने इस मास की १३ तारीख को वाद विवाद के दौरान में यह कहा था :

"राष्ट्रीय हित यह अपेक्षा करता है कि इसका नियंत्रण उचित ढंग से हो तथा आन्ध्र देश को, जिसके लाभ के लिए यह मूलत: हाथ में लिया गया था, इसका लाभ प्राप्त हो।"

मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इसे एक बार फिर दोहराएं। सारी चीज़ एक इस बात पर निर्भर है कि क्या मूलत: तुंगभद्रा परियोजना अनन्य रूप से आन्ध्र देश के लिए थी। आन्ध्र प्रदेश के कुछ भाग अब दूसरे राज्य में मिलाने की अपेक्षा की गई है। यह पहली महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुंगभद्रा परियोजना उस विशिष्ट क्षेत्र में पहले से मौजूद नहीं है। इस के तीन स्पष्ट एकक हैं : निम्न-तल नहर, उच्च-तल नहर और जल विद्युत परियोजना। मैसूर के सब मित्र निम्न-तल नहर पर ज़ोर दे रहे हैं। २७ जुलाई को मैसूर के प्रधान मंत्री ने वहां के विधान-मण्डल में कहा था कि १०७ मील निम्न-तल नहर मैसूर राज्य में जोड़ी जाएगी, जब कि नवीन आन्ध्र राज्य में ११८ मील ऐसी नहर है। इस प्रकार आप देखेंगे कि परिस्थिति कितनी गम्भीर है। मैसूर विधान-सभा में श्री हनुमन्थैया के एक दूसरे वक्तव्य से मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था :

"तुंगभद्रा परियोजना उस क्षेत्र में स्थित है जो कि नियुक्त दिन पर मैसूर राज्य का भाग बन जाएगा। इस का युक्तियुक्त निदान यह हुआ है कि, स्थापना के आधार पर, मैसूर राज्य के अन्दर स्थापित होने वाली परियोजना पर मैसूर राज्य का स्वामित्व हो।"

यहां 'स्थापना' का अर्थ मुख्य बांध से है। इसके बाद वह कहते हैं।

"वर्त्तमान खंड ६२-क में मैसूर सरकार से यह बचन देने की अपेक्षा की गई है कि वह आन्ध्र राज्य के कुरनूल, अनंतपुर तथा कुडप्पा ज़िलों और आन्ध्र में मिलने वाले तीनों ताल्लुकों को पानी प्रदान करेगा। हम इन सब ज़िलों को पानी प्रदान करने के लिए वचनबद्ध होने को तैयार नहीं हैं।"

इस के बाद वह कहते हैं :

"यदि हम अब बचन-बद्ध हो जाएं तो यह अपने लिए आपदाओं को आमंत्रित करना होगा। मान लीजिए कि ये तीनों ज़िले और ताल्लुके ज़मीन के लिए पानी लेने का आग्रह करें तो हो सकता है कि हमारे पास अपनी ज़मीन की सिचाई के लिए ही पर्याप्त पानी न बचे।"

अन्त में वह कहते हैं :

"हमारा ध्येय मुख्यत: मैसूर के लोगों के हितों के संरक्षण के लिए काम करना है। संशोधन न्याय और विधि के सिद्धान्त पर पास हुआ था तथा समस्या को निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखा गया था।"

मैसूर राज्य की विधान-सभा द्वारा पास किया गया संशोधन जो कि इस सदन के सदस्यों को दिया गया है, शब्द प्रतिशब्द मेरे माननीय मित्र श्री शिवनंजप्पा का संशोधन है।

मैसूर के दोनों सदनों तथा मद्रास विधान-मण्डलों में जो विधेयक मूलत: परिचारित किया गया था उसमें यह था :

"नियुक्त दिन के प्रारम्भ होने से पूर्व तक तुंगभद्रा सिंचाई तथा जल-विद्युत योजना पर किया गया व्यय आन्ध्र राज्य के क्षेत्र में किया गया व्यय समझा जाना चाहिए।

यह मूल स्थिति थी। किन्तु इस विधेयक में यह विशिष्ट खंड अब उड़ गया

[डा० लंका सुन्दरम्]

है। मैं नहीं जानता कि किस आधार पर इसे हटा दिया गया है। इस चीज़ को मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा १३ अगस्त को दिए इस वक्तव्य से जोड़ना चाहता हूं कि "तुंगभद्रा परियोजना आन्ध्र राज्य के लोगों के लाभार्थ थी।"

अब मैं सदन का ध्यान मैसूर के कुछ माननीय सदस्यों के भाषणों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात उन्होंने यह कही कि "चूंकि मुख्य बांध मैसूर को दिए जाने वाले क्षेत्र में स्थित है इसलिए परियोजना मैसूर की सम्पत्ति होनी चाहिए।" मैं सदन के सदस्यों से इस बात पर विचार करने की प्रार्थना करूंगा कि क्या इस प्रकार की बात कहना आन्ध्र देश के लोगों के प्रति न्याययुक्त और युक्ति-संगत है।

आगे उनका कहना है कि "परियोजना के पूर्ण होने के सम्बन्ध में भी सिंचाई तथा जल-विद्युत पक्षों में अन्तर किया जाना आवश्यक है। यह ऐसी चीज़ है जिस पर आन्ध्र के लोगों की भावना प्रबल है। मुख्य मंत्री सहित वहां के खास व्यक्तियों ने कहा है : "जल-विद्युत परियोजनाओं के] प्रबन्ध के हमें वृहत अनुभव हैं ; इसलिए तुंगभद्रा परियोजना के जल-विद्युत पक्ष के प्रबन्ध का अधिकार हमें होना चाहिए।" इस विशिष्ट बात के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से न्याय करने की प्रार्थना करूंगा। यह प्रश्न मैसूर तथा आन्ध्र राज्यों के मध्य भविष्य में तय करने के लिए क्यों छोड़ा जाय ? अभी इसे तय करने से आपको कौन रोकता है ?

दायिता के राजस्व-भाग के विभाजन का निर्देश किया गया था। आन्ध्र को दो करोड़ रुपये नक़द मिलने चाहिएं। किन्तु जस्टिस वांचू अपनी रिपोर्ट में क्या कहते हैं ? उनका कहना है कि "आन्ध्र के पृथक होने पर, नक़द देय के रूप में विभाजित करने को कुछ नहीं होगा।" मैं एक राशि पाने का अधिकारी हूं और मुझे वह नहीं दी जाती और घोषित यह किया जाता है कि परियोजना आन्ध्र लोगों के हित के लिए है। ये जटिलताएं हैं और फिर भी माननीय गृह मंत्री यह आशा करते हैं कि झगड़े का निबटारा बहुत शीघ्रता से हो जाएगा, यद्यपि मैसूर के मुख्य मंत्री तथा अन्य उच्च व्यक्तियों ने जिस प्रकार के वक्तव्य दिए हैं उनका मैं उदाहरण दे चुका हूं। क्या वे यह चाहते हैं कि हम दो वर्ष तक दो लड़ाकू बिल्लियों की तरह झगड़ते रहें।

मैं श्री शिवनंजप्पा के संशोधन का विरोध करता हूं और श्री राघवाचारी के संशोधन का समर्थन करता हूं। जिसमें कि यह आन्ध्र तथा मैसूर के प्रतिनिधियों का एक बोर्ड स्थापित करने की अपेक्षा की गई है जिस से कि विवाद से पैदा हुए संघर्ष में कटुभावना पैदा न हो। हम एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते। आन्ध्र के साथ अन्याय किया गया है और मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि अधिक देर होने से पहले स्थिति को ठीक करलें। मैं समझता हूं कि श्री राघवाचारी के संशोधन को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं वाद-विवाद में हस्तक्षेप इसलिये कर रहा हूं कि विचाराधीन विषय के सम्बन्ध में कुछ प्रत्यक्ष बातें रख सकूं। मैं नहीं समझता कि तुंगभद्रा जैसे आकार की परियोजना पर किसी राज्य विशेष का

स्वामित्व हो सकता है, विशेष रूप से उस दशा में जब कि इस परियोजना को अधिकांश रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तयोषित किया गया है। इस विषय में केन्द्रीय सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह देखे कि योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हो, अर्थात्, यह परियोजना जिस लक्ष्य को लेकर चालू की गई है वह बराबर बना रहे। यदि संविधानिक रूप से सम्भव होता तो इसी समय एक निगम नियुक्त कर देने से समस्या का हल निकल सकता था क्योंकि उस दशा में परियोजना को किसी राज्य विशेष के स्वामित्व में रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो ठीक है कि यह परियोजना उस क्षेत्र में है जो अब मैसूर में मिलाया जायेगा। परन्तु इसका परियोजना के संचालन आदि से कोई सम्बन्ध नहीं है। विधेयक के खंड ६६ के उपबन्ध भी इसी आधार पर बनाये गये हैं। मैं प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वे उपबन्ध इस समस्या का सर्वाधिक न्यायोचित रूप से समाधान करते हैं और यह कि मैं सब संशोधनों का विरोध करता हूं।

मैं नहीं कह सकता कि सदन को इस परियोजना के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी है या नहीं। पहले यह मद्रास और हैदराबाद राज्यों के हिस्सों में थी और एक परस्पर समझौते के अनुसार कुछ कार्यसंचालन दोनों द्वारा किया जाता था। जहां तक परियोजना के उस भाग का प्रश्न है जो मद्रास में है, यह सर्वविदित है कि मुख्य बांध हौरूपैट में होगा जो मैसूर राज्य में मिला दिया जायेगा।

इस परियोजना के अन्तर्गत दो नहरें हैं। एक हैदराबाद में है और दूसरी मद्रास में। मद्रास वाली नहर २२५ मील लम्बी है और उसे निम्न-तल-नहर कहा जाता है। दूसरी नहर हैदराबाद में है जो १२७ मील लम्बी है। नहरों के किनारे उपयुक्त स्थान पर विद्युत उत्पन्न करने की प्रस्थापना है।

परियोजना में मद्रास वाली और एक उच्च-तल-नहर के निर्माण का उपबन्ध है जिससे दो लाख से लेकर तीन लाख एकड़ तक भूमि की सिंचाई हो सकेगी। परन्तु इस नहर का निमार्ण परियोजना के प्रथम चरण में शामिल नहीं है जिस पर कि इस समय चर्चा हो रही है: अतएव इस समय उच्च-तल-नहर के विषय में कुछ कहना व्यर्थ होगा। क्योंकि यह परियोजना में शामिल है, अतः भारत सरकार तो यह चाहेगी कि जब कभी इस नहर का निर्माण किया जाये, इसका फायदा वह क्षेत्र उठाये जिसक लिये वह प्रारम्भ में अभिप्रेत थी। मैं नहीं समझता कि जिस राज्य में मुख्य बांध होगा वह यह कह सकेगा कि हम एक उच्च-तल-नहर बनायेंगे जिस से कुछ अन्य क्षेत्रों की सिंचाई होगी, उनको नहीं जिनके लिये प्रारम्भ में इरादा था। मैं नहीं समझता कि व्यवहार रूप में कोई ऐसा मौका आयेगा क्योंकि किसी भी राज्य के पास एक उच्च-तल-नहर का निर्माण करने के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध होना कठिन है। दूसरे शब्दों में, वित्तीय सहायता के लिये वे भारत सरकार से ही आवेदन करेंगे और भारत सरकार यह कह देगी कि वह सहायता केवल उस दशा में देगी जब कि यह नहर मूल योजना के अनुसार बनाई जाय।

जहां तक विद्युत या सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं का प्रश्न है, मैं नहीं समझता कि इस विषय में कोई विवाद है। मेरे ख्याल में मैसूर राज्य द्वारा यह नहीं कह

[श्री सी० डी० देशमुख]

जा रहा है कि इसका लाभ दूसरे क्षेत्र उठायें । मैसूर सरकार इस बात को मानती है कि विद्युत तथा सिंचाई का लाभ विभिन्न क्षेत्रों में परियोजना के अनुसार ही बांटा जाय ।

श्री राघवाचारी : परन्तु उसका रवैया तो यह है कि वह किसी प्रकार वचनबद्ध नहीं होता ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह रवैया सर्वथा अनुचित है क्योंकि इस सम्बन्ध में किसी के कुछ अधिकार पहले से ही विद्यमान हैं । अधिकांश काम पूरा हो चुका है । जहां तक विद्युत उत्पादन सम्बन्धी कार्य है, मैं समझता हूं, केवल ४ या ५ करोड़ रुपये की लागत का कार्य अभी होना बाकी है । सिंचाई इस प्रकार होगी : आन्ध्र में १४०,००० एकड़ में, मैसूर में ११०,००० एकड़ में और हैदराबाद में ४५०,००० एकड़ में । नहरों की लम्बाई आन्ध्र में १२१ मील, मैसूर में १०४ मील और हैदराबाद में १२७ मील रहेगी । भारत सरकार का बराबर यही प्रयत्न रहेगा कि इस परियोजना का लाभ उन सब क्षेत्रों को पहुंचे जिन के लिए यह प्रारम्भ में अभिप्रेत थी ।

जहां तक प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का सम्बन्ध है—जैसे व्यवहार, दण्ड तथा राजस्व क्षेत्राधिकार—यह मुख्य बांध पर और राज्य के भीतर वितरण व्यवस्था के संचालन पर मैसूर राज्य का होगा क्यों कि वह क्षेत्र मैसूर राज्य में चला जायगा । विधियों के लागू होने के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है उसके अधीन रहते हुए, मैसूर की विधियां उन पर लागू होंगी । परन्तु, इसका आन्ध्र राज्य के सम्पत्ति अधिकारों तथा सिंचाई तथा विद्युत के लिए निर्माण करने के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । इस सम्बन्ध में हम आन्ध्र राज्य की स्थिति कम से कम उस संविहित निगम की सी तो रखें जिसे मद्रास राज्य ने उस परियोजना को इसको सारी अवस्थाओं में, क्रियान्वित करने का काम सौंपा होता । यदि कोई निगम बन जाता तब तो स्वामित्व का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । हमें पूरा भरोसा है कि मैसूर राज्य आन्ध्र को इन अधिकारों के प्रयोग के लिए सुविधाएं देगा । आन्ध्र राज्य के जिन क्षेत्रों को इस परियोजना से सिंचाई तथा विद्युत का लाभ उठाने का हक्क है, उन्हें बिना किसी शर्त के ऐसा करने दिया जायेगा । मुझे आशा है कि इन मूलभूत सिद्धांतों के बनाये जाने के पश्चात अब दोनों सरकारें शेष कार्य को पूरा करने के लिए आपस में कोई न कोई समझौता अवश्य कर लेंगी । विधेयक में यह उपबन्ध है कि दोनों सरकारों के बीच कोई समझौता न होने की दशा में राष्ट्रपति फैसला करेंगे । मेरे पूर्ववक्ता ने समझौते के उपबंध की उपयोगिता के बारे में सन्देह प्रकट किया । परन्तु वास्तव में मद्रास राज्य के आन्ध्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों तथा मैसूर राज्य के प्रतिनिधियों की योजना आयोग के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं ताकि कोई समझौता किया जा सके । यदि इस विधेयक के पारित होने के छै मास के भीतर कोई समझौता हो जाये तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा ।

इस समय स्थिति यह है कि व्यय का अधिकांश भाग उस क्षेत्र में हुआ है जो मैसूर राज्य का भाग बन जाएगा । यदि हम आस्तियों तथा दायित्वों के

विभाजन सम्बन्धी साधारण नियम का अनुसरण करें तो दायित्वों का अधिक भाग मैसूर के हिस्से में जायेगा जबकि अधिक लाभ आन्ध्र राज्य उठायेगा। अतः मैं समझता हूं कि मैसूर राज्य के हित में यह अधिक अच्छा होगा कि वह आन्ध्र राज्य से कुछ दायित्वों का भार अपने ऊपर ले लेने के लिए कहे। मैं नहीं जानता कि नकदी का हस्तान्तरण कहां तक न्यायोचित होगा, परन्तु दायित्वों के हस्तान्तरण में अवश्य औचित्य है।

डा० लंका सुन्दरम् : आज हमारी जो अनौपचारिक बातचीत हुई थी उसमें मेरा ख्याल है, डा० काटजू तथा उन से सहकारियों ने कहा था कि कम से कम बहीखाते में आन्ध्र को एक से लेकर दो करोड़ रुपये तक की राशि हस्तान्तरित की जानी होगी।

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे नकदी के हस्तान्तरण के बारे में तो कुछ पता नहीं है क्योंकि ये आस्तियां हैं और आस्तियों के लिए कोई नकदी में कुछ नहीं दे रहा है। परन्तु मेरे ख्याल में यह अधिक उचित होगा कि कोई ऐसा प्रबन्ध कर लिया जाये जिस के अनुसार आन्ध्र राज्य को उसके द्वारा उठाये जाने वाले लाभों के अनुपात से अधिक दायित्व दिये जाये।

श्री राघवाचारी : यह राशि नकदी में नहीं दी जायेगी, वरन् आन्ध्र राज्य के लेखे में जमा कर दी जायगी और मैसूर राज्य के लेखे के नाम डाल दी जायेगी।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं उस बैठक में उपस्थित नहीं था, इस लिए मैं नहीं कह सकता कि किस प्रकार हल निकाला जायेगा। हां, सब से पहले दोनों सम्बन्धित सरकारें वित्तीय समायोजन करने के लिए परस्पर प्रयत्न करेंगी। राष्ट्रपति को भी इस विषय में केन्द्रीय सरकार का परामर्श लेने के लिए पर्याप्त समय मिल जायेगा।

श्री रघुरामय्या : क्या आन्ध्र सरकार यह मांग कर सकेगी कि दायित्वों का बटवारा करते समय व्यय के राजस्व भाग को भी ध्यान में रखा जाये?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं ऐसा नहीं समझता। मैं समझता हूं कि पिछले राजस्व व्यय का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हम तो केवल इस आधार पर आगे बढ़ सकते हैं कि बचा हुआ दायित्व दोनों राज्यों के बीच हुए समझौते के अनुसार दोनों राज्यों द्वारा ग्रहण किया जायेगा।

अतएव मेरी राय में राजस्व के समायोजन का कोई प्रश्न नहीं उठता। मैं इस विषय में अपनी कोई सम्मति नहीं व्यक्त करना चाहता; हां, मैं इतना कहता हूं कि ये रास्ते हैं जिन से समझौता किया जा सकता है। मोटा सिद्धांत यह होना चाहिए कि दायित्वों के अंश परियोजना से होने वाले लाभ के अंशों के अनुसार हों।

मैं समझता हूं कि एक उपखंड के अनुसार राष्ट्रपति को इस दो वर्ष की कालावधि में भी निर्देश निर्गमित करने का अधिकार प्राप्त है। अतएव हमें विश्वास है—मैं योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय की ओर से कह रहा हूं—कि वर्तमान खंड ६६ में जो उपबन्ध किया गया है वह सर्वोत्तम है।

सभापति महोदय : माननीय वित्त-मंत्री द्वारा कहे गए वचनों को ध्यान में

[सभापति महोदय]

रखते हुए मैं सदस्यगण से निवेदन करूंगा कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या उन्हें अपने सारे संशोधनों को प्रस्तुत करना भी चाहिए अथवा नहीं। यदि कोई बात स्पष्ट नहीं हुई हो तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अथवा यदि सदन की इच्छा हो तो हम संशोधनों को ही ले लेंगे।

श्री राघवाचारी : मेरे संशोधन का अर्थ केवल यह है कि यदि ऐसा कोई समझौता न हो जाय तो राष्ट्रपति इस परियोजना अथवा इसके प्रबन्ध के सम्बन्ध म कुछ आदेश दे सकता है।

श्री सी० डी० देशमुख : इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था इस विधेयक में विद्यमान है।

श्री बी० एस० मूर्ति : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आंध्रों तथा मसूर राज्य वालों को एक दूसरे पर संदेह है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्यों न इस उद्देश्य के लिए एक निगम अथवा बोर्ड स्थापित किया जाये। इससे इनके आपसी झगड़े मिट जायेंगे तथा दुर्भावना फैलने का कोई अवसर उत्पन्न नहीं होगा। आखिर केन्द्रीय सरकार को ऐसा करने से क्या चीज़ रोक रही है।

श्री सी० डी० देशमुख : संवैधानिक रुप से निगम इस सयय स्थापित नहीं किया जा सकता है। यह दो राज्यों की सहमति से ही बन सकता है। चूंकि आंध्र राज्य का निर्माण अभी नहीं हुआ, इस लिए यह इस समय नहीं बन सकता है।

श्री केशवयंगार : माननीय वित्त-मंत्री के वक्तव्य से सारी बातें स्पष्ट हुई हैं। जहां तक मैसूर का सम्बन्ध है उसे वास्तव में दायित्व ही उठाने पड़ेंगे। तुंगभद्रा परियोजना से वर्तमान मैसूर राज्य के किसी भी क्षत्र को ज़रा सा पानी भी नहीं मिलेगा जहां तक राजस्व व्यय का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हस्तांतरित क्षेत्र में रहने वाले साढ़े सात लाख लोगों ने भी पूर्व सरकार के राजस्व में अपना हिस्सा दिया है।

जैसे कि मंत्री जी ने बताया, इस परियोजना के लिए एक अलग निगम आंध्र राज्य की स्थापना के बाद ही बनाया जा सकता है। मेरा पूरा विश्वास है कि मैसूर राज्य इस प्रकार के निगम की स्थापना में अपना पूरा सहयोग देगा। ऐसा करना स्वयं मैसूर के हित में है। मैसूर को ऐसी परियोजनाओं के प्रबन्ध कार्य का काफी अनुभव है। कई मामलों में हमारी ऐसी ही व्यवस्था मद्रास राज्य तथा बम्बई राज्य से रही है। तथ्य यह है कि जल सम्बन्धी अधिकांश सुविधाएं आंध्र को प्राप्य होंगी तथा मैसूर राज्य के हिस्से में केवल दायित्व ही आयेंगे।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि सदन सामान्यतः खंड ६६ को स्वीकृत करता है तथा संशोधनों पर आग्रह नहीं किया जायगा।

[इस पर श्री सोमना (कुर्ग) ने आपत्ति उठाते हुए कहा कि खंड ६६ सातवीं अनुसूची के उपबन्धों के अधीन है तथा उस अनुसूची के पैरा १२ को पास किये बिना सदन इस खंड को पास नहीं कर सकता है। सभापति महोदय ने अपने निर्णय में श्री सोमना के इस मत का खंडन किया तथा कहा कि यह अनुसूची अभी पास नहीं की गई है और

जब यह विचार के लिए प्रस्तुत होगी तो उस समय माननीय सदस्य उसके सम्बन्ध में अपना संशोधन पेश कर सकते हैं। इस खंड को पास करने का यह अर्थ नहीं होगा कि हम सातवीं सूची के पैरा १२ को भी पास करने के लिए वचनबद्ध हैं।]

श्री गोपाल राव : क्या आंध्र राज्य बनने के बाद ही प्रस्थापित निगम स्थापित किया जायगा।

श्री सी० डी० देशमुख : उन्हें एक संकल्प पास करना होगा। दो विधान मंडलों को एक संकल्प पास करके केंद्रीय सरकार को यह निगम स्थापित करने का अधिकार देना होगा। जैसे कि दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में किया गया था इसमें स्वभावतः कुछ समय लगेगा।

डा० काटजू : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खंड ६६ की भाषा सभी सम्बन्धित पक्षों के हित में है। यदि समझौता हो जाय तो मामला ही खत्म हो जाता है और यदि समझौता न हो, तो राष्ट्रपति इस सम्बन्ध में स्वयं फैसला करेंगे। वह स्वयं एक संयक्त बोर्ड नियुक्त करें। हो सकता है कि और अधिक कानून बनाने की आवश्यकता ही न पड़ेगी।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि सदन इस बात पर सहमत है कि सभी संशोधन वापिस ले लिये जायें।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : श्रीमान् मैं चाहता हूं कि अन्य जिलों के साथ साथ रायलसीमा के चित्तूर जिले को भी जल विद्युत सुविधाएं उपलब्ध हों।

श्री सी० डी० देशमुख : सिंचाई की व्यवस्था चित्तूर जिले के लिए नहीं है। इसका सम्बन्ध केवल उच्च-तल नहरों से है।

श्री वेंकटारमन : मैं माननीय सदस्य के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री बासप्पा : इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या यह परियोजना केवल रायलसीमा ज़िलों के लिए ही है अथवा आन्ध्र के अन्य जिलों के लिए भी है।

श्री टी० सुब्रह्मण्यम (बेल्लारी) : श्रीमान् मुझे तुंगभद्रा परियोजना के बारे में कुछ जानकारी है। जहां तक चित्तूर जिले का सम्बन्ध है, इसे इस परियोजना से जल सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त होने की किसी भी समय कोई आशा नहीं थी।

यद्यपि विद्युत शक्ति के संचार के लिए भी कोई उपबन्ध विद्यमान नहीं है, फिर भी मैं स्वयं महसूस करता हूं कि चित्तूर को इस परियोजना से विद्युत शक्ति उपलब्ध कराने में सरकार को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कि क्या इस परियोजना से जिला चित्तूर को भी कुछ विद्युत शक्ति प्राप्त होगी अथवा नहीं। मेरे पास मानचित्र नहीं है। मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता हूं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि वर्तमान उपबन्ध योजना आयोग की जांच के बाद इसमें रखा गया है। यह प्रारुप तैयार करने का एक विषय है। यदि इसे इस तरह से तैयार किया जा सकता

[श्री सी० डी० देशमुख]

है कि इसमें वह सभी जिले शामिल रहें जिन्हें कि इस परियोजना के अन्तर्गत विद्युत शक्ति प्राप्त होनी थी तो इस से सभी को संतोष हो सकता है । मैं समझता हूं कि यह वास्तव में आवश्यक नहीं है ।

इस बात का पता लगाना सम्भव होगा कि क्या चित्तूर इस परियोजना में शामिल है तथा यदि भूल चूक से कोई जिला इस में शामिल न किया गया हो तो इसे उन सिद्धांतों के अनुसार इस में शामिल किया जायगा जिनकी कि मैंने आरम्भ में व्याख्या की है । ऐसा कल किया जा सकता है । इस शर्त के अधीन हम आगे अपना काम कर सकते हैं ।

सभापति महोदय : मत कल लिए जायेंगे ।

इसके पश्चात सदन की बैठक मंगलवार, २५ अगस्त, १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।